षष्ठम् माला, खंड 2, अंक 9, मंगलवार, 21 जून 1977/31 ज्येष्ठ, 1899 (शक)
Sixth Series, Vol. II, No. 9, Tuesday, June 21, 1977/Jyaistha 31, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. L05(4)
Date 15-12-77

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price: Four Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 9, मंगलवार, 21 जून 1977/31 ज्येष्ठ, 1899 (शक)

No. 9, Tuesday, June 21, 1977/Jyaishtha 31, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1-15
तारांकित प्रश्न संख्या 126, 127, 129, 131, 132, 135, 138, 139 और 125.	*Starred Questions Nos. 126, 127, 129, 131, 132, 135, 138, 139 and 125.	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2	Short Notice Question No. 2 . .	15-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	19-84
तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 124, 130, 133, 134, 136, 137, 140 और 141.	Starred Questions Nos. 121 to 124, 130, 133, 134, 136, 137, 140 and 141.	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1145 से 1147, 1149 से 1171, 1173 से 1280 और 1282 से 1292.	Unstarred Questions Nos. 1145 to 1147, 1149 to 1171, 1173 to 1280 and 1282 to 1292.	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	85-88
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	88-106
बजट, सामान्य 1977-78 सामान्य चर्चा	General Budget, 1977-78 General Discussion	88
श्री बेदव्रत बरूआ	Shri Bedabrata Barua	88
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	89
श्री बीजू पटनायक	Shri Biju Patnaik	91
श्री हितेन्द्र देसाई	Shri Hitendra Desai	92
श्री के० एस० हैगडे	Shri K. S. Hegde	93
श्री यादवेन्द्र दत्त	Shri Yadavender Dutt	95
श्री कँवर लाल गुप्ता	Shri Kanwar Lal Gupta	96

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was ctually asked on the floor of the house by him.

		PAGES
श्री पी० वी० नरसिंहा राव	Shri P. V. Narasimha Rao	98
श्री ए० के० राय	Shri A. K. Roy	99
श्री धर्मसिंहभाई पटेल	Shri Dharmasin bhai Patel	102
श्री शंकर सिंह जी वघेला	Shri Shankersinhji Vaghela	102
श्री धीरेन्द्रनाथ बसु	Shri Dhirendranath Basu	103
श्री रतन सिंह राजदा	Shri Ratansinh Rajda	103
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	104
श्री निर्मल चन्द्र जैन	Shri Nirmal Chandra Jain	105
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	106
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report.	106

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 21 जून, 1977/31 ज्येष्ठ 1899 (शक)
Tuesday, June 21, 1977/Jyaistha 31, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

लोक सभा के निर्वाचनों पर व्यय

*126. **श्री डी० वी० चन्ने गौडा:**

श्री एस० जी० मुरगय्यन:

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने हाल में सम्पन्न हुए लोक सभा निर्वाचनों पर कितना व्यय किया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् : लोक सभा निर्वाचन को हुए तीन मास हो चुके हैं । क्या आंकड़े एकत्र करने और जानकारी देने के लिए इतनी लम्बी अवधि की आवश्यकता है ?

श्री शांति भूषण: यह जानकारी एकत्र करने के लिए हमें वास्तव में काफी समय की जरूरत है ।

Dr. Bapu Kaldatey: By what time report will be presented before the House ?

Shri Shanti Bhushan : It will be presented as soon as it is received.

अध्यक्ष महोदय: मेरा विचार है कि इस प्रश्न पर हमें और समय नहीं लगाना चाहिये । हम अगला प्रश्न लें ।

रेलवे में एक श्रमिक संघ

*127. **श्री पी० राजगोपालन नायडू:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में केवल एक श्रमिक संघ की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या मान्यता-प्राप्त दोनों ही श्रमिक संघ इस प्रस्ताव से सहमत हो गये हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) सरकार रेलों में श्रमिक यूनियनों के व्यापक एकीकरण के पक्ष में है ।

मई 1977 में आयोजित भारतीय श्रमिक सम्मेलन में नियुक्त त्रिपक्षीय समिति यूनियनों के मान्यता संबंधी प्रतिमानों के तथा एक उद्योग में एक यूनियन का विकास करने संबंधी कार्यविधि के प्रश्न पर विचार कर रही है।

रिपोर्ट दो माह तक के भीतर प्राप्त हो जाने की सम्भावना है। सरकार रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेगी और तत्पश्चात् रेलों में एक यूनियन के गठन के बारे में कार्यविधि का विकास करने के लिए रेलों पर कार्यरत विविध यूनियनों से परामर्श करेगी।

श्री पी० राजगोपाल नायडू: क्या मंत्री जी को विश्वास है कि रेलवे में एक ही संघ व्यावहारिक सिद्ध हो सकेगा?

प्रो० मधु दंडवते : विश्वास रखना तो मेरी आदत है। इसीलिए मैंने सदैव अनुभव किया है कि एक उद्योग में एक ही संघ बनाना संभव है। जहां तक विभिन्न रेलवे श्रमिक संघों का प्रश्न है, वे सभी इस सिद्धांत के पोषक हैं कि एक उद्योग में एक ही संघ हो। कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां जरूर पैदा हो गई हैं। हम सदैव यह प्रयत्न करते रहेंगे कि उन्हें दूर किया जाये।

श्री पी० राजगोपाल नायडू: क्या मंत्री जी को यह पता नहीं कि कई श्रमिक संघ इस बात के विरुद्ध हैं?

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं। यह कहना ठीक नहीं। जहां तक ऑल इंडिया रेलवेमैनज फैडरेशन का संबंध है, उसने विभिन्न प्रस्तावों में रेलवे में एक संघ के सिद्धांत को स्वीकार किया है। वास्तव में बजट सत्र से पूर्व उन्होंने एक ज्ञापन में मांग की थी कि एक ही संघ बनाने के बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाये। मैंने रेलवे की एक अन्य फैडरेशन एन० एफ० आई० आर० से भी चर्चा की है। उन्होंने भी कहा है कि वे भी एक ही संघ के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं। हां उसका गठन करते समय संबंधित संघों से परामर्श किया जाना चाहिये।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम्: मैं रेल मंत्री जी के विश्वास को कद्र करता हूं। लेकिन क्या उन्हें जानकारी है कि श्री जयप्रकाश नारायण और श्री हरिहरनाथ शास्त्री जैसे महान व्यक्तियों ने एकीकरण का प्रयत्न किया और असफल रहे।

अध्यक्ष महोदय : यह तो अतीत का इतिहास है।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम्: क्या उन्हें जानकारी है कि मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों की अपेक्षा बिना मान्यताप्राप्त श्रमिक संघों की सदस्य संख्या अधिक है और क्या मान्यता देने का सिद्धांत बनाते समय बिना मान्यताप्राप्त संघों से भी वह बातचीत करेंगे?

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक श्री जयप्रकाश नारायण के बारे में उल्लेख किये जाने का संबंध है.....

श्री एम० कल्याणसुन्दरम्: यह तो इतिहास है।

प्रो० मधु दण्डवते : कई बार इतिहास का भी गलत ढंग से उल्लेख किया जाता है। इसीलिए मुझे उसे ठीक ठीक कहना है। पहले श्री जयप्रकाश नारायण ऑल इण्डिया रेलवेमैनज फैडरेशन के नेता थे। बाद में वह फैडरेशन विभाजित हो गई। अतः यह कहना सही नहीं कि वह एकीकृत फेडरेशन के नेता न थे।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम्: आपके तथ्य गलत हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : विभाजन अवश्य हुआ। लेकिन उन्होंने एकीकृत फैडरेशन का भी नेतृत्व किया था। सदस्य महोदय के प्रश्न का दूसरा भाग अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने पूछा है कि क्या बिना मान्यताप्राप्त श्रमिक संघों की सदस्य संख्या अधिक है?

हमारे रिकार्ड से पता चलता है कि यह सच है कि आल इण्डिया रेलवेमेन फेडरेशन के लगभग 5.56 लाख सदस्य हैं । जबकि एन० एफ० आई० आर० के लगभग 4.5 लाख सदस्य हैं । अन्य सदस्यता जोकि कई वर्गों में विभिक्त है, उसका संबंध किसी एक नेशनल फेडरेशन से नहीं है । इस प्रकार विभिन्न वर्गों के संगठनों की सदस्यता की तुलना फेडरेशन की सदस्यता से नहीं की जा सकती? परन्तु यदि आप उसे समग्र रूप से लेते हैं तो में कह सकता हूं कि दूसरी सदस्यता विभिन्न वर्गों में बंटी हुई है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या मंत्री महोदय को विदित है कि मैं दक्षिण रेलवे कार्मिक संघ का अध्यक्ष तथा भारतीय रेल मजदूर संघ का उपाध्यक्ष हूं । मैं अधिकार पूर्वक कह सकता हूं कि जब तक कुछ आधारभूत बातें पूरी नहीं हो जाती, एकीकृत श्रमिक संगठन नहीं बन सकता । क्या मंत्री महोदय एकीकृत श्रमिक संगठन पद्धति कायम करने से पूर्व वह संगठनों को ठीक स्थिति में लायेंगे । मान्यता सदस्य संख्या पर निर्भर करती है जो अब पुरानी हो चुकी है । फिर भी, यह मान्यता पहले भारतीय रेल मजदूर संघ जैसे संगठनों की सदस्यता के आधार पर दी जानी चाहिये । इसलिए मुख्य संगठनों को पहले मान्यता मिलनी चाहिये । क्या वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि अधिक सदस्यता वाले मुख्य संगठनों को पहले मान्यता मिले और बाद में उनका एकीकरण किया जाये ?

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि माननीय सदस्य उल्लेख किए गये संघ के अध्यक्ष हैं।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, हमने मान्यता के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं । यदि इन शर्तों में कुछ संशोधन की आवश्यकता हुई तो हम श्रम मंत्रालय तथा विभिन्न श्रमिक संगठनों, जिनमें उनके नेतृत्व वाला संगठन भी सम्मिलित है, से परामर्श करके ही कार्यवाही करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम कोई ऐसा सूत्र निकाल लेंगे जो सबको मान्य हो।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस समय कौन सी फैडरेशनें मान्यताप्राप्त हैं और कितने ऐसे संगठन है जिन्हें मान्यताप्राप्त नहीं है परन्तु उनमें रेलवे कार्मिकों की भारी संख्या है । इनके द्वारा लाये गये वादों का सरकार के साथ निपटारा कैसे किया जाता है । जिस से कि उन्हें मंत्रालय से न्याय मिल सके?

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक मान्यता का प्रश्न है, अब तक का मानदण्ड यह रहा है कि इसमें सरकारी कर्मचारियों के एवं निहित्त वर्ग सम्मिलित हो, जिसमें उक्त वर्ग के सभी कर्मचारी सदस्यता के पात्र माने जायें तथा उनकी संख्या रेलवे में नियुक्त अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या का 1.5 प्रतिशत से कम न हो और यह कि एक ही वर्ग अथवा गिने-चुने वर्गों के संगठन को मान्यता न दी जाये । रेलवे प्रशासन की राय में संगठन ऐसा होना चाहिए जो तोड़-फोड़ कार्य ही करने वाला न हो। । निःसंदेह अंतिम प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि सभी संगठन तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां नहीं करते । इन मानदण्डों के आधार पर संगठनों को वर्गवार मान्यता नहीं दी जाती । इन नियमों के आधार पर इस समय वर्गानुसार संगठनों को मान्यता नहीं दी जाती । परन्तु मैंने वर्गवार बहुत से संगठनों से सम्पर्क बना हुआ है । एक ही संगठन की स्थापना के लिए क्या नियम अपनाये जाये इस बारे में बातचीत जारी है ।

†**Shri Dhanna Singh Gulshan :** Is it a fact that formerly there were different unions of various categories of railway employees and the Government created division among them and established parellel unions ? In the circumstances would the Hon. Minister stress that there should be one union for a category of employees ?

Prof. Madhu Dandavate : So far as the opinion of the Government is concerned, we want that there should be one union for all the railway employees. We would not take any steps that may divide the trade unions activities. So we shall make all out efforts for the unification.

श्री आर० के० महालगी : प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

प्रो० मधु दण्डवते : उम्मीद है कि त्रिपक्षीय समिति अपना प्रतिवेदन 2 मास के भीतर पेश कर देगी।

श्री के० रामामूर्ति : रेलवे के लिए एक संगठन का स्वागत करते हुए मैं कुछ सन्देहों का उल्लेख करना चाहता हूं (1) एक संगठन को मान्यता देने के पश्चात् इस बारे में क्या गारन्टी है कि रेलवे में अन्य संगठन कार्य नहीं करेंगे, (2) संगठन बनाने का व्यक्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। क्या यह इस सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है ?

प्रो० मधु दण्डवते : विभिन्न संगठनों से परामर्श के पश्चात् एक बार हम एक संगठन के लिए कार्य प्रणाली तैयार कर लें तो कम से कम वे संगठन जिनसे हम परामर्श करते हैं। एक संघ का अंग बन जायेंगे। इसके बाद यदि कुछ संगठन बच जाते हैं तो ऐसे संगठन मात्र दिखावे के होंगे और उन्हें हम कोई महत्व नहीं देंगे।

Shri Mritunjay Prasad Verma : At present these unions are controlled by political parties. If only one union remains what would be the status of other unions ? They would have to join irrespective of their political affiliations.

Prof. Madhu Dandavate : The argument put forward by Hon. Member and the subsequent question asked by him goes against it. He has stated that there are different unions of various political parties. If one union is formed the writ of no single political party would be valid in such a union.

केरल में तटदूर तेल के लिए सर्वेक्षण हेतु प्रस्ताव

*129. **श्री के० ए० राजन : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तटदूर तेल के लिए सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान वर्षा ऋतु की समाप्ति पर इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने हेतु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के "अन्वेषक" नामक भूकम्पीय सर्वेक्षण पोत की सेवायें उपलब्ध करने का प्रस्ताव है।

श्री के० ए० राजन : 1968 में केरल में तटदूर तेल के लिए भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया था। केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके फरवरी 1977 से पश्चिमी तट का सर्वेक्षण करने का वचन दिया था। मेरा मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि इस कार्य को यथाशीघ्र करायें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1964 के सोवियत संघ द्वारा सर्वेक्षण के पश्चात् शैल इन्टरनेशनल पेट्रोलियम कम्पनी के भूकम्पीय अध्ययन करने वाले समुद्रीय जहाज 'लेडी क्लोरिटा' ने वर्ष 1973 में केरल के समुद्रीय तट के कुछ हिस्सों सहित अरब सागर की महाद्वीपीय जनमग्नतटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था। इसके सर्वेक्षण के परिणाम से तलछट की मोटाई का संकेत नहीं मिलता, सिवाये इसके कि महाद्वीपीय जलमग्नतर क्षेत्र के कुछ गहरे भागों में गहराई इतनी अधिक है कि सम्भवता खोज और खुदाई करना कठिन होगा। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कुछ कार्य किया है और केरल के समुद्रीय तट से दूर कुछ भूकम्पीय सर्वेक्षण का काम किया है।

माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि इस कार्य को शीघ्र किया जाये । वह भली प्रकार जानते हैं कि वर्षा ऋतु में यह कार्य नहीं किया जा सकता । जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है कार्य हाल में लिया जायेगा।

श्री वयालार रवि : जहां तक केरल के तटदूर क्षेत्र में खुदाई का प्रश्न है हमें भूतपूर्व पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसे शीघ्र किया जायेगा । उन्होंने सभा में ऐसा संकेत दिया था केरल से तटदूर तेल पाने की सम्भावना अधिक है । मंत्री महोदय ने अभी अभी बताया है कि यह कठिन है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले पर गम्भीरता से विचार करेंगे ताकि केरल में तटदूर तेल की खुदाई का कार्य किया जा सके तथा उसके वाणिज्यिक उपयोग का कार्य किया जा सके।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं इस मामले में माननीय सदस्य की चिन्ता की कद्र करता हूं। परन्तु तेल का उपलब्ध होना किसी वर्तमान मंत्री अथवा भूतपूर्व मंत्री के आश्वासन पर निर्भर नहीं करता। जहां तक तेल की खोज का प्रश्न है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि सर्वेक्षण से पता चला है कि समुद्रीय-तट के निकट के महाद्वीपीय जलमग्नतट भूमि बहुत संकरी है तथा वहां तलछटीय मोटाई बहुत कम है और समुद्री तट से काफी दूर आगे जा कर मोटाई बढ़ती है और उससे भी आगे गहराई अधिक है। इस प्रकार जहां पानी गहरा हो वहां खोज और खुदाई दोनों कठिन है । यही बात मैंने पहले कही थी और यही सोवियत सर्वेक्षण और 'लेडी क्लेरिटा' जहाज के सर्वेक्षण में कही गई थी । इसका यह अभिप्राय यह नहीं है कि सरकार द्वारा सम्भावित खोज और खुदाई का कार्य आर्थिक आधार पर हाथ में नहीं लिया जा सकता है यदि तेल के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं ।

गत तीन महीनों के दौरान हुई रेल दुर्घटनायें

*131. **श्री वयालार रवि :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान कुल कितनी रेल दुर्घटनायें हुई और उनमें कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ख) इनके परिणामस्वरूप रेलवे को कुल कितनी हानि हुई,

(ग) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) पिछले तीन महीनों अर्थात् मार्च से मई, 1977 तक भारतीय रेलों पर गाड़ियों की टक्कर, पटरी से उतर जाने, समपार दुर्घटनाएं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 210 दुर्घटनाओं की तुलना में 206 दुर्घटनाएं हुई थीं । मार्च से मई, 1977 की अवधि में होने वाली दुर्घटनाओं में 138 व्यक्ति मारे गये और 322 घायल हुए।

(ख) रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत का अनुमान लगभग 80,59,939 रु० लगाया गया है।

(ग) इन दुर्घटनाओं के कारण नीचे दिये गये हैं :—

(i) रेल कर्मचारियों की विफलता	73
(ii) रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की विफलता	34
(iii) उपस्कर की खराबी	50
(iv) आकस्मिक	11
(v) कारण का निर्धारण नहीं हो सका	4
(vi) अभी तक कारण का अंतिम रूप से निर्धारण नहीं हो पाया है।	34

(घ) चूंकि मानवीय तत्वों की विफलता दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी एक मात्र सबसे बड़ा कारण है। अतएव गाड़ियों के चालन से सम्बन्धित कर्मचारियों में संरक्षा की भावना पैदा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी संरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं करते अथवा लघु पद्धति नहीं अपनाते, रेलों पर स्थापित संरक्षा संगठनों को नियुक्त किया गया है। सभी दुर्घटनाओं की पूरी जाँच की जाती है और उपयुक्त उपचारी उपाय किये जाते हैं।

श्री वयालार रवि : मैं समझता हूं कि रेल मंत्री घातक रेल दुर्घटनाओं की वृद्धि से चिंतित होंगे। अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि 206 रेल दुर्घटनाओं में 138 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 322 व्यक्ति, आहत हुए। उन्होंने इसके कारण भी बताएं हैं। सुरक्षा के उपायों के बारे में भी उन्होंने एक वक्तव्य दिया है। सभी सुरक्षा उपायों के बावजूद रेल दुर्घटनाएं समय समय पर होती रहती हैं जिनमें अनेक व्यक्ति मारे जाते हैं। हाल ही में थोड़ी सी अवधि के अंतर से अराकोनम के निकट एक ही स्थान पर दो रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दो से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या ठोस कार्यवाही की गई है। जहां दुर्घटनाएं मानवीय भूलों के कारण होती है उन्हें रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

प्रो० मधु दण्डवते : बेशक इन तीन महीनों में हुई रेल दुर्घटनाओं की संख्या पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की दुर्घटनाओं से कम थी, तो भी मैं इससे कतई सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जनता सरकार के अधीन स्थिति में सुधार आये। प्रशासन अथवा कार्मिकों की किसी भूल पर पर्दा डालने की मैंने चेष्टा नहीं की है। मैंने दुर्घटनाओं का पूरा विवरण, उनके कारण तथा प्रस्तावित उपायों का पूरा उल्लेख किया है। मैं सभा को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकी जानी चाहिएं। हम रख-रखाव अभिकरणों को दृढ़ कर रहे हैं, आवधिक निरीक्षणों को बढ़ाया गया है और हम कमियों की ओर ध्यान देंगे। जहां बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए। जहां तक विफलताओं का प्रश्न है, कर्मचारियों की भूलों, उपकरणों की त्रुटियों तथा आम जनता की भूलों के कारणों का पता लगाया गया है। कुछ फाटकों पर मोटर ड्राइवरों की रेलों से टक्कर हुई है। ऐसे फाटकों पर भी दुर्घटनाएं हुई हैं जहां पर कर्मचारी कार्यरत रहते हैं। इस बारे में विस्तृत आंकड़े दे दिये गये हैं। तीन महीनों के दौरान जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं हमने उनका वर्गीकरण किया है कि उनमें से कितनी उपकरणों की विफलता से हुई तथा कितनी कर्मचारियों की भूलों के कारण। जिन दुर्घटनाओं के लिए कर्मचारी जिम्मेवार हैं उन मामलों में सख्त कार्यवाही की जायेगी। यही आश्वासन मैं सभा को दे सकता हूँ।

श्री वयालार रवि : जहा तक क्षति पूर्ति का सवाल है मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या आहत व्यक्तियों को भी क्षतिपूर्ति दी गई है? क्षतिपूर्ति शीघ्र मिले इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

प्रो० मधु दण्डवते : इस राशि में क्षतिपूर्ति की रकम शामिल नहीं है। 9 करोड़ रुपए का पृथक प्रावधान किया गया है। इस समय क्षति पूर्ति राशि की सीमा 50,000 रुपए है जबकि वायुयान दुर्घटना की सीमा एक लाख रुपए है। यह असामानता क्यों रहे इस पर हम विचार कर रहे हैं। जहां तक अनुग्रहपूर्वक अदायगी का प्रश्न है यह प्रति मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को 1,000 रुपए तथा आहत व्यक्ति को 750 रुपए दी जाती है। कुछ विशिष्ट मामलों में जैसे गौहाटी दुर्घटना आदि में मंत्री स्व-विवेक से अनुग्रहपूर्वक अदायगी की राशि में वृद्धि कर सकता है। हमने अनुग्रहपूर्वक राशि में वृद्धि की है।

श्री वयालार रवि : 50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति की क्या स्थिति है ?

प्रो० मधु दण्डवते : एक दावा आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। वह विशिष्ट मामलों की जांच करता है। कई बार कोई निकट सम्बन्धी अपने को मृत व्यक्ति का दावेदार बताते हैं जबकि कोई अन्य व्यक्ति उसका निकट सम्बन्धी होता है। इसलिए दावा आयुक्त को इसका विश्लेषण करना होता है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : दुर्घटनाएं तो दुर्घटनाएं हैं। इस बारे में कोई क्या कर सकता है। क्या रेल मंत्री महोदय ने दुर्घटनाओं को रोकी जा सकने वाली तथा न रोकी जा सकने वाली, दो वर्गों में विभाजित किया है। उनके वक्तव्य से स्पष्ट है कि अधिकांश दुर्घटनाएं ऐसी हैं जिनसे बचा जा सकता है। 50 मामलों के लिए उन्होंने उपकरणों की खराबी को दोषी बताया है तथा 20 मामलों में कर्मचारियों की भूलों को उत्तरदायी बताया है। क्या मंत्री महोदय सभा को आश्वासन दे सकेंगे कि उपकरणों का सुधार किया जायेगा ताकि दुर्घटनाएं कम की जा सकें तथा कर्मचारियों की भूलों के मामले में शिक्षा-प्रद तथा दण्डात्मक उपाय बरतेंगे ? क्या ऐसे फाटकों पर जिन पर किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई, की देखभाल की यथाशीघ्र व्यवस्था की जाऐगी ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय सदस्य का सुझाव स्वीकार करता हूँ। जो विवरण मैंने प्रस्तुत किया है उसमें 11 दुर्घटनाएं ही दुर्घटनाएं कहीं जा सकती हैं। दुर्घटनात्मक दुर्घटनाएं विरोधाभास लगती हैं। अन्य आंकड़ों में उनका महत्व माननीय सदस्य समझ सकेंगे। इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जिन व्यक्तियों ने अपने दायित्व को ठीक ढंग से नहीं निभाया उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी जहां तक उपकरणों के दोषी का सम्बन्ध है हम अच्छे उपकरण लगाने की कोशिश करेंगे ताकि रख-रखाव में सुधार हो सके।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : रेल फाटकों के सम्बन्ध में क्या नीति है ?

प्रो० मधु दण्डवते : उसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ।

Shri Ishwar Choudhary : Sir, these days a large number of railway accidents take place. Ever since the Railway Administration has came into being the accidents take place somewhere or the other. The House is concerned about it. Does the department get repents from the Railway Way Inspectiors or other Engineers ?

The Railways Administration receives demands for construction of over bridges or under bridges. At a number of crossings people cross lines even if the gates are closed and as a result thereof accidents take place there. Has the attention of the Government been drawn to the so much needed over bridges. Often the officers ignore such demands. Is the Government taking prompt action in the matter ?

Prof. Madhu Dandavate : So far as the construction of over bridges is concerned our policy is that the 50% expenditure is met by the State Government while 50% is met by Railways. So until the State Governments agree the Railways cannot do it. Where the State Governments so desire we shall try to construct the bridges.

So far as officers are concerned there is provision for inspection and check up. I can assure the House that necessary action would be taken against them for their misdeeds.

श्री एल० के० डोले : आसाम में गौहाटी पर जो दुर्घटना हुई वहां पर बाढ़ का स्तर रेलवे लाइन से ऊँचा था। पुल भी टूटी हुई हालत में था बाढ़ का स्तर ऊँचा होने के कारण 1950 के भूकम्प के पश्चात् दुर्घटनाएं बार बार होती रही हैं। रेग जमने के कारण स्तर निरन्तर बढ़ रहा है । आसाम में सड़कों की स्थिति भी वसी ही है । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार रेलवे लाइनों और सड़कों को बाड़ के स्तर से ऊंचा करगी ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है और हम इस पर विचार करेंगे। जहां तक दूसरे पहलू का सम्बन्ध है पुल संख्या 139 से 141 तक के बारे में एक विस्तृत वक्तव्य में बताया गया हैं कि जलकपाटों के नीचे होने से बाड़ आई। कुछ ग्रामीणों में यह सन्देह व्याप्त है कि जलकपाटों का समुचित प्रबन्ध नहीं है । यह सिंचाई विभाग का दायित्व है । इसकी न्यायिक जांच के आदेश दिये गये हैं। यह समस्या भी उनके समक्ष रखी जायेगी और जो भी इस बारे में अंतिम निर्णय होगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Tej Pratap Singh : This is correct that action would be taken against the defaulting employees but we should see that some mechanical device is evolved to prevent rail accidents.

Prof. Madhu Dandavate : I am myself a scientist and I know that there is no mechanical device to forecast accidents as we can know about earthquakes by seisomograph. There is provision for mechanical device for track checking and for that electronic devices can also be used and we shall see that it is done.

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है 34 दुर्घटनाओं के लिए रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जिम्मेदार हैं । कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितनी छतिपूर्ति दी गई ?

भाग (5) में बताया गया है कि ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या 4 है जिनके कारण नहीं जाने जा सके। उनके कारणों का पता क्यों नहीं लगा सकते ?

प्रो० मधु दण्डवते : क्षतिपूर्ति के आंकड़े पिछले 3 महीने की दुर्घटनाओं के बारे में बताये गये हैं। दावा आयुक्त प्रत्येक मामले की जांच करता है । मैं सभा को यह बता सकता हूँ कि मृत व्यक्ति के निकटतम उत्तराधिकारी को 50,000 रुपए दिये जा सकते हैं और हमने इसमें साम्य बरता है ।

जिन चार दुर्घटनाओं के कारण नहीं जाने जा सके, वे वास्तव में दुर्घटनात्मक दुर्घटनाएं थीं।

अन्य दुर्घटनाओं के कारण पता चल गये हैं और सभी दोषों को दूर किया जा रहा है ।

Shri Sheo Narain : When the Railways is a full-fledged department of the Government of India why should the State Governments pay for it ? This would delay the matters. I want that specialists including foreign ones may be consulted whenever accidents take place.

Prof. Madhu Dandavate : That is what we are doing.

श्री जगन्नाथ राव : क्या क्षतिपूर्ति सभी दर्जे के यात्रियों को समान रूप से दी जाती है या दूसरे दर्जे में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को अधिक क्षतिपूर्ति दी जाती है ?

प्रो० मधु दण्डवते : हम यात्रियों की श्रेणी की ओर ध्यान नहीं देते । मृत्यु के मामलों में तो एकरूपता बरती जानी चाहिए ।

इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

*132. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयल कारपोरेशन ने इजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को अब तक कार्य के लिये कौन कौन से क्षेत्र दिये हैं;

(ख) कितनी जगहों का काम पूरा कर लिया गया है; और

(ग) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा अब तक किये गये कार्य के आधार पर सरकार का तकनीकी, प्रशासकीय और वित्तीय दृष्टि से मूल्यांकन क्या है और उसकी रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन (आई० ओ० सी०) द्वारा अब तक इंजिनियर्स इंडिया लिमि० (ई० आई० एल०) को छः मोटी मोटी परियोजनाएं सौंपी गई हैं। इन परियोजनाओं के नाम, ई० आई० एल० को सौंपे गये कार्य के क्षेत्र तथा उनका दर्जा दर्शाने वाला विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) ई० आई० एल० द्वारा अब तक पूरी की गई परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्यनिष्पादन सन्तोषजनक रहा । इसके लिए उनकी सेवाओं के लिए जो अदायगियां की गई हैं, वे भी उचित समझी जाती हैं।

विवरण

आई० ओ० सी० की परियोजना का नाम	इंजीनियर्स इंडिया लिमि० को सौंपे गये कार्य का क्षेत्र	दर्जा
—एल० पी० जी० बाटलिंग संयंत्र बरौनी शोधनशाला, बिहार	एल० पी० जी० स्थानान्तरण और भरने की प्रणाली के लिए टर्नकी जाब	पूरा हो चुका है
—कोक निस्तापन सयंत्र, बरौनी शोधनशाला ।	पेट्रोलियम कोक के निस्तापन हेतु टर्न की जाब	—वही—
—हल्दिया शोधनशाला, हल्दिया, पश्चिम बंगाल	ब्यौरेवार इंजीनियरिंग, भारत में प्रापण, स्थल निर्माण कार्य, निर्माण कार्य का परिवेक्षण और परियोजना प्रबन्ध	—वही—

ई० आ० सी० की परियोजना का नाम	इंजीनियर्स इंडिया लिमी० को सौंपे गये कार्य का क्षेत्र	दर्जा
—गुजरात शोधनशाला का विस्तार, बड़ौदा	प्रक्रम डिजाइन, ब्यौरेवार इंजीनियरिंग, प्रापण, निर्माण पर्यवेक्षण, आरम्भ करना और परियोजना प्रबन्ध।	कार्यान्वित किया जा रहा है ।
—मथुरा शोधनशाला, मथुरा, उत्तर प्रदेश	ब्यौरेवार इंजीनियरिंग, कुछ एककों और दूर स्थलीय स्थापना के लिए प्रापण, अनुपूरक इंजीनियरिंग और निर्माण पर्यवेक्षण	—वही—
—दूर स्थलीय तेल टर्मिनल तथा समुद्री पाईपलाइन, कच्छ की खाड़ी।	ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट और निर्माण पर्यवेक्षण सहित परियोजना प्रबन्ध।	—वही—

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इस बात पर ध्यान देते हुए, कि जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है 'इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड' सरकारी प्रतिष्ठान ने प्रशंसनीय कार्य किया है, क्या इसे अधिक कार्य सौंपे जायेंगे ताकि उस सीमा तक विदेशी सहयोग कम किये जा सकें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : ई० आई० एल० ने प्रशंसनीय कार्य किया है तथा इसने पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है और आज यह पूरी शोधनशालाओं के डिजाइन तथा निर्माण का कार्य हाथ में ले सकता है । फिर भी शोधन के क्षेत्र में केटालाइटिट क्रेकर और हाइड्रो क्रेकर तथा ईंधन क्षेत्र के कुछ कारखाने ऐसे हैं जिनमें ई० आई० एल० को विदेशी सहयोग जारी रखना आवश्यक है, जिनमें कि विभागीय प्रक्रियाएं, लाइसेंस और जानकारी लागू नहीं होती। तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से कभी कभी उपयोग में आने वाली प्रक्रियाओं के लिए ऐसी कठिन प्रक्रियाओं का विकास करना सम्भव नहीं है और यूरोप के पश्चिमी देशों की भी यही नीति है । इस प्रकार इसे छोड़ कर सरकार यत्न करेगी कि ई० आई० एल० के अनुभव का पूरा उपयोग किया जाये।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मुझे पता है कि देश में ई० आई० एल० को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए इसे विदेशी सहायता की आवश्यकता है । साथ ही मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या शोधनशालाओं के निर्माण कार्य में ई० आई० एल० अकेले ही सक्षम है, और क्या उन्होंने मथुरा शोधनशाला के मुख्य निर्माण कार्य को हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है तथा इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है । वक्तव्य में दिये गये ई० आई० एल० को सौंपे गये कार्य के विवरण से पता चलता है कि बहुत थोड़ा कार्य उन्हें सौंपा गया । जब ई० आई० एल० इस कार्य को करने में सक्षम है तब उन्हें यह कार्य क्यों नहीं दिया जा रहा ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि डिजाइन इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य को ई० आई० एल० को विशेषता प्राप्त है और सरकार इसे स्वीकार करती है । यह एक सरकारी प्रतिष्ठान है और सरकार उसकी सेवाओं का उपयोग करना चाहेगी । मथुरा शोधनशाला के बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि ई० आई० एल० हमारे मुख्य परामर्शदाता एवं ठेकेदार हैं। जैसा कि माननीय सदस्य को पता है कि इस प्रश्न के दो पहलू हैं। शोधनशाला को जो कार्य सोवियत संघ को सौंपा गया है उसके लिए स्वदेशी उपकरण और कच्चा माल जुटाना तथा स्वदेशी उपकरणों, कच्चे माल, तथा निर्माण कार्य का अधीक्षण करना है । इसके इलावा ई० आई० एल० को मथुरा शोधनशाला को विस्तृत इंजीनियरिंग, निर्माण, अधीक्षण, वसूली तथा अन्य परियोजना प्रबन्ध कार्य सौंपे गये हैं। यह स्पष्ट है कि सरकार ई० आई० एल० की विशेषज्ञ सेवाओं का पूरा उपयोग करने के लिए उत्सुक है ।

Employees of I.R.C.A. Under Railway Board

†*135. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of Railways be pleased to state,

(a) Whether the employees of the Indian Railway Conference Association have again requested the Government to bring the I.R.C.A. directly under the Railway Board; and

(b) If so, whether Government have agreed to reconsider this question ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। गत वर्ष इस मामले पर सविस्तार विचार किया गया था और यह विनिश्चय किया गया था कि भारतीय रेल सम्मेलन का पृथक अस्तित्व कायम रखा जाय।

Shri Nawab Singh Chauhan : Do you feel that on account of this policy of government the employees of I.R.C.A. suffer considerably, their promotions are withheld and they do not get all those facilities and rights which are made available to other railway employees ? If so, whether Government's this policy is not discriminatory; and if so, why ?

Prof. Madhu Dandavate : The matter was considered in depth and it was found that there is no need to change the existing arrangement. We want that more and more agencies be kept separate instead of bringing them under the control of Railway Ministry. It has also been kept separate. It must be ensured that it functions properly. I.R.C.A. was formed in 1904-5 and it is an independent institution. Discussions are held with it on various issues and schemes concerning railway interests. It will be better if such an institution functions independently instead of bringing it under the control of Railway Ministry. It has been the policy. So it has not been brought under the control of Railway Ministry.

Shri Nawab Singh Chauhan : May I know whether the Railway Board has given the same rights to the employees of I.R.C.A. which have been given to other railway employees? Further whether they have got the right to make an appeal upto Rashtrapati which the other railway employees have got ?

Prof. Madhu Dandavate : They have got a union affiliated with N.F.I.R. It is a recognised federation. Certain issues pertaining to it come before us. But the policy followed by the Ministry of Railways so far is that we do not deal directly with any category of union. We deal with the Federation. This has been our approach so far as this union is concerned.

असम में तेल की खोज

*138. **श्री निहार लास्कर** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में तेल की खोज करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में नये सिरे से सर्वेक्षण करने के लिए अमरीका सरकार से अनुरोध किया गया है, यदि हाँ तो इस बारे में अमेरिका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त प्रयोजन के लिए चालू वर्ष में देश में खोज के लिए किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया और इस सम्बन्ध में किये गये करारों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) कई दशाब्दियों से असम में तेल की खोज का काम चल रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री निहार लास्कर: मेरे मित्र ने अपने उत्तर में कहा है :

"कई दशाब्दियों से असम में तेल की खोज का काम चल रहा है।"

यह बात न केवल हमें ही अपितु समूचे विश्व को मालूम है । परन्तु मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग या किसी अन्य एजेन्सी द्वारा तेल की खोज करने के लिये कुछ नये स्थानों का चयन किया गया है और उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा: माननीय सदस्य का कहना है कि यह बात समूचे विश्व को मालूम है कि असम में तेल निकाला जा रहा है । पूछा गया प्रश्न इस प्रकार है : 'क्या सरकार ने असम में तेल की खोज करने का निर्णय लिया है।" और इसका उत्तर दे दिया गया है ।

श्री निहार लास्कर: मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने तेल की और खोज करने का निर्णय लिया है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा: माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि क्या और अधिक ड्रिलिंग किये जाने का विचार है । उन्हें मालूम है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने असम में 21 स्थानों पर ड्रिलिंग की है जिनमें दासनाजमुख, रुद्रसागर, लक्वा आदि शामिल हैं। इन 21 स्थानों में से केवल 8 स्थानों पर अभी तक तेल मिला है । रुद्रसागर और लक्वा में विकास तथा ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है । यह काम गावेक्सी पर तीव्र गति से हो रहा है । इस समय लक्वा, चाराली, लखमनी और बोरहोल स्थानों पर खोज के लिये ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कछार जिले में चारगोला तथा मासिमपुर, जिनमें माननीय सदस्य विशेषरूप से रुचि रखते हैं, तथा लक्षिमजय, बोरपटहरम और होलोंगोपर क्षेत्रों में ड्रिलिंग का काम शुरू करने का विचार कर रहा है । चारगोला पर रिग निर्माण तथा अन्य प्रारम्भिक काम पूरा हो चुका है और कुंए की खुदाई इस महीने के अन्त तक या अगले महीने के शुरू में आरम्भ की जायेगी।

महाराष्ट्र एक्सप्रेस

*139. **श्री वसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र एक्सप्रेस की औसत गति मुख्य ट्रन्क मार्ग की अन्य एक्सप्रेस गाड़ियों की तुलना में काफी धीमी है;

(ख) यदि हां, तो उस की गति बढ़ाने और भोजनयान जैसी अन्य सुविधाओं की उसमें व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या महाराष्ट्र एक्सप्रेस के मार्ग को नागपुर से आगे गोंदिया, बोकारो तक बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) वर्ष 1975-76 में भारतीय रेलों पर बड़ी लाइन की डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों की औसत रफ्तार जो 46.4 कि० मी० प्रति घंटा थी, की तुलना में, 83/84 महाराष्ट्र एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 39 कि० मी० प्रति घंटा है ।

(ख) महाराष्ट्र एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ाने के लिए वर्तमान ठहरावों की संख्या घटाना वर्तमान उपयोगकर्ताओं को पसंद नहीं आयेगी और इसीलिए ऐसा करना वांछनीय नहीं है । इस गाड़ी में अतिरिक्त डिब्बे लगाने की गुंजाइश नहीं है । मार्गवर्ती स्टेशनों पर खान-पान की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री वसन्त साठे: मेरे मित्र ने जो उत्तर दिया है उससे मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ है कि क्योंकि मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र से होने के नाते उन्हें उस गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों की दशा के बारे में मालूम होगा। महाराष्ट्र में ही पुणे से नागपुर तक यदि कोई गाड़ी इस दूरी को तय करने में 24 घण्टे से अधिक का समय लेती है तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज यह गाड़ी चलती होगी। आप इसे एक्सप्रेस गाड़ी क्यों कहते हैं जबकि यह एक यात्री गाड़ी की गति पर चलती है, प्रत्येक स्टेशन पर रुकती है और नागपुर से पुणे तक की दूरी को तय करने में इतना अधिक समय लेती है। सभी दैनिक यात्रियों से शिकायतें मिली हैं। आप इस गाड़ी से यात्रा करने वाले किसी भी ऐसे एक यात्री को नहीं पायेंगे जो इस गाड़ी की गति के बारे में शिकायत न करता हो। इस गाड़ी की गति बढ़ाने के लिये क्या किया जा रहा है यह मैं जानना चाहता हूँ। आप भाड़ा एक्सप्रेस गाड़ी का लेते हैं और गाड़ी यात्री गाड़ी की स्पीड से चलती है। आप इसे पैसेन्जर गाड़ी कहें उसी का किराया वसूल करें।

प्रो० मधु दण्डवते: जहां तक गति का सम्बन्ध है, मैं मानता हूँ कि यह पैसेन्जर और एक्सप्रेस गाड़ी की गति के बीच की गति है। मैं मानता हूँ कि यह न तो पैसेन्जर गाड़ी है और न ही एक्सप्रेस गाड़ी है।

इस सभा के माननीय सदस्यों तथा गाड़ी के यात्रियों या उपयोगकर्ताओं द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों में एक बात परस्पर विरोधी है। यात्री चाहते हैं कि कुछ गड़ियां पैसेन्जर गाड़ियों से तेज चलनी चाहिए जबकि अन्य व्यक्ति चाहते हैं कि गाड़ी के ठहराव अधिक होने चाहिए ताकि सभी स्टेशनों के यात्रियों के हितों को देखा जा सके। यदि हम लगभग सभी लाइनों पर सभी एक्सप्रेस या तेज गाड़ियां चलाते हैं तो हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे जो ठहराव चाहते हैं।

श्री वसन्त साठे: इस मामले पर क्षेत्रीय समिति में भी चर्चा की गई है। इस समस्या का समाधान कई तरीकों से किया जा सकता है। गति बढ़ाने तथा गाड़ी ठहराने के लिये तरीके निकाले जा सकते हैं। रात्रि के समय गति बढ़ाई जा सकती है और कुछ क्षेत्रों में जब गाड़ी दिन के समय में गुजरती है तो गति कम की जा सकती है और अधिक स्टेशनों पर खड़ी की जा सकती है। आम तौर पर आधी रात में कोई व्यक्ति इस गाड़ी का उपयोग नहीं करता। यदि आप चाहते हैं कि यह एक्सप्रेस गाड़ी चलती रहे तो इसे जनता गाड़ी कहा जाये और इस पर एक्सप्रेस गाड़ी का किराया न लिया जाये। जब तक आप एक्सप्रेस गाड़ी का किराया लेते हैं तो इसकी गति भी एक्सप्रेस गाड़ी की होनी चाहिये।

प्रो० मधु दण्डवते: हम इस सुझाव पर विचार करेंगे। मैं एक कठिनाई बताना चाहता हूं। जिस रास्ते पर महाराष्ट्र एक्सप्रेस चलती है, उस पर पहले से ही लाइन क्षमता चरम बिन्दु पर है। यदि हम वर्तमान गति को बढ़ाते हैं, तो इससे कई गाड़ियां प्रभावित होंगी ? अतः मैं माननीय सदस्य के साथ बैठकर उन्हें कठिनाइयां बताऊंगा और उन्हें आश्वस्त करूंगा। यदि वह मुझे आश्वस्त करते हैं तो मैं इसमें परिवर्तन करूंगा।

श्री सोनूसिंह पाटिल: क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि महाराष्ट्र एक्सप्रेस को विभिन्न स्टेशनों, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वड़वाड़, मसावाड़ और काजगांव आदि पर रोकने के लिये जोरदार मांग की जा रही है ?

प्रो० मधु दण्डवते: आप देखेंगे कि दोनों सदस्य परस्पर विरोधी बात कह रहे हैं। वह चाहते हैं कि ठहरावों की संख्या बढ़ाई जाये। इससे गति और भी कम हो जायेगी क्योंकि औसत गति कम करनी होगी। इन सभी समस्याओं पर विचार करना होगा।

श्री आर० के० म्हालगी: इस एक्सप्रेस गाड़ी के साथ एक भोजनयान न जोड़े जाने सम्बन्धी कठिनाइयां क्या हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते: जहां तक भोजन यानों की व्यवस्था का सम्बन्ध है, हमने कतिपय गाड़ियों के भोजन यान लगाने, कतिपय अन्य गाड़ियों के साथ पेन्ट्री कार लगाने और बेस किचन से भोजन सप्लाई करने के बीच एक प्रकार का सन्तुलन बनाये रखने का प्रयास किया है जो आवश्यकता तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है ।

मैं श्री साठे को एक कठिनाई बताता हूं कि यदि भोजन यान साथ लगाया जाता है तो गाड़ी में यात्रियों की क्षमता कम हो जाती है । हम भोजन यान हटाकर पेन्ट्री कार चालू कर रहे हैं क्योंकि यात्री क्षमता को बढ़ाना है । इसका यही कारण है ।

श्री शंकरराव माने: मैं माननीय रेल मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह कोल्हापुर से बम्बई जाने वाली महालक्ष्मी एक्सप्रेस गाड़ी, जो आमतौर पर 22 घन्टे लेती है, का यात्रा समय कम करने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग गाड़ी है और एक भिन्न प्रश्न है ।

मेरे विचार में प्रश्न समाप्त हो गये हैं । यदि सदस्य चाहें तो हम दूसरी बार प्रश्न ले सकते हैं । हमारे पास 10 मिनट शेष बचे हैं । मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

एर्नाकुलम-एलप्पी रेलवे लाइन बिछाने का सर्वेक्षण और उससे सम्बद्ध खर्च

*125. **श्री वी० एम० सुधीरन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से एर्नाकुलम और एलप्पी के बीच रेलवे लाइन की शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलवे लाइन पर कुल कितना खर्च आयेगा ; और

(ग) इस रेलवे लाइन के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) एर्नाकुलम से एलप्पी तक की लाइन पर लगभग 5 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है ।

(ग) इस लाइन का निर्माण शुरू करने के प्रश्न पर सरकार, योजना आयोग के परामर्श से, सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

श्री वी० एम० सुधीरन् : महोदय, जहां तक केरल का सम्बन्ध है उसके लिये यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजना है । राज्य सरकार ने सरकारी भूमि और लकड़ी के स्लीपर देकर इस मामले में अपनी गहरी रुचि का परिचय दिया है । उसने सर्वेक्षण पर 1 लाख रु० व्यय किये हैं और उस क्षेत्र के लोगों ने पूरी संख्या में मजदूर देने तथा ऐसा कार्य करने की, जिसमें विशेष कुशलता की जरूरत नहीं, पेशकश भी की है ।

इसलिए क्या मंत्री जी निश्चित आश्वासन देंगे कि परियोजना को मंजूरी दे दी जायेगी और कार्य इसी वर्ष आरम्भ हो जायेगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : आरम्भ में जब हमने योजना आयोग से इस विशेष लाइन के लिए मंजूरी देने और उसे 1977-78 के बजट में शामिल करने की बात कही तो मंजूरी नहीं दी गयी । उसके बाद कार्य में कुछ प्रगति हुई है । पहले इस पर 5 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान था पर अब चूंकि केरल सरकार भूमि, लकड़ी के स्लीपर निःशुल्क देने और मजदूरों की व्यवस्था करने को राजी हो गई है, इसलिए यह खर्च 4.55 करोड़ रुपये तक आने का अनुमान है । हम अब इस प्रस्ताव पर पुनः

विचार कर रहे हैं । पहले हमें आय के आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर दिये गये थे । अब हम पुनः व्यावहारिकता प्रतिवेदन पर विचार कर योजना आयोग से बातचीत कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि मंजूरी मिलने पर हमारा मंत्रालय इस लाइन को बिछाने की योजना को कार्यान्वित करने के लिए तैयार है ।

श्री एन० श्रीकांतन नायर: महोदय, चूंकि यह लाइन केरल तट के साथ-साथ जाती है जो देश का सबसे निर्धन भाग है और एलेप्पी पत्तन के पास से भी गुजरती है जिसकी हालत बहुत खराब है, क्या मंत्रालय सम्बन्धित मिसिल पर शीघ्र कार्यवाही करेगा ? ये दो बातें अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, यही कारण है कि हमने मंत्री स्तर पर यह निर्णय लिया है कि हमें योजना आयोग से परामर्श करके ही इस लाइन का निर्माण करना चाहिये । एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में मैंने बता दिया है कि हमें इस लाइन के लिए योजना आयोग की मंजूरी लेनी होगी ।

श्री वयालर रवि : मंत्री जी ने इस परियोजना पर खर्च में कमी होकर 4.55 करोड़ रुपये रह जाने की बात कही है । इस 52 कि० मी० लम्बी लाइन के लिए महाप्रबन्धक, निर्माण के पास सब सामान उपलब्ध है जिससे खर्च और भी कम हो जायेगा । केरल में तो किसी स्थान पर यह सामान बेकार पड़ा है । क्या आप पटरियों सहित सभी वस्तुओं पर होने वाले व्यय का भी हिसाब लगायेंगे । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप योजना आयोग से बिना सलाह किये यह कार्य स्वयं करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, हम योजना आयोग की मंजूरी लिये बिना इस परियोजना को आरम्भ नहीं कर सकते । इसलिए उस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही यह कहकर उत्तर दे दिया है कि हमने उन सभी पहलुओं पर विचार किया है जिनसे मूल अनुमान लागत को कम किया जा सके । यही कारण है कि हम इस मामले में आगे कार्यवाही कर रहे हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2
SHORT NOTICE QUESTION NO 2

ट्रक-ट्रैक्टरों की खरीद के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा टैण्डरों का मंगाया जाना

अ० सू० प्र० 2. डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने ट्रक-ट्रैक्टरों की खरीद के लिए टैण्डर आमंत्रित किये थे;

(ख) क्या आमंत्रित किये गये टैण्डर 3 मार्च, 1976 को खोले गये थे;

(ग) क्या 24 ट्रकों का ठेका मारुति हैवी व्हीकल्स लिमिटेड को दिया गया था;

(घ) क्या मारुति लिमिटेड द्वारा लिया गया मूल्य न्यूनतम मूल्य के टैण्डर से लगभग दुगना था; और

(ङ) क्या ठेके का इस प्रकार दिया जाना अनियमित था ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) ट्रक-ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 16 जनवरी, 1976 को टैण्डर मांगे थे जिनकी खुलने की तिथि 4 मार्च, 1976 थी ।

(ग) सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने मारुति हैवी व्हीकल्स लि० को 73,47,707.00 रुपये के कुल सी० आई० एफ० मूल्य के बिना तेल-क्षेत्र उपकरण के 12 ट्रक-ट्रेक्टर तथा तेल-क्षेत्र उपकरण सहित 2 ट्रक-ट्रेक्टरों के लिये ठेका दिया गया था ।

(घ) जिस समय उक्त ट्रक-ट्रेक्टरों के लिए आर्डर दिये गये थे, उस समय मारुति हैवी व्हीकल्स की कोटेशन सबसे कम थी ।

(ङ) ठेका देते समय यदि कोई अनियमितता थी, इस प्रश्न पर इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है ।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : महोदय, चूंकि यह मामला जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है इसलिए लगता है कि प्रथमदृष्टया मामला बनता है । प्रश्न यह है कि उसके विचारार्थ विषय क्या हैं ? यह स्पष्ट है कि ये ट्रक मारुति द्वारा तो नहीं बनाये गये थे वरन् इन्टरनेशनल हारवेस्टर नामक विदेशी कम्पनी से आयात किये गये थे । दूसरे सरकार द्वारा मूल्य दिये जाने के अतिरिक्त इस कम्पनी ने मारुति कम्पनी को कमीशन भी दिया था । क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो विषय के इस पहलु पर भी विचार करेगा ? मैं यह भी जनता चाहता हूं कि कितना कमीशन दिया गया था और उस कमीशन को कहां जमा कराया गया ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि ये ट्रक मारुति हैवी व्हीकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित नहीं किये जा रहे थे । इन्हें आयात किये जाने का प्रश्न है । कमीशन तथा अन्य बातों के बारे में जांच के बाद ही पता चलेगा । चूंकि इस विषय में केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है अतः इस विषय में किसी विशेष व्यक्ति अथवा घटना का उल्लेख उचित नहीं होगा । सम्पूर्ण कारोबार में बहुत-सी बातें ऐसी हुई हैं जो असामान्य हैं । उनकी जांच की जरूरत है । इसीलिए वर्तमान सरकार ने विषय को ब्यूरो को जांच के लिए सौंपना आवश्यक समझा है ।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : मुझे खुशी है कि विचारार्थ विषय काफी व्यापक रखे गये हैं । मैं यह भी जानकारी चाहता हूं कि यह ब्यूरो कितने व्यक्तियों के बारे में जांच करेगा ? क्या ब्यूरो अनुचित प्रभाव डालने और अपने अधिकारों के दुरुपयोग के बारे में भी उत्तरदायित्व नियत करेगा । क्या मंत्री स्तर तक जांच की जायेगी और क्या यह देखा जायेगा कि प्रधान मंत्री ने भी अपने अनुचित प्रभाव से काम लिया ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह तो एक सीमित मामला है । इसका सम्बन्ध पिछली सरकार की सभी कार्यवाहियों से नहीं है । यहां तो निर्धारित तिथि तक टैण्डर आमंत्रित किये गये थे । कुछ टैण्डर समय पर प्राप्त हुए और कुछ समय पर प्राप्त नहीं हुए । उदाहरण के लिए मारुति टैण्डर निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुआ पर फिर भी अभिलेखों से पता चलता है कि उस टैण्डर पर टैण्डर समिति द्वारा विचार किये जाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने विशेष रुचि ली थी । यह एक लम्बी कहानी है जिसमें पर्याप्त घोटाले हैं । टैण्डरों को दोबारा मंगाने और टैण्डर देने वाली पार्टियों से बातचीत करने के लिए भी बार-बार प्रयत्न किये गये और अन्त में यह निश्चय किया गया कि ट्रकों की संख्या कम कर दी जाये ताकि मारुति को क्रय आर्डर दिया जा सके । मूल अनुमान 1.29 करोड़ रुपये का था लेकिन जब यह पता लगा कि मारुति द्वारा दी गई निर्ख 1.76 करोड़ रुपये तक पहुंचेगी तो ट्रक सप्लाई किये जाने की संख्या घटा दी गई । ऐसे कई मामले हैं जिनके बारे में जिम्मेवारी निर्धारित की जानी है । पिछले पेट्रोलियम मंत्री ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कई मामलों पर विचार किये जाने के लिए रुचि दिखाई । इन सभी की जांच होगी और सरकार उस पर विचार करेगी ।

डा० बंसत कुमार पंडित : कितने टैण्डर प्राप्त हुए थे और किन-किन से प्राप्त हुए और क्या मूल्य लिखे गये थे ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : आरम्भ में तो हमें उत्तर ऐसे ही देना चाहिये था । शुरू में 21 टैण्डर समय पर प्राप्त हुए और 8 विलम्ब से प्राप्त हुए । बाद में जैसा कि मैंने कहा है यह प्रयत्न किया गया कि टैण्डरों के मामले पर पुनः विचार किया जाये और जिन्होंने विलम्ब से टैण्डर दिये थे उनके साथ बातचीत की जाये । इसलिए किस समय कितने टैण्डर मिले यह कहना कठिन है । यदि सदस्य विशेष रूप से पूछना चाहें तो उस का पता किया जा सकता है । एक विशेष पार्टी द्वारा दिये गये टैण्डर मूल्य के आंकड़ों का पता चल जाने पर पुनः बातचीत की गई और दोबारा टैण्डर भरने का अवसर दिया गया । इस प्रकार के अनियमित कार्य किये गये जिनके बारे में लोक लेखा समिति को चलता रहा अतः उन सभी पर विचार होगा ।

Shri Om Prakash Tyagi : May I know whether any standard was fixed for the firms which were to submit tenders and whether the firms which submitted tenders were not manufacturing concerns. Were they simply importers ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : अधिकतर टैण्डर उनके आये थे जो आयात करते थे क्योंकि उस प्रकार के ट्रक देश में बनाये ही नहीं जाते ।

Shri Nirmal Chandra Jain : Whenever any case is referred to C.B.I. they are not provided with terms of reference but are given line of action. So may I know whether in the present case also line of action for investigation has been given to find out irregularities ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह कहना मेरे लिए बहुत कठिन है । सदस्य महोदय यह नहीं चाहेंगे कि मेरे कुछ बताने से जांच की सफलता पर आंच आये । इससे उन लोगों को मौका मिल जायेगा जो साक्ष्य को समाप्त करना चाहते हैं । अतः जनहित में कुछ कहना उचित नहीं ।

श्री समर गुह : क्या यह सही है कि हैदराबाद के भूतपूर्व चीनी के उद्योगपति को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का चेयरमैन नियुक्त करना एक राजनीतिक नियुक्ति थी ? क्या मारुति के मामले में उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत करना उसी का काम था । यदि ऐसा है तो क्या सरकार इस अधिकारी की भूमिका के बारे में जांच करायेगी और क्या इतनी शिकायतों के बावजूद उस सज्जन का इस संस्थान में बना रहना उचित है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह प्रश्न नुकसान का है और आयोग के चेयरमैन के बारे में विशेष रूप से नहीं है । माननीय सदस्य सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं । उन्होंने जो जानकारी दी है, उस पर ध्यान दिया जायेगा ।

श्री चे० एस० चावड़ा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास ट्रैक्टर हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । तेल निकालने सम्बन्धी उपकरणों सहित ट्रक ट्रैक्टर 31-3-77 तक मिलने चाहिये थे और बिना इन उपकरणों के दो ट्रक-ट्रैक्टर अप्रैल, 1977 में मिलने थे । लेकिन अभी तक इस आयोग को कोई माल नहीं मिला है । ऑयल फील्ड उपकरणों के बिना 10 ट्रक-ट्रैक्टरों के साख-पत्र 24 अप्रैल, 1977 को अमान्य हो गये और शेष दो ट्रक-ट्रैक्टरों के साख-पत्र 24 जुलाई, 1977 को अमान्य हो जायेंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon'ble Minister has just now told that the Maruti Ltd. did not figure in the list of firms who earlier submitted tenders. I would like to know the person who took the decision to reopen tenders and to start negotiations. Was it a political decision ?

This company did not supply trucks in time. Keeping this fact in view may I know whether any action was taken under the penalty clause ?

श्री रवीन्द्र वर्मा: प्रश्न के पहले भाग के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि मारुति से टैण्डर समय पर प्राप्त नहीं हुआ । टैण्डर खोलने की अन्तिम तिथि 4 मार्च, 1976 थी । टैण्डर समिति ने टैण्डरों का तकनीकी मूल्यांकन 8 जून, 1976 तक पूरा कर लिया था । टैण्डर समिति ने यह लक्षित किया कि मैसर्स मारुति ने 'पोत प्रयन्त निःशुल्क' के आधार पर 45,19,72.85 रुपये मूल्य लिखा जिसमें कमीशन शामिल था पर प्रशिक्षण परिवर्तन शामिल न था । अमरीकी डालरों में यह राशि 14580 बैठती थी । 'आयल फील्ड' उपकरणों के बिना यह निर्ख तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य निर्खों में सबसे कम मूल्य की थी । पेट्रोलियम मंत्रालय ने 25 मई, 1976 को इसे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को यह लिखते हुए भेज दिया कि वे जिस हारवेस्टर ट्रक-ट्रैक्टर सप्लाई कर रहे हैं वे तकनीकी कसौटी पर भी पूरे उतरते हैं और सबसे कम मूल्य भी हैं । पेट्रोलियम मंत्रालय ने पत्र में यह भी लिखा कि हालांकि यह टैण्डर विलम्ब से प्राप्त हुआ है तथापि उस पर विचार करना आयोग के अपने हित में होगा ।

श्री के० सूर्यनारायण: क्या यह बात रिकार्ड में है कि किसी स्तर पर किसी सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी ने मंत्री जी या किसी अन्य उच्च अधिकारी के ध्यान में यह बात ला दी थी कि इसमें अनियमिततायें हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा: एक या दो बार ऐसा कहा गया कि जिसका सुझाव दिया जा रहा है वह सर्वोत्तम नहीं है । यदि माननीय सदस्य मुझे हर बात की जानकारी देने को कहेंगे तो उसका जांच पर असर पड़ेगा ।

श्री यादवेन्द्र दत्त: मैं जानना चाहता हूं कि टैक्टर लिए बिना क्या मारुति हैवी व्हीकल्स लिमिटेड को आंशिक अथवा पूरी राशि दे दी गई थी । यदि हां, तो कितनी राशि दी गई ?

श्री रवीन्द्र वर्मा: मुझे इस प्रश्न की सूचना चाहिये क्योंकि राशि की ठीक जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री राम जेठमलानी: अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो बड़ी कुशलता से जांच कर रहा है । परन्तु इस मामले से भी कम अपराध के मामले में सरकार ने सदैव यह आग्रह किया है कि पूछताछ और कुशल जांच के लिए अभियुक्त को हिरासत में लिया जाये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या नीति सम्बन्धी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस विशेष मामले से सम्बन्धित अपराधियों को एक दिन भी हिरासत में लिए बिना जांच की जाये । क्या मंत्री जी को यह अजीब नहीं लगा कि श्री संजय गांधी न्यायालय में जाते हैं और प्रत्येक मामले में पुर्वानुमानित जमानत ले लेते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने अभियोजक किन को रखा है । जमानत का विरोध किया भी जाता है या नहीं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुझे पता नहीं कि आप प्रश्न के दूसरे भाग को अनुमति दे रहे हैं या नहीं । जहां तक 'प्रथम भाग का सम्बन्ध है जांच का उद्देश्य उत्तरदायित्व नियत करना और यह पता लगाना है कि कौन किस हद तक दोषी है । जांच के चलते हुए हमारे लिए यह कहना सम्भव नहीं कि दोषी कौन है ?

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके विभाग ने ट्रैक्टरों के शेष क्रयादेशों को रद्द क्यों नहीं किया है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा: क्रयादेश रद्द नहीं किया गया है लेकिन उस आदेश के अनुसार माल सप्लाई ही नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि माल नहीं सप्लाई किया गया इसलिए क्रयादेश रद्द क्यों नहीं किया गया ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : क्रयादेशों को इतनी आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका प्रभार देना होता है । इसलिए बड़ी सावधानीपूर्वक कार्यवाही करनी होती है । क्या वह चाहते हैं कि हम भी पिछली सरकार का ही तरीका अपनायें ?

Shri Bharat Bhushan : The voltas are the agents of the International Harvesters. Had they given the tender ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : 'वोल्टास' ने टैण्डर दिया हो ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Closure of Sitamau and Manasa out-agencies (Western Railway)

****121. Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether serious bunglings were reported in Sitamau and Manasa Railway out-agencies of Western Railway and they were closed down;

(b) whether the persons managing or running these agencies or the persons to whom these agencies were given have not only cheated the Railways but also looted the public by preparing a large number of forged railway receipts;

(c) whether any enquiry has been conducted in the matter; and

(d) if so, the action taken so far ?

Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Yes, Sir.

(b) 49 Railway receipts were issued by Sitamau Out-Agent without delivering the consignments at the rail-head for onward despatch. Besides, there were 16 cases of mis-declaration of goods. In case of Manasa Out-Agency, there was only a delay in delivering some consignments at the rail-head after booking.

(c) Yes, Sir.

(d) As regards Manasa Out-Agency, the contract has been terminated and action has been taken to recover the railway dues from the Manasa Out-Agency contractor. In regard to Sitamau Out-Agency, as a result of investigations conducted, two criminal cases have been registered against the contractor of Sitamau Out-Agency, and proceedings are still going on in the Court of Judicial Magistrate, Mandsaur. Sitamau Out-Agency has since been closed.

सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में समुद्र तट से दूर तेल की खोज

***122. श्री एफ० पी० गायकवाड :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री 24 अगस्त, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1306 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में तेल की खोज के कार्य में एक समन्वेषी कुएं से अच्छे परिणाम निकले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में तेल की अग्रेतर खोज के बारे में निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितने कुओं की खुदाई करने का विचार है तथा उसकी क्या सम्भावनाएं हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) कच्छ अपतटीय क्षेत्र में अभी तक और अधिक खोज करने से सम्बन्धित कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

रेल सुविधायें

*123. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ स्थानों के लिए अधिक से अधिक रेल सुविधाएं देने और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की ओर ध्यान न देने के पिछली सरकार के प्रयासों की कोई जांच की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ख) क्या निकट भविष्य में रेलगाड़ियों का समय बदलने और पिछड़े क्षेत्रों सहित अन्य महत्व-पूर्ण क्षेत्रों में रेल सुविधाएं देने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) अभी तक ऐसा कोई जांच-पड़ताल नहीं की गयी है ।

(ख) अतिरिक्त गाड़ियों के चलाये जाने की मांग, जिसमें पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त गाड़ियां चलाना भी शामिल है, के बारे में यातायात के औचित्य तथा अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा ।

भोजन-यानों में काम करने वाले कमीशन बैरा

*124. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है कि भोजन-यानों में काम करने वाले कमीशन बैरों को पदोन्नति/नियमित चतुर्थ संवर्ग में खपाये जाने के कोई अवसर प्राप्त नहीं हैं; और

(ख) क्या सरकार के पास रेलवे कर्मचारियों की इस श्रेणी के कर्मचारियों की कार्य करने की स्थितियां, मंजूरी तथा पदोन्नति के अवसर सुधारने के लिए कोई प्रस्ताव हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) भोजन-यानों में कमीशन के आधार पर काम करने वाले बैरों के लिए पदोन्नति की कोई सारणी नहीं है। तथापि, उन्हें श्रेणी IV के नियमित संवर्गों में समाहित किए जाने के अवसर मौजूद हैं ।

(ख) सेवा की शर्तों, वेतन और पदोन्नति के अवसरों के बारे में निरन्तर समीक्षा की जा रही है ।

मारुति लिमिटेड

*130. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड परिसमाप्त हो गई है अथवा उसका परिसमापन होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसके निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख) मैसर्स मारुति लिमिटेड के सम्बन्ध में कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को समापन याचिका का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । सरकार को समाचार-पत्र की रिपोर्टों से जानकारी है कि समापन कार्यवाहियां पंजाब और हरियाणा, चण्डीगढ़ के उच्च न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत हैं, जिनके ब्यौरों की जानकारी नहीं है ।

(ग) इसके निदेशकों और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के प्रश्न पर, उच्च न्यायालय द्वारा समापन के आदेश दिये जाने पर, उच्च न्यायालय से सम्बद्ध शासकीय समापक द्वारा विचार किया जाएगा ।

अमेरिकी कम्पनियों द्वारा कच्छ और पश्चिम बंगाल में छिद्रण कार्य में विलंब

*133. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अमेरिकी कम्पनियों को सूचित किया है कि वे गुजरात के कच्छ क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल में छिद्रण कार्य आरम्भ करें;

(ख) क्या भारत और अमेरीका की दो कम्पनियों के बीच 1 नवम्बर, 1975 से 2½ वर्ष के लिये पहले एक ठेके पर हस्ताक्षर किये गये थे लेकिन उन्होंने इसको क्रियान्वित नहीं की; और

(ग) यदि हां, तो तेल के लिए छिद्रण का कार्य आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हे० न० बहुगुणा) : (क), (ख) तथा (ग) पश्चिम बंगाल के तट से दूर महाद्वीपीय यम्न तट तथा उड़ीसा के कुछ भाग का अन्वेषण करने के लिए अमरीका के कार्ल्सबर्ग इण्डिया ग्रुप को तथा कच्छ बेसिन के महाद्वीपय यम्न तट का अपतटीय अन्वेषण करने के लिए अमरीका की रीडिंग और बेट्स ग्रुप को वर्ष 1974 में ठेके दिये गये थे । ठेके क्रमशः 27 और 24 वर्षों की अवधि के लिये हैं । इन ठेकों की लागू होने की तिथि पहली अगस्त, 1974 थी । कार्ल्सबर्ग ग्रुप को भूकम्पीय सर्वेक्षण पूर्ण करना, 5,000 वर्ग किलो मीटर के अतिरिक्त सबको मुक्त करना, ठेका लागू होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के अन्वेषण चरण-I में दो कुओं की खुदाई और 5 मिलियन डालर में से कम से कम खर्च करना इस ठेके के अन्तर्गत पूरा करना था । इसी प्रकार रीडिंग तथा बेट्स ग्रुप की भूम्कपीय सर्वेक्षण पूर्ण करना, 5,000 किलो मीटर के अतिरिक्त सबको मुक्त करना, ठेका लागू होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के अन्वेषण के प्रथम चरण में दो कुओं की खुदाई 2.5 मिलियन डालर में से कम से कम खर्च करना आदि कार्य इस ठेके के अन्तर्गत अनिवार्य था । दोनों ठेकेदारों ने क्रमशः 17.99 मिलियन डालर और 11.83 मिलियन डालर खर्च करके ठेके के अन्तर्गत लगी शर्तों को पूरा किया । ठेकेदारों को जून, 1977 के अन्त से पहले यह सूचित करना है कि 1-8-1977 से आरम्भ होने वाले 2 वर्ष की अवधि के चरण-II का कार्य वे आरम्भ करना चाहते हैं अथवा नहीं ।

अरब सागर में तटदूर छिद्रण के लिए सर्वेक्षण

*134. **श्री स्कारिया थामस :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कष्ट करेंगे कि :

(क) क्या अरब सागर में कोचीन के निकट तटदूर छिद्रण के लिये सरकार ने हाल में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो किये गये सर्वेक्षण की मोटी रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हे० न० बहुगुणा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री के निहित स्वार्थ वाली कम्पनियों से मंत्रालय द्वारा किये गये खरीद कार्य

*136. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 जून, 1975 से 25 मार्च, 1977 की अवधि के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा ऐसी कम्पनियों से, जिनमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के पुत्र/पुत्रों और परिवार के अन्य सदस्यों का कोई भी हित निहित था, किये गये खरीद सौदों के मूल्य का क्या ब्यौरा है अथवा और कितने मूल्य के खरीद-सौदे किये जाने का प्रस्ताव था; और

(ख) तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) शायद माननीय सदस्य का तात्पर्य मारुति लिमिटेड तथा इससे सम्बद्ध व्यावसायिक उद्यमों से है। 25-6-1975 से 25-3-1977 की अवधि के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने उक्त कम्पनियों को निम्नलिखित आर्डर दिये :—

(i) 1.70 करोड़ रुपये की कुल लागत पर गुड़गांव स्थित मैसर्स मारुति हैवी व्हीकल्स प्रा० लिमिटेड से 40/45 मी० टन की क्षमता वाली 8 डेमाग क्रेनें।

(ii) मैसर्स मारुति हैवी व्हीकल्स प्रा० लि० गुड़गांव से 73,47,707.00 रुपये की कुल सी० आई० एफ० लागत पर बिना तेल क्षेत्र के उपकरणों वाले 12 ट्रक-ट्रैक्टर और तेल क्षेत्र के उपकरणों सहित 2 ट्रक-ट्रैक्टर।

उपरोक्त डेमाग क्रेनों के लिए मारुति हैवी व्हीकल्स प्रा० लि० के माध्यम से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा फालतू पुर्जों की खरीद के लिए दिनांक 5-3-1977 को 29.27 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की अदायगी की गयी थी। तथापि इसके लिए कोई आर्डर नहीं दिया गया है।

इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन किसी अन्य संगठन ने मारुति लिमिटेड अथवा इससे सम्बद्ध व्यावसायिक उद्यमों को किसी प्रकार का आर्डर नहीं दिया है।

रेल यात्रियों को सप्लाई किये जाने वाले भोजन का मूल्य

137. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में यात्रियों को ठेकेदारों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले भोजन के बहुत अधिक मूल्य वसूल किये जाने के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) जी नहीं, रेलों पर खान-पान ठेकेदार भोज्य पदार्थों की कीमत रेल प्रशासनों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार लेते हैं। यह दरें बाजार-दरों की तुलना में उचित होती हैं और उस क्षेत्र की दरों को ध्यान में रखते हुए इनकी निरन्तर समीक्षा करके उनमें संशोधन किया जाता है।

गुजरात राज्य द्वारा बम्बई की गैस व नर्मदा उर्वरक कारखाने में प्रयोग करने के बारे में अभ्यावेदन

140. **श्री डी० डी० देसाई : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई हाई की गैस का नर्मदा उर्वरक कारखाने के लिए प्रयोग किये जाने के बारे में गुजरात राज्य से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई हाई की एसोसियेटेड गैस को लाने लेजाने के इष्टतम व्यवस्था के प्रश्न की तकनीकी आर्थिक विचारधारा के आधार पर विशेषज्ञों और गुजरात तथा महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से जांच की गई थी और यह निर्णय किया गया है कि बम्बई हाई की एसोसियेटिड गैस को बरामता उरान से ट्रांम्बे तक एक अन्तःसागरीय पाइपलाइन से ले जाया जाना चाहिये, जहां पर एक तटीय-टर्मिनल स्थापित किया जायेगा । सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि गुजरात नर्मदा उर्वरक फैक्टरी की आवश्यकताओं सहित गुजरात की भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए दक्षिण अपतटीय क्षेत्र से गुजरात एक समुचित पाइपलाइन के माध्यम से मुक्त गैस को लाने लेजाने के लिए सम्भावी अध्ययन आयोजित किये जाने चाहियें ।

Replacing the existing pattern of production of Drugs

*141. **Shri Yagya Datt Sharma:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government propose to replace the existing pattern of production of drugs by a no profit no loss basis; and

(b) if so, the broad outlines of the scheme ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise. However, the Committee on Drugs & Pharmaceuticals (Hathi Committee), which submitted its report in April 1975, has made a number of recommendations in regard to rationalised control of prices of bulk drugs and formulations. These recommendations are under active consideration of the Government and a decision is likely to be taken soon.

भारतीय न्यायिक सेवा

1145. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख) संविधान के 42वें संशोधन में एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन करने के लिए समर्थ बनाने का उपबन्ध है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया था कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के समक्ष एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा । प्रस्तावित विधेयक को तैयार करते समय संविधान के 42वें संशोधन पर भी विचार किया जाएगा । इस बीच अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन से सम्बन्धित उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

Bringing Down Prices of Medicines

1146. **Shri Kalyan Jain** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether the Health Minister has called upon the drug manufacturers to bring down the prices of medicines;

(b) if so, the reaction of drug manufacturers thereto and the extent to which prices of medicines have been reduced indicating the names of medicines; and

(c) whether Government propose to supply raw materials to drug manufacturers at low and reasonable rates and if so, the facts in this regard ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b) The Minister of Health and Family Welfare at a meet-the-press programme in Bombay appealed to phamaceutical companies in the country to bring down voluntarily the prices of various drugs manufactured by them. The reactions of the manufacturers are not yet known.

(c) The prices of durgs are regulated under the Drugs (Prices Control) Order, 1970. A large number of bulk drugs which are used in the production of formulations are at present canalised through the CPC and are made available to the drug manufacturers at fair prices fixed by Government under a prescribed formula. Recently a review of the pricing formula of drugs imported through the CPC was made and certain reductions in the charges and margin allowed to the CPC were affected.

Appellate Bench of Income Tax at Bhagalpur

*1147. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to wind up the Appellate Bench of Income-tax at Bhagalpur;

(b) whether Government have received representations from peoples' organisations demanding continuance of the Bench in Bhagalpur; and

(c) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) There is no Bench of the Income-tax Appellate Tribunal at Bhagalpur.

(b) & (c) Do not arise.

काजीपेट के सिगनल और दूर-संचार के नैमित्तिक श्रमिकों का नौकरी पर बहाल किया जाना

1149. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काजीपेट के सिगनल और दूर-संचार के उन 150 नैमित्तिक श्रमिकों को नौकरी पर बहाल करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, जो मई, 1974 की हड़ताल के दौरान नौकरी से बर्खास्त किये गये थे, और

(ख) यदि हां, तो कब तक उन्हें बहाल कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्राफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) काजीपेट स्थित सिगनल एवं दूर-संचार विभाग के 158 नैमित्तिक श्रमिकों को, जो मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण बर्खास्त कर दिये गये थे, फिर से नौकरी में रखने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । उनमें से 140 ड्यूटी पर आ भी चुके हैं । शेष श्रमिक जैसे और जब ड्यूटी के लिए उपस्थित होंगे, उन्हें काम पर पुनः लगा दिया जायेगा ।

1974 की रेलवे हड़ताल के दौरान किया गया अतिरिक्त खर्च

1150. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1974 की रेल हड़ताल की अवधि के दौरान रेलवे अधिकारियों ने कुल कितना अतिरिक्त खर्च किया और किन शीर्षों के अन्तर्गत किया गया ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : 1974 की रेल हड़ताल की अवधि में रेलों द्वारा किया गया अतिरिक्त व्यय इस प्रकार है ।

(लाख रुपयों में)

1. कठिन ड्यूटी भत्ता	24.50
2. हड़ताल की अवधि में ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों को देय दैनिक भत्ते की ऊंची दरें जिसमें रनिंग भत्ता आदि भी शामिल था .	2.37
3. स्थानापन्न पदोन्नतियों सहित प्रादेशिक सेवा व्यवस्था की लागत .	196.51
4. अतिरिक्त सुरक्षा प्रबन्धों आदि की लागत	29.73
5. विभिन्न व्यय जैसे हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के भोजन, रेल पथ पर गश्त आदि	191.32
जोड़	444.43

परोर रेलवे स्टेशन

1151. **श्री दुर्गा चन्द्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट-जोगिन्दर नगर सेक्शन पर स्थित परोर रेलवे स्टेशन एक निर्जन स्थान पर स्थित है, जिससे यात्रियों और व्यापारियों को भारी असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे विभाग को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) :(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) परोर स्टेशन का स्थान बदलने के लिए अन्तिम अभ्यावेदन नवम्बर, 1972 में प्राप्त हुआ था, लेकिन प्रस्तावित स्थान पर भारी ढलानों और काफी मोड़ों के कारण यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं पाया गया था ।

नैमित्तिक गैंगमनों और श्रमिकों को नौकरी में खपाया जाना

1152. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत बड़ी संख्या में नैमित्तिक गेंगमैन और श्रमिक काफी समय से रेलवे विभाग में काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों की डिवीजन वार वास्तविक संख्या कितनी है और नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में उन्होंने कितनी-कितनी सेवा की है; और

(ग) इन नैमित्तिक श्रमिकों को नौकरी में खपाये जाने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय रेलों पर विविध स्थलों की आवश्यकतानुसार दिन-प्रतिदिन के आंकड़े अलग-अलग हैं; साथ ही आंकड़े यूनिटवार रखे जाते हैं, मंडलवार नहीं । वर्तमान में रेलों पर लगभग 2.5 लाख नैमित्तिक श्रमिक काम कर रहे हैं । उनकी सेवा-अवधि कुछ दिनों से लेकर 10 वर्ष से अधिक की है और हर एक नैमित्तिक श्रमिक की सेवा-अवधि बतलाना संभव नहीं है चूंकि इस बारे में आंकड़े इकट्ठे करना बहुत बृहत और कठिन काम है ।

(ग) वर्तमान में भारतीय रेलों पर चौथी श्रेणी के रिक्त पद, ग्राम तौर पर, छंटाई करने के बाद नैमित्तिक श्रमिकों में से भरे जाते हैं।

ओलवाकोट--त्रिवेन्द्रम सेक्शन का विद्युतीकरण

1153. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के अंतर्गत ओलवाकोट-त्रिवेन्द्रम सेक्शन के बीच रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और इस कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं।

(ख) लेकिन, केरल सरकार की ओर से विद्युतीकरण की निरन्तर मांग पर, ओलवाकोट-तिरूवनन्तपुरम खंड के बिजलीकरण के लिए लागत-एवं-व्यावहारिकता सर्वेक्षण की लागत वहन करने हेतु 50,000 रु० राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था । भूमि सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा दक्षिण रेलवे द्वारा परियोजना रिपोर्ट संकलित की जा रही है । परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस खंड के बिजलीकरण के बारे में अंतिम निर्णय लिया जायेगा लेकिन यह काम वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा सभी बिजलीकरण परियोजनाओं की पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद ही ओलवाकोट-तिरूवनन्तपुरम खंड के विद्युतीकरण की लागत का पता चलेगा।

संगचल कक्षों के निर्माण पर लागत-व्यय

1154. **श्री सन्तोषराव गोडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बढेरा, बलारशाहा, नारखेड और वरोसा में संगचल कक्षों के निर्माण पर स्वीकृत प्राक्कलन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपर्युक्त संगचल कक्षों के वास्तविक निर्माण पर कितना लागत-व्यय आयेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) बडनेरा, बल्हारशाह, नरखेड और वारोरा स्टेशनों पर रनिंग रूप के निर्माण के लिए निम्नलिखित पूर्वानुमानों की स्वीकृति दी जा चुकी है :—

बडनेरा

(1) ड्राइवरों और फायरमैनों के लिए 48 बिस्तर वाले रनिंग रूम की व्यवस्था--अनुमानित लागत 3.25 लाख रुपये ।

(2) रनिंग रूम (48 बिस्तर वाले) की व्यवस्था---अनुमानित लागत 4.47 लाख रु०

बल्हारशाह

(1) गार्डों और ड्राइवरों के लिए 36 बिस्तर वाले रनिंग रूम की व्यवस्था---अनुमानित लागत 3.48 लाख रुपये ।

(2) गार्डों और ड्राइवरों के लिए 12 बिस्तर वाले रनिंग रूम की व्यवस्था--अनुमानित लागत 1.22 लाख रुपये।

नडखेड

गार्डों और ड्राइवरों के लिए 18 बिस्तर वाले रनिंग रूम की व्यवस्था--अनुमानित लागत 1.80 लाख रुपये ।

बारोरा

गार्डों और ड्राइवरों के लिए 12 बिस्तर वाले रनिंग रूम की व्यवस्था--अनुमानित लागत 1.97 लाख रुपय ।

(ख) ये निर्माण-कार्य या तो चालू हैं या अभी हाल में पूरे किए गये हैं तथा उनसे सम्बन्धित लेखे को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है । इसलिए अभी उनके निर्माण की वास्तविक लागत का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन

1155. **श्री विजय कुमार मण्डल :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों में पिछली सरकार किसी खास उद्देश्य से किये गये संशोधनों को समाप्त करने की दृष्टि से उनमें संशोधन करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ख) क्या यह कार्य संसद् के चालू सत्र में करने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख) अन्य बातों के साथ इस दृष्टि से कि निर्वाचन यथासंभव स्वतंत्र, निष्पक्ष और कम खर्चीले हों, सरकार निर्वाचन विधि में परिवर्तन करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है। सरकार को इस विषय में विनिश्चय करने में कुछ समय लगेगा।

तमिलनाडु एक्सप्रैस के दूरदर्शन विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों का रेल सेवा में खपाया जाना

1156. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे का विचार उन कर्मचारियों को नियमित आधार पर रेल-सेवा में खपा लेने का है जो इस समय विगत सात वर्षों से तमिलनाडु एक्सप्रेस के दूरदर्शन विभाग में काम कर रहे हैं।

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : तमिलनाडु एक्सप्रेस 7 अगस्त, 1976 से चलाई गयी है। दूर-दर्शन पर नियुक्ति नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी रिक्तियों में समाहृति करने के बारे में अन्य नैमित्तिक कर्मचारियों के साथ-साथ विचार किया जायेगा।

बम्बई हाई के लिए सोवियत संघ से आयातित ड्रिलिंग रिग

1157. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में समुद्र तट से दूर खुदाई के लिए सोवियत संघ से आयात की गई ड्रिलिंग रिग मशीनें बेकार सिद्ध हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सोवियत संघ के अलावा अन्य देशों से बेहतर किस्म की ड्रिलिंग मशीनों का आयात करने के लिए सरकार से कोई प्रयास किये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) बम्बई हाई में अपतटीय व्यधन के लिए सोवियत संघ से किसी व्यधन रिग का आयात नहीं किया गया है।

आपात स्थिति के दौरान जबर्दस्ती सेवानिवृत्त किये गये कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को रोजगार दिया जाना

1158. **श्री गंगाधर अप्पा बुरड** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान जबर्दस्ती सेवा-निवृत्ति के शिकार व्यक्तियों को फिर से नौकरी पर बहाल करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उनके पुत्रों/पुत्रियों और आश्रितों को रोजगार देने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) : 1977-78 के रेल बजट के दौरान सरकार द्वारा की गयी घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों के मामलों पर अब पुनर्विचार किया जा रहा है।

तटदूर तेल की खोज के लिए एक अलग कम्पनी स्थापित करना

1159. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम्** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटदूर तेल की खोज के लिए एक अलग कम्पनी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) वे कौन-से स्थान हैं जहां इस समय तटदूर छिद्रण-कार्य चल रहा है और वे स्थान कौन-से हैं जहां पर यह कार्य चालू वर्ष के दौरान आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बम्बई हाई, गहन महाद्वीपीय मग्नतट क्षेत्र और बेसिन उत्तर तेल क्षेत्र में व्यधन कार्य किया जा रहा है। मन्नार की खाड़ी में भी एक विदेशी संविदाकार अर्थात् आसामेरा ग्रुप द्वारा व्यधन कार्य किया जा रहा है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, उपरोक्त क्षेत्रों में किये जा रहे व्यधन कार्य के अतिरिक्त, दक्षिण बेसिन, बम्बई की खाड़ी और बम्बई हाई तथा बेसिन क्षेत्र के दक्षिण के पास वाले मग्नतटीय क्षेत्र में व्यधन कार्य आरम्भ किया जायेगा।

तेल के उपयोग में किफायत करने संबंधी उपाय

1160. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों से तेल के उपयोग में किफायत बरतने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने उपाय किए हैं, उनका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) तेल के प्रयोग में किफायत करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित उपाय सुझाए गये हैं :—

(1) मिट्टी के तेल (प्रयोग में प्रतिबंध) आदेश, 1966 के अनुसार खाना पकाने और जलाने के प्रयोग से अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों में मिट्टी के तेल के प्रयोग पर रोक लगाना ;

(2) शहरों तथा नगरों के भीतर यात्री गाड़ियों और माल वाहकों के लिए संवैधानिक रूप से गति सीमाएं निर्धारित करना ताकि डीज़ल की कम खपत में दक्षता प्राप्त की जा सके ।

(3) अधिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ी तथा माल गाड़ियों पर नियंत्रण करना।

2. परिवहन के क्षेत्र में हाई स्पीड डीज़ल के प्रयोग में अधिक दक्षता की प्राप्ति के लिए अध्ययन आरम्भ कर दिया गया है।

3. औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित किये बिना उद्योग में भट्टी के तेल की खपत में कमी करने के उपायों की सिफारिश करने और योजनाओं तैयार करने हेतु (तकनीकी विकास) के सचिव और तकनीकी विकास महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित स्थायी भट्टी तेल समिति द्वारा उठाये गये विभिन्न कार्रवाइयों में राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों को सम्बद्ध किया गया है। उद्योगों में भट्टी के तेल की बजाय कोयले के प्रयोग को आरम्भ करने से और पहले की अपेक्षा भट्टी के तेल में और अधिक दक्षतापूर्ण प्रयोग करने में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है।

स्वदेशी और आयातित अशोधित तेल के मूल्य का निर्धारण

1161. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पैट्रोलियम उत्पादों के बिक्री मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन से स्वदेशी अशोधित तेल और पैट्रोलयम को आयातित अशोधित तेल के समान माना जाता है ;

(ख) क्या इस मूल्य निर्धारण नीति से भारतीय अशोधित तेल पर कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है ; और

(ग) क्या इस अतिरिक्त धन राशि का उपयोग भारतीय बाजार में पैट्रोलमिम उत्पादों की कीमतें कम करने के लिए करने का विचार है।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं । तटीय तथा अपतटीय दोनों प्रकार के देशीय कच्चे तेल का मूल्य आयातित कच्चे तेल के मूल्यों से कम है ;

(ख) और (ग) देशीय कच्चे तेल के कम मूल्य का पहले से ही आयातित कच्चे तेल के अत्याधिक ऊंचे मूल्य को आंशिक रूप से बराबर करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

हावड़ा स्टेशन के चाय ट्राली विक्रेताओं से प्राप्त अभ्यावेदन

1162. श्री मुकुन्द मण्डल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हावड़ा स्टेशन के चार ट्राली वैण्डरों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) हावड़ा स्टेशन के वर्तमान चाय ट्राली वैण्डरों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, उन भूतपूर्व चाय ट्राली वैण्डरों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन्हें 1962 में निकाल दिया गया था। इन अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है।

मारुति कार कारखाने से महत्वपूर्ण दस्तावेज फाइलों, और रिकार्ड का हटाया जाना

1163. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 मई, 1977 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस आशय के समाचारों को सरकार ने देखा है, जिनमें यह कहा गया है कि मार्च, 1977 के अन्तिम सप्ताह में गुड़गांव स्थित मारुति कार फैक्टरी के प्रशासनिक खण्ड से जरूरी और महत्वपूर्ण दस्तावेज, फाइलें और रिकार्ड चोरी-छिपे हटा लिये जाने का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के दस्तावेज हटाये गये थे;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त मामले में जांच करने का है; और

(घ) अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) कम्पनी कार्य विभाग को हटाए गये दस्तावेजों की प्रकृति की जानकारी नहीं है।

(ग) तथा (घ) मैसर्स मारुति लिमिटेड, मारुति हैवी व्हीकल्स (प्रा०) लिमिटेड और मारुति टैक्नीकल सर्विसेज (प्रा०) लिमिटेड के कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न मामलों में जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री डी० एस० माथुर को सम्मिलित करते हुए एक सदस्य आयोग नियुक्त किया गया है ।

भावनगर से तारापुर तक नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

1164. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भावनगर से तारापुर तक के लिए नयी रेलवे लाइन बनाने के बारे में प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा ;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1977-78 में नई लाइन का निर्माण शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब और कैसे शुरू होगा और उस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ।

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) भावनगर से तारापुर तक एक नयी रेल लाइन के निर्माण के लिए एक इंजीनियरी (अन्तिम स्थान निर्धारण) एवं यातायात सर्वेक्षण हाल ही में पूरा हुआ है ।

(ख) रिपोर्ट के अनुसार यह लाइन लगभग 150 कि०मी० लम्बी होगी और चल स्टाक को छोड़कर इस पर 33.65 करोड़ रुपये लागत आयेगी। डी०सी०एफ० पद्धति द्वारा इससे आमदनी की प्रत्याशा नहीं है। सर्वेक्षण दल द्वारा लागत और आमदनी के लिए की गयी गणना की पुनर्परीक्षा अपेक्षित है और पश्चिम रेलवे से ऐसा करने के लिए कहा गया है ।

(ग) और (घ) इस लाइन का निर्माण आरम्भ किये जाने के प्रश्न पर योजना आयोग के परामर्श ने सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

रेल कर्मचारियों को खेती करने के लिए भूमि का आबंटन

1165. **श्री के० मालन्दा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों को खेती करने के लिए रेलवे की भूमि आबंटित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) खेती के लिए रेलवे की फालतू भूमि के लाइसेंस दिये जाने से सम्बन्धित निर्धारित नीति के अनुसार स्टेशन यार्ड और कालोनियों की समस्त रेलवे भूमि रेल कर्मचारियों को लाइसेंस पर दी जाती है। स्टेशनों के बीच की फालतू भूमि, जिसे वर्तमान नीति के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में नहीं लिया जाता, को बाहरी व्यक्तियों और रेल कर्मचारियों दोनों को ही लाइसेंस पर दिया जाता है ।

रेल गाड़ियों को निर्धारित समय पर चलाने में असफलता

1166 **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपय करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1977 से अब तक की अवधि के बीच कितनी डाक तथा एक्सप्रेस रेल गाड़ियां अपने निर्धारित समय पर नहीं आ जा सकीं;

(ख) निर्धारित समय की पाबन्दी न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सभी रेलवे अधिकारियों को जारी किये गए निर्देशों का विवरण क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दडवते) : (क) 1 अप्रैल 1977 से 10 जून, 1977 के दौरान डाक, एक्सप्रेस गाड़ियों के 30,878 फेरों में से 4,163 गाड़ियां अपने गंतव्य स्थान पर देर से पहुंची।

(ख) रेल दुर्घटनाएं, आंधी तूफान, तकनीकी और सिगनल सम्बन्धी खराबी और खतरे की जंजीर खींचना इन गाड़ियों के देरी से चलने के मुख्य कारण थे।

(ग) सभी स्तरों पर गाड़ियों के चालन पर नियंत्रण रखने के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ।

Supply of Diesel to States

1167. Shri Meetha Lal Patel : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether some States have requested the Central Governnment for speedy supply of diesel in order to meet the requirements of agriculture; and

(b) if so, the names of the States which have made such requests and the action taken by Governments in this regard ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b) Central Government received requests from Gujarat Government for allocation of 25,000 tonnes of Light Diesel Oil during June, 1977. Arrangements were made for making available the said product. The Government of Punjab also brought to the notice of Central Government some difficulty in respect of supply position of High Speed Diesel Oil during the second part of May, 1977. Though some difficulties of very brief durations were experienced with regard to supply of High Speed Diesel Oil in Punjab during that period due to a sudden spurt in demand and problems of transportation caused by strikes in Koyali (Gujarat) Refinery and Bombay Port, supplies were rushed and the demand was met in full.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के रेल कर्मचारियों का दमन

1168. **श्री के० कुन्हम्बू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों का, उनके सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 'अयोग्य' कह कर दमन किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस मामले में सरकार को सम्बन्धित कर्मचारी-संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे परेशान किये जा रहे कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) उनकी बहाली के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क), (ख), (ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दूरगामी रेल गाड़ियों में सप्लाई किये जाने वाला पानी का जायका ठीक न होना

1169. **डा० सरदीश राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दूरगामी रेल गाड़ियों में जिन यात्रियों को खाना सप्लाई किया जाता है उनको खराब जायके वाला पानी सप्लाई किया जाता है और इससे यात्रियों का स्वास्थ्य खराब होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस अस्वास्थ्यकर पानी की सप्लाई बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) कोई विशेष दृष्टांत सरकार के ध्यान में लाने पर उपचारात्मक उपाय किये जायेंगे।

सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से निकालना

1170. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता पार्टी ने अपने 'आर्थिक कार्यक्रम' में मूल अधिकार के रूप में सम्पत्ति के अधिकार को निकालने की मांग की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त आश्वासन को पूरा करने के लिए संवैधानिक संशोधन लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि सरकार यथाशीघ्र एक व्यापक संविधान संशोधन विधेयक लाने का अपना इरादा बता चुकी है। अतः इस प्रयोजन के लिए संविधान के सभी उपबन्धों पर विचार करना होगा। यह कार्य करते समय, मूल अधिकार के रूप में सम्पत्ति के अधिकार को निकालने की बात पर भी विचार किया जाएगा।

Candidates Election Expenses

***1171. Shri Ishwar Choudhary :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that factors like fall in the rupee value and price increase in the country have created such circumstances under which it has become very difficult for a candidate in Parliamentary elections to manage his election within the prescribed amount; and

(b) if so, the measures proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhusahan) : (a) and (b) Government are aware of the problem. The facility recently extended to recognised political parties for broadcasts by AIR and telecast by Doordarshan will help reduce election expenditure. Government have under consideration proposals for reform of the election law and the question of election expenses of the candidates will also be considered.

बर्दवान-आसनसोल सेक्शन में ई०एम०यू० उपनगरीय सेवा

1173. **श्री रोबिन सेन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्दवान आसनसोल सेक्शन में ई०एम०यू० उपनगरीय सेवा की व्यवस्था करने के लिए काफी अर्से से चली आ रही मांग के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) बर्दवान-आसनसोल खण्ड पर बिजली गाड़ी की व्यवस्था करने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्रेनों की खरीद

1174. **श्री मधु लिमये :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को क्रेनों की सप्लाई के बारे में सभी तथ्य इस बीच प्रधान मंत्री के समक्ष रखे हैं; और

(ख) क्या मारुती हैवी व्हीकल्स लिमिटेड और तत्कालीन पैट्रोलियम तथा वित्त मंत्रियों के विरुद्ध, जिन्होंने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, पैट्रोलियम सचिव और वित्त विभाग के दो सचिवों के स्पष्ट विचारों को न मानते हुए मारुति के टेंडर स्वीकार करने की सिफारिश की थी, कोई कार्रवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है ।

Production Cost of Indigenous Urea Fertilizer

1175. Shri Brij Bhushan Tiwari : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) per ton production cost of indigenous urea fertilizer and the amount of excise duty and sales tax charged thereon separately; and

(b) per ton value of imported urea and the amount of excise duty and sales tax charged thereon ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The actual cost of production of indigenous urea varies from plant to plant depending upon the capital cost of the project, feed-stock used, process adopted and other relevant factors. The selling price of urea is controlled under the Fertilizer Control Order and the indigenous manufacturers are presently allowed an ex-factory realisation of Rs. 1245 per tonne of urea irrespective of their actual cost of production.

While excise duty is charged at the rate of 15% ad valorem, the sales tax rate varies from State to State. Some States like Punjab, Haryana, Maharashtra, Assam and Himacha Pradesh have exempted fertilizers from Sales tax. The rate of sales tax in other States varies between 2% to 6%. The rate of central sales tax is 4 % and is applicable only in those States where the State Government has imposed sales tax.

(b) The per ton value of imported urea varies for different contracts and for different sources of supply depending upon demand and supply position in the International market at the time of the transaction. It would not be in the best commercial interest of the country to disclose the import price of urea. No excise duty is levied on it but Auxiliary Customs Duty at the rate of 5% and countervailing custom duty at the rate of 15% is applicable on imported urea. The position in regard to Central and State Sales Tax is the same as indicated in reply to part (a) of the question.

रियायती पास जारी करना

1176. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सरकार द्वारा जारी किये गये सभी रियायती पास रद्द कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पासों की संख्या कितनी है और जिन व्यक्तियों के पास रद्द किये गये हैं, उनके नाम और पते क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) अनुदेश जारी किये गये हैं कि फिलहाल किसी भी पुराने पास की तारीख गुजर जाने के पश्चात् नवीकरण न किया जाये। इसी बीच जिन संगठनों और व्यक्तियों को संशोधित प्रतिमान तथा मापदण्ड के आधार पर पास जारी किये जाने हैं उनकी नयी सूची तैयार की जा रही है।

Conversion of Samastipur-Darbhanga Line into Broad Gauge Line

†**1177. Shri Ram Sewak Hazari** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether Samastipur-Darbhanga metre gauge line is proposed to be converted into broad gauge line in the near future ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): A Final Location Engineering Survey-cum-Traffic reappraisal for the line has been completed recently and it will be possible to take up the construction work after the report is received and examined. The completion of the project would depend upon the availability of resources.

इन्सोव ग्रॉटो लिमिटेड

1178. **श्री चित्त बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी विधि बोर्ड ने इन्सोव ग्रॉटो लिमिटेड के मामलों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट का सारांश क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237(ख) के अन्तर्गत इन्सोव ऑटो लिमिटेड के कार्य कलापों की जांच प्रवर्तमान है।

मारुति कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

1179. **डा० बापू कालदते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मारुति लिमिटेड, मारुति टैकनीकल सर्विसिज लिमिटेड तथा मारुति हैवी व्हीकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड ने कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है; और

(ख) इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण): (क) तथा (ख) कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इन कम्पनियों ने कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कुछ विवरणियां के प्रस्तुत करने में देरी की है। जहां, बहुत देरी हो गई है, वहां कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 611(2) के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण शुल्क लगा दिया गया है। मैं० मारुति टैक्नीकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने कथित अधिनियम की धारा 212 का उल्लंघन किया है, एवं रजिस्ट्रार द्वारा अभियोग चलाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

Demand for Increase in dealers commission on sale of Petrol

1180. Shri Dharmasinhbhai Patel : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether dealers in petrol, H. S. D. grease, kerosene oil and other lubricants had demanded increase in the rate of commission, if so, when and the extent thereof;

(b) the decision taken by Government thereon; and

(c) the existing rates of commission and when were the same fixed last ?

Minister for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b) The Federation of All India Petroleum Traders and other dealers/agents associations have been representing to Government and the Oil Prices Committees set up by Government from time to time for fixing higher rates of Commission.

Their main demands and the decisions taken by Government are given below :

Product	Main Demand	Decision taken by Government
(i) Petrol and diesel oil .	(a) Ad valorem rates of commission.	Not recommended by any of the Oil Pricing Committees nor accepted by Government.
	(b) Modification of slabs introduced w.e.f. 1-7-76	Government modified the slabs w.e.f. 1-4-77.
(ii) Kerosene oil .	7 % of the invoiced price as commission.	Not accepted by Government.
(iii) Lubricants and Greases.	The Oil Prices Committee in its Interim Report, felt that the profitability of the dealers was on the high side and suggested a gross margin of Rs. 1200 per KL on lubricants and Rs. 1500 per M.T on greases. This was accepted w.e.f. 1-7-76. The Federation then represented for an *ad valorem* rate of margin which the Oil Prices Committee did not accept in its final report. Government accepted the recommendation of the Oil Prices Committee.	

(c) (i) **Petrol and High Speed Diesel Oil :** The existing rates of dealers' commission on petrol and high speed diesel oil applied with effect from 1-4-77, are based on the final recommendations made by the Oil Prices Committee after examining all the representations. These are as follows :

Motor Spirit :

Slabs (Sales in Kls/ Annum)	Rate of Commission (Rs./KL)
0-480	80
481-1080	50
above 1080	35

(Minimum rate of Commission is Rs. 50/KL)

High Speed, Diesel Oil

Slabs (Sales in K.Ls./Annum)	Rate of Commission
0-600	50
601-1200	25
above 1200	20

(There is no minimum rate for H.S.D.O.)

(*ii*) **Kerosene oil** : Based on the recommendations of the Oil Prices Committee the remuneration fixed with effect from 1st July, 1976 for agents/stockists of kerosene oil is Rs. 8/KL and that for retailers Rs. 8/KL. There is in addition to barrel depreciation allowance, leakage, handling transportation cost and sales tax, octroi etc., levied by the State Governments/Union Territory Administrations.

(*iii*) **Lubricants and Greases** : A gross margin of Rs. 1200/KL on lubricants and Rs. 1500/MT on greases was fixed with effect from 1-7-1976.

आई०डी०पी० एल० द्वारा कच्चे माल की सप्लाई

1181. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड (आई० डी० पी० एल०) अपने एककों को कच्चे माल की सप्लाई नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) आई० डी० पी० एल० अपने द्वारा निर्मित प्रपुंज औषधों को गैर-संगठित सूत्रयोग निर्माताओं को वितरण करता है। उनके द्वारा निर्मित कुछ प्रपुंज औषधों को भारतीय राज्य रसायन और भेषज निगम (सी० पी० सी०) के जरिये आयात द्वारा बढ़ाया गया है। प्रपुंज औषध उत्पादन का कुछ भाग आई० डी० पी०

एल० द्वारा अपने सूत्रयोगों के उत्पादन के लिये भी प्रयोग किया जाता है। 1975-76 और 1976-77 के दौरान अन्य गैर-संगठित सूत्रयोग निर्माताओं को इन प्रपुंज औषधों की सप्लाई, आयात और कुल उत्पादन का मूल्य निम्नलिखित है :—

(रुपये करोड़ों में)

	1975-76	1976-77
(1) आई० डी० पी० एल० द्वारा स्वयं प्रपुंज औषधों का उत्पादन . .	35.29	39.26
(2) सी० पी० सी० के जरिये प्रपुंज औषधों का आयात	10.13	7.96
(3) आई० डी० पी० एल० के पास कुल उपलब्धता . . .	45.42	47.22
(4) आई० डी० पी० एल० द्वारा अपने सूत्रयोग के उत्पादन के लिये प्रयुक्त प्रपुंज औषधों का मूल्य	17.26	12.88
(5) अन्य गैर-संगठित सूत्रयोग निर्माताओं को सप्लाई किये गये प्रपुंज औषधों का मूल्य	28 16	34.34
(6) आई० डी० पी० एल० के पास कुल उपलब्धता में से गैर-संगठित सूत्र-योग निर्माताओं को सप्लाई की प्रतिशतता . .	62%	73%

दुर्ग-भुसावल सेक्शन का विद्युतीकरण

1182. **श्री पी० के० देव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरास्ता नागपुर कलकत्ता-बम्बई मार्ग पर दुर्ग-भुसावल सेक्शन का विद्युतीकरण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब शुरू किया जायेगा और इसके पूरा होने की अनुमानित तारीख क्या है; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस परियोजना का काम शुरू किया जायेगा।

(ग) लगभग 64 करोड़ रुपये।

उड़ीसा में बिमलगढ़ तथा तलचर और खुर्दा रोड तथा टिटलागढ़ के बीच रेलवे लाइनें

1183. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में बिमलगढ़ को तलचर और खुर्दा रोड को टिटलागढ़ के साथ जोड़ने वाली नई रेलवे लाइनों के निर्माण सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है और ये कब तक पूरे हो जायेंगे ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) तालचेर से बिमलगढ़ तक बड़ी लाइन रेल सम्पर्क के निर्माण के लिये 1970 में एक सर्वेक्षण किया गया था। प्रस्तावित लाइन 135 कि० मी० लम्बी होगी और उस समय के मूल्यों के अनुसार इस पर लगभग 16 करोड़ रुपये लागत आयेगी। यह मालूम हुआ कि इस परियोजना से डी० सी० एफ० पद्धति द्वारा केवल 3.22 प्रतिशत आय होगी। जहां तक खुर्दारोड-टिटलागढ़ लाइन का सम्बन्ध है, कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, तालचेर से सम्भलपुर/झारसुगुडा तक की लाइन, जिससे टिटलागढ़ के लिये सम्पर्क की व्यवस्था होगी के निर्माण के लिये सर्वेक्षण का काम इस वर्ष के बजट में शामिल कर लिया गया है।

Broad Gauge Line Between Barauni and Katihar

†1184. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is no broad gauge line between Barauni and Katihar in the absence of which the passengers in North Eastern India are unable to have direct connection with Western India;

(b) whether the scheme for linking Barauni and Katihar by a broad gauge line was included in the Third, Fourth and Fifth Five Year Plan;

(c) whether in reaching Barsoi Junction a common station, from Mokama Junction *via* Farakka Barrage one third of the time is saved;

(d) whether by linking Barauni and Katihar by a broad gauge line more than one hundred kilometre distance would be reduced leading to consequent saving in expenditure and

(e) if so, the time by which broad gauge line would be laid between Barauni and Katihar ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) There is no direct broad gauge link between Barauni and Katihar but a direct metre gauge link between North Eastern India and Western India exists.

(b) No.

(c) By suitable combination of trains at Barauni where transhipment is involved, the journey upto Barsoi *via* Barauni can be covered in almost the same time as *via* Farakka.

(d) Yes.

(e) No decision has been taken about the gauge conversion of this line so far.

Chhitoni Bridge on Buri Gandak

†1185. **Shri Ram Dhari Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) when is the proposed Chhitoni Bridge (District Deoria, U.P.) on Buri Gandak linking Bagaha (Bihar) likely to be completed; and

(b) the progress made in construction work on the said bridge so far and the estimated cost of construction thereof ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) The proposed Bagaha-Chhitauni link project is likely to be completed in about four years time.

(b) The formation has been completed in a length of about 10 Kms. out of 23 Kms. 23 minor bridges have also been completed. The total estimated cost of construction of the project is Rs. 6.74 crores, excluding river training works.

Laying of Railway Line in Santhal Pargana Distt. of Bihar

†1186. **Shri Jagdambi Prasad Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Santhal Pargana is the only district in Bihar whose head quarter Dhumka and No. 2 city Godda are several hundred kilometres away from the railway line;

(b) whether thousands of villagers and tribals of this district have not even seen the train and it is the most backward district repeatedly affected by famine; and

(c) whether the Railways proposed to start the work of laying railway line there ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a), (b) & (c) Reconnaissance Engineering-cum-Traffic Surveys for new broad gauge lines from Mandar Hill to Dumka, Dumka to Sainthia, Dumka to Baidyanath Dham and Dumka to Rampurhat have been carried out. The proposed lines will be about 237 Kms. long and are expected to cost about Rs. 35 crores at present day prices. The lines are not expected to attract sufficient traffic and have not been found to be remunerative. A Preliminary Engineering-cum-Traffic Survey for extension of the Bhagalpur-Mandarhill line upto Baidyanath Dham (Deogarh) has been included in this year's budget.

औषध कारखानों में कच्चे माल की कमी

1187. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की कमी का देश के औषध निर्माण कारखानों पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या छोटे पैमाने के फार्मास्यूटिकल कारखानों को औषधियों का उत्पादन कम करने के लिये बाध्य होना पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हे० न० बहुगुणा) : (क) जी, नहीं। सूत्रयोगों के उत्पादन के लिये प्रपुंज औषधों की आवश्यकता होती है। 1976-77 के दौरान 1975-76 की तुलना में देश में औषध निर्माण एककों को विभिन्न प्रपुंज औषधों की अत्यधिक मात्रा उपलब्ध कराई गई थी। प्रमुख प्रपुंज औषधों के देशीय उत्पादन में हुई वृद्धि को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 463/77]। इसी प्रकार 1976-77 के दौरान 1975-76 की तुलना में सरणीबद्ध औषधों का अधिक आयात किया गया था जैसा कि संलग्न विवरण-पत्र में दर्शाया गया है। (अनुबन्ध II)।

(ख) और (ग) लघु पैमाने के यूनिटों को गैर-सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों/कच्चे माल के आयात के लिये आयात लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं और उनमें आयात व्यापार की नियंत्रण नीति के अनुसार प्रति वर्ष 20% वृद्धि दर की भी व्यवस्था की जा रही है।

इन एककों को सरणीबद्ध औषधों का निम्नलिखित आधार पर भी अधिक आबंटन किया गया है।

(i) गत दो वर्षों की खपत के आधार पर प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये से कम बिक्री और 30% की वृद्धि दर वाले लघु उद्योग एकक।

(ii) गत 2 वर्षों की खपत के आधार पर एक करोड़ और उससे अधिक बिक्री तथा 15% वृद्धि दर वाले लघु उद्योग एकक।

(iii) पश्चिम बंगाल के सभी लघु उद्योग एककों को गत दो वर्षों की खपत के 50% अतिरिक्त कच्चे माल की अनुमति दी गई है।

1976-77 के दौरान कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिये बड़े पैमाने और लघु पैमाने के एककों को दिये जाने वाले आम लाइसेंसों में 244 मदों को रखा गया था।

आयातित और सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों की उपलब्धता के अतिरिक्त, लघु उद्योग एकक अपनी आवश्यकताओं के बराबर देशीय रूप से उपलब्ध प्रपुंज औषधों को भी खरीदने में स्वतन्त्र हैं। संगठित क्षेत्र को अपने प्रपुंज औषधों के उत्पादन का कुछ प्रतिशत भाग गैर-सम्बद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को इस आधार पर देना आवश्यक है कि विदेशी क्षेत्र द्वारा 50% सरकारी क्षेत्र द्वारा 40% और भारतीय क्षेत्र द्वारा 10% भाग उनको दिया जाता है। तथापि वास्तविक व्यवहार में सरकारी क्षेत्र द्वारा अपने प्रपुंज औषधों के उत्पादन का बहुत अधिक भाग गैर-सम्बद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को दिया है जिसमें लघु उद्योग एकक भी शामिल हैं।

आपातकाल के दौरान सीसा के अन्तर्गत सेवाओं का समाप्त किया जाना

1188. श्री रामानन्द तिवारी :

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या रेल मंत्री यह बताने ने कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकाल के दौरान श्रेणीवार कितने व्यक्तियों की सेवाओं को समाप्त किया गया; और

(ख) उनमें से अब तक कितने व्यक्तियों की सेवाओं को बहाल नहीं किया गया है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) कोई नहीं। मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये हिरासत में लिये गए रेल कर्मचारियों को आम तौर पर निलम्बित कर दिया जाता है और उनकी रिहाई के बाद उन्हें ड्यूटी पर वापस ले लिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की सेवाओं का घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में लाना

1189. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि अधिकांश रेलवे अधिकारियों को उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वे अपने घरेलू कार्य के लिये उपयोग करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध तथा इस प्रथा को बन्द करने के लिये कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) इस आशय की हिदायतें पहले से ही हैं कि रेलवे अधिकारियों, विशेषकर वरिष्ठ अधिकारियों, से यह अपेक्षा की गई है कि वे सुविधाओं का, जिनमें अपने अधीन काम करने साले वैयक्तिक और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों सहित अन्य कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करना भी शामिल है, का लाभ उठाने में अत्यन्त सतर्कता बरतें। रेलवे अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों का उनकी ड्यूटी के समय दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में जब सदाशयी शिकायतकर्ताओं से विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी जांच-पड़ताल की जाती है और इस जांच-पड़ताल के परिणामों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। यदि कोई विशिष्ट आरोप जानकारी में लाये जायेंगे तो उनकी जांच करने के लिये कार्रवाई की जायेगी।

Extension of Sakri–Hasanpur Line upto Barauni

†**1190. Shri Ramjiwan Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for extension of the proposed Sakri-Hasanpur railway line upto Barauni Junction; and

(b) if so, the time by which the work thereon will start ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) & (b) Hasanpur Road is already linked to Barauni Junction *via* Khagaria and there is no proposal to provide a direct link between Hasanpur Road and Barauni.

फार्मेस्यूटिकल उद्योग द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में ढील दिये जाने का अनुरोध

1191. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित क्षेत्र में फार्मेस्यूटिकल उद्योग ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में ढील दी जाये;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है, और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अभी तक सरकार द्वारा संगठित क्षेत्र में एम० आर० टी० पी०/एफ० ई० आर० ए० विनियमनों को ढील देने के लिये भेषज उद्योग से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कई समाचार पत्रों से यह मालूम हुआ है कि फार्मास्यूटिकल प्राड्सर्स आफ इंडिया के संगठन के अध्यक्ष ने अपनी 11वीं वार्षिक बैठक में सरकार से अनुरोध किया कि इसका पुनरीक्षण किया जाये और एम० आर० टी० पी०/एफ० ई० आर० ए० के कुछ प्रतिबन्ध हटाये जायें।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Railway Line from Bombay to Assam

†1192. **Shri Arjan Singh Bhadoria** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that late Dr. Ram Manohar Lohia had written several letters to the Government emphasizing the need from the country's security point of view to construct a railway line from Gwalior *via* Bah (District) Agra Farrukhabad and Etawah in order to facilitate the speedy movement of army personnel from Bombay to Assam;

(b) whether Government propose to lay a railway line between Gwalior and Etawah *via* Bah and Farrukhabad keeping in view the backwardness of this area; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) It has not been possible to ascertain at this stage whether references on the subject were received from Late Dr. Lohia. However, for speedy movement of Army persons from Bombay to Assam the existing route *via* Allahabad, Mokamah and Farrakka is more convenient than the proposed route *via* Gwalior -Bah-Etawah.

(b) No.

(c) Does not arise.

विदेशी स्वामित्व वाली भारतीय कम्पनियों का विस्तार

1193: **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी स्वामित्व वाली ऐसी कितनी भारतीय कम्पनियों को जिनके विरुद्ध एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया और विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले सरकार को सौंपे गये, विस्तार करने की अनुमति दी गई तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : माननीय सदस्य द्वारा संदर्भित विदेशी स्वामित्व वाली भारतीय कम्पनियों का अर्थ, भारत में पंजीकृत उन कंपनियों से लिया गया है, जो विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियां हैं । इस प्रकार की कम्पनियों का सरकार को निर्देशित किया गया, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उल्लंघन का कोई मामला दृष्टिगोचर नहीं हुआ है, अतः कथित अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार की कम्पनियों के विस्तार की अनुमति देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । जहां तक, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उल्लंघन के मामलों का संबंध है, कम्पनी कार्य विभाग के पास सूचना उपलब्ध नहीं है एवं यह इस अधिनियम को व्यवहारित करने वाले संबंधित प्राधिकारियों से संग्रह की जा रही है ।

आसाम में रेलवे स्टेशन में रेलवे अस्पताल तथा स्वास्थ्य यूनिट

1194. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में कितने रेलवे स्टेशन हैं जहां रेल कर्मचारियों के लिए रेलवे अस्पताल तथा स्वास्थ्य यूनिट खोले गये हैं; और

(ख) इन स्टेशनों में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनको इनसे लाभ है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

अस्पताल	सेवित रेल परिवारों की संख्या
माली-गांव	14559
लमडिंग	11392
डिब्रूगढ़	12810
बदरपुर	5766
रंगापाड़ा नार्थ	4002
डंगताला	3951
स्वास्थ्य यूनिटें	
मालीगांव	
पाण्डु-ईस्ट	1687
पाण्डु-पश्चिम	3220
गुवाहाटी	2702
न्यू गुवाहाटी	2026
अमीनगांव	1006
लमडिंग	
लमडिंग साऊथ	1475
फरकटिंग	721
दीमापुर	1265
होजाई	620
चापरमुख	1016
जगी रोड	592

	सेवित रेल परिवारों की संख्या
बंदरपुर	
करीमगंज	633
धरम अमर	273
हरगाजाब	1327
माइवंग	453
लोअरहाफ लंग	896
अलीपुरद्वार	
धुबड़ी फकीराग्राम	697
बोंगाईगांव	3235
सरभोग	480
रंगिया	1218
स्वास्थ्य यूनिट	
रंगापाड़ा नार्थ	
माजबत	266
नार्थ लखीमपुर	816
धेमाजी	291
डिब्रूगढ़	
डिब्रूगढ़ टाउन	1199
हिज़ीपुरी	1032
तिनसुकिया	1810
माकुम	443
लीडू	873
नाहरकटिया	1120
सिमलूगुरी	1302
मरियानी	3097

शीघ्र न्याय सुनिश्चित कराने के लिए कार्यवाही

1195. **श्री प्रद्युम्न बाल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि लोगों को न्याय शीघ्र मिले ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : सरकार ऐसे उपायों पर विचार कर रही है जो यह सुनिश्चित करने के लिए किये जाने चाहियें कि लोगों को न्याय शीघ्र मिले।

"Exploration for Gas and Oil in Uttar Pradesh"

1196. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the names of places in Uttar Pradesh where there is possibility of the discovery of gas and oil; and

(b) the reasons for stopping prospecting work in village Ishwara in Shajahanpur District when there were prospects of discovery of gas and oil ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) (a) Based on surveys conducted, Sarda and Gandak basins in U.P. plains have been identified as areas where there can be favourable conditions for generation of oil and gas.

(b) A well drilled near Tilhar in Shahjahanpur district gave traces of gas, which were not of commercial significance.

बोन्गोईगांव तेल शोधक कारखाने और पैट्रो-रसायन उद्योग समूह का निर्माण

1197. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोन्गोईगांव रेल शोधक कारखाने तथा पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के निर्माण की प्रगति किस गति से हो रही है; और

(ख) उद्योग समूह में किन किन मुख्य उत्पादों का उत्पादन होगा और कौन-कौन से सहायक उद्योग वहां पर स्थापित किये जाने हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) बोंगाईगांव शोधनशाला और पैट्रोलियम-रसायन कम्पलैक्स के सम्बद्ध एककों के निर्माण कार्यों की प्रगति नीचे दी गई है :

(1) **क्रूड आसुन एकक** 75%

(2) **केपटिव विद्युत एकक** . . 35%

(3) **केरोसीन ट्रीटिंग एकक** 80%
का पर्याप्त कार्य पूरा हो चुका है और सिविल संरचनात्मक निर्माण-कार्य आरंभ कर दिया गया है।

(4) **निलंबित कोकर एकक** : इसका प्रौसेस डिजाइन और विस्तृत इंजीनियरिंग कार्य जारी है और निर्माणकार्य शीघ्र आरंभ कर दिया जायेगा ;

(5) **पैट्रो-रसायन कंप्लैक्स**:--विभिन्न जाइलीन कंम्पलैक्स और डी० एम० टी० संयंत्र के लाइसेंस।इंजीनियरिंग समझौतों की रूप रेखायें तैयार कर दी गयी हैं। अंतिम रूप दे दिया गया है । सिविल निर्माण कार्य तत्काल आरम्भ कर दिया जायेगा।

(ख) **कंपलैक्स के मुख्य उत्पाद निम्नलिखित होंगे :--** . . .

(1) स्ट्रेट रन तथा मिश्रित नेपथा

(2) आयोमेक्स

(3) वैमानिकी टरबाईन ईंधन

(4) उत्कृष्ट मिट्टी का तेल

(5) हाई स्पीड डीजल तेल

(6) हल्का ड्रीजल तेल

(7) निस्तापन (चूरा) कोक

(8) ओ-जाईलीन

(9) पोलिएस्टर स्टैपल फाइबर

उन सहायक उद्योगों के स्वरूप और कार्य क्षेत्र को, जो कि स्थान पर उभर कर सामने आयेंगे, अभी निश्चित रूप देना बाकी है ।

न्यायाधीशों के लिए केसरिया परिधान

1198. **श्री वसंत साठे** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधीशों के लिये केसरिया परिधान निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश से अभ्यावेदन

1199. **श्री आर० के० महास्वी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अप्रैल, 1977 में भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चम्पा, जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) इस अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है और कब ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

पैट्रो-रसायन कच्चे माल उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन में कमी

1200. **श्री डी० बी० चन्नगोडा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित एवं देशी पैट्रो-रसायन कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण रसायन उद्योगों में कोई कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों को अपेक्षित मात्रा में पैट्रोलियम-रसायन का आयातित और देशी कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) पैट्रो-रसायन के कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण रसायन उद्योगों के उत्पादन में किसी प्रकार का पर्याप्त ह्रास नोटिस में नहीं दिया है।

(ख) जहां पर कच्चे माल की वास्तविक कमी का पूर्वानुमान लग जाता है तो उसे दूर करने के लिए उनके आयात को प्रभावित करने हेतु कदम उठाये जाते हैं।

Setting up of Fertilizer Factory or some other Factory at Jhabua on the basis of Abundance of Rock Phosphate

1201. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state whether a fertilizer factory or some other industry can be set up at Jhabua area on the basis of abundance of rock phosphate there ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : Rockphosphate, produced at Jhabua, is supplied to single super-phosphate units and fertilizer mixture units in the country.

Efforts are being made to maximise the use of indigenous rock for production of phosphatic fertilizers in the country. While considering the question of setting up additional phosphatic fertilizer capacity, due consideration would be given to the possibility of setting up a unit at Jhabua area, based on the local rock-phosphate, keeping in view the relevant technoeconomic considerations.

Commission allowed to Diesel Dealers

1202. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether petrol and diesel dealers are allowed very meagre amount of commission;

(b) whether these dealers make up this loss in the name of service charges and as a result there is variation in petrol price ;

(c) when was the amount of commission allowed to dealers fixed and what is the bases thereof ; and

(d) whether a review is being made by Government in this regard so as to remove the difficulties of consumers ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir. It may, howerver, be clarified that retail prices of petrol are not uniform throughout the country due to variations in :

(i) basic prices,

(ii) cost of transportation,

(iii) sales tax, octroi etc.

(c) The existing rates of dealers' commission on petrol and high speed diesel oil, applied with effect from 1-4-1977, are based on the final recommendations made b y the Oil Prices Committee. These rates are as follows :

(*i*) *Motor Spirit*

Slabs (Sales in Kls/Annum)	Rate of Commission Rs./KL
0—480	80
481—1080	50
above 1080	35

(Minimum rate of commission is Rs. 50/KL)

(*ii*) *High Speed Diesel Oil :*

Slabs (Sales in Kls/Annum)	Rate of Commission Rs./KL
0—600	50
601—1200	25
above 1200	20

(There is no minimum rate for HSDO)

With the introduction of these rates of commission, no increase in the selling prices of petrol and diesel oil has been allowed.

(d) No, Sir.

तेल के भण्डार

1203. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल के किन-किन भंडारों का पता है और ये भंडार कितनी अवधि तक बने रहेंगे;

(ख) क्या सरकार ने कमी के संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिये अमरीका की कार्टर योजना के उपायों का अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार तेल के संरक्षण के लिये इसी प्रकार के उपाय अपनाने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) पिछले वर्ष इंडो-सोवियत दल द्वारा किये गये पूर्वानुमानित मूल्याकन के अनुसार देश में लगभग 6000 मिलि० मी० टन का भूगर्भी सुरक्षित भंडार होगा । अब तक आयोजित अन्वेषण कार्यों के परिणाम स्वरूप लगभग 1600 मिलि० मी० टन भूगर्भीय सुरक्षित भंडारों का पता चला है, जिनमें से लगभग 350 मिलि० मी० टन भंडार प्राप्त करने योग्य सुरक्षित भंडारों के वर्ग में आता है । इसमें से 1-1-1976 तक प्राप्त करने योग्य लगभग 270 मिलि० मी० टन के बकाया भंडार को छोड़कर लगभग 80 मिलि० मी० टन तेल का उत्पादन हो चुका है । बाकी प्राप्त करने योग्य सुरक्षित भंडार लगभग 15 से 20 वर्ष की अवधि तक चलेगा ।

(ख) जी हां ।

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों का वातानुकूलन

1204. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों के सभी डिब्बों का गर्मी के मौसम में विशेष रूप से वातानुकूलन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितना धन अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डी०आर०इ०सी०सी०, धनबाद से अभ्यावेदन

1205. श्री **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल सेक्रेटरी/डी०आर०इ०सी०सी०इ० रेलवे धनबाद से दिनांक 5-5-1977 का वह अभ्यावेदन मिल गया है जिसमें यह मांग की गई है कि श्रमिक संघों के कार्यकर्ताओं का दंडात्मक ढंग से तबादला करके और उनका तबादला उनके पहले स्थानों और पदों पर तत्काल करके श्रमिक संघ की गतिविधियों को प्रतिबन्धित करने के लिये जो दमनात्मक कार्य किये गये हैं उनकी जांच की जायें; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से आपात स्थिति में हुए मामलों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हाऊ रैल्वेज कैन सेव करोर्ज

1206. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिनांक 20 अप्रैल, 1977 में हाउ रेल्वेज कैन सेव करोर्ज शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) विद्युतीकरण के काम में बहुत अधिक पूंजी लगानी पड़ती है इसलिए इसके औचित्य के लिए यातायात की उच्च सघनता अपेक्षित होती है । अत: विद्युतीकरण की योजनाएं संसाधनों की उपलब्धता और यातायात के औचित्य के आधार पर शुरू की जाती है।

1976-77 में अशोधित तेल का आयात

1207. **श्री वयालार रवि** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976-77 के दौरान कुल कितनी मात्रा में अशोधित तेल का आयात किया गया तथा गत दो वर्षों के दौरान हुए आयात की तुलना में इसकी स्थिति क्या हैं; और

(ख) इस अवधि के दौरान इस आयातित अशोधित तेल का तेल शोधक कारखाने वार आबंटन के आंकड़ें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हे० न० बहुगुणा) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

शोधनशाला आवंटन (मि०मी० टनों में)

वर्ष	आयातित-क्रूड की मात्रा (मि मी० टन में)	भारत शोधन-शाला लि०	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार-पोरेशन लि०	कोचीन शोधन-शाला लि०	मद्रास शोधन-शाला लि०	कालटैक्स	हलदिया
1976-77* . .	14.27*	3.47*	2.76*	2.64*	2.49*	1.04*	1.87*
1975-76 . .	13.95	3.66	2.81	2.30	2.64	1.11	1.43
1974-75 . .	14.00	3.91	3.06	2.63	2.42	1.12	0.86

*अस्थायी ।

Cases pending in Madhya Pradesh High Court

*1208. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases pending in the Madhya Pradesh High Court from 3 to 5 years;

(b) whether the number of judges in that State is also insufficient in view of the volume of work ; and

(c) the steps taken by Government to provide speedy justice to the people ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) 6,313 as on 31-12-1976.

(b) Yes, Sir.

(c) Steps are being taken to fill up the existing vacancies in the High Court. If necessary, the present strength of judges in the High Court will be increased.

Working of Foreign Companies Manufacturirng Drugs

1209. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the number of foreign companies manufacturing drugs at present;

(b) the position in regard to original and present capital of each of them ;

(c) the profits earned by them during 1974-75 and 1975-76; and

(d) whether Government propose to nationalize these companies ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The number of foreign drug manufacturing companies having foreign equity more than 40% both in the organised and small scale sectors is 47.

(b) and (c) A statement furnishing the requisite information as available is enclosed. [Placed in Library. *See* No. LT 464/77]

(d) At present there is no such proposal.

जी०टी० एक्सप्रैस रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के फलस्वरूप हताहत हुए यात्रियों को मुआवजा दिया जाना

1210. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1977 को नागपुर के निकट जी०टी० एक्सप्रेस रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण घायल हुए व्यक्तियों को मुआवजा दिया जा रहा है; और

(ख) घायल और अन्य यात्रियों को दी गई तात्कालिक सहायता का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) इस दुर्घटना में घायल व्यक्तियों से अभी तक कोई भी क्षतिपूर्ति का दावा प्राप्त नहीं हुआ है। दावों के मिलने पर उनका निपटारा नियमानुसार किया जायेगा ।

(ख) गंभीर चोट वाले एक यात्री तथा मामूली चोट वाले एक अन्य यात्री का इलाज रेलवे अस्पताल, नागपुर में किया गया था । अन्य छः यात्रियों ने, जिन्हें हल्की चोटें लगी थीं और जिन्हें दुर्घटना-स्थल पर ही चिकित्सा सहायता दे दी गयी थी, अपनी आगे की यात्रा जारी रखी।

सभी यात्रियों को घटनास्थल पर पहले आठ सवारी डिब्बों में स्थान दे दिया गया था। वर्धा में, यात्रियों की सुविधा के लिये गाड़ी में आठ और सवारी डिब्बे जोड़ दिये गये

जिस यात्री को गंभीर रूप से चोट लगी थी उसे 750 रुपये तथा दूसरे यात्री को जिसे साधारण चोट लगी थी, 250 रुपये अनुग्रह के रूप में भुगतान कर दिये गये।

रेलवे प्रायोक्ता क्षेत्रीय सलाहकार समितियों का कार्य

1211. **श्री सुशील कुमार धारा :**

श्री विजय कुमार मंडल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सरकार द्वारा गठित रेलवे प्रयोक्ता क्षेत्रीय सलाहकार समितियों को जारी रखा जायेगा अथवा उनका नये सिरे से गठन किया जायेगा;

(ख) इस तथ्य को देखते हुए कि पिछली सरकार ने इन समितियों को प्रभावी कार्य करने का अवसर नहीं दिया और ऐसी समितियों का गठन इस प्रकार किया गया जिससे व्यवहारिक और उपयोगी सुझाव पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, क्या इन समितियों को प्रभावी भूमिका अदा करने की अनुमति देने का है तथा उनके कार्य को सुधारने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन समितियों की सदस्यता बढ़ाने से जनता का प्रतिनिधित्व और अधिक प्रभावी रूप से होगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क), (ख) और (ग) इस मामले पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन

1212. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति के इस तथ्य के बावजूद भी, पुनर्गठित न करने के क्या कारण हैं कि पिछली समिति को भंग हुए छह महीने से अधिक समय हो गया है; और

(ख) उसको पुर्नगठित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) यद्यपि रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के गठन के लिए काफी पहले कार्रवाई शुरू कर दी गयी थी, तथापि लोक सभा भंग हो जाने के कारण इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं की जा सकी क्योंकि वर्तमान नियमों के अनुसार समिति में अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अलावा संसद सदस्यों को भी मनोनीत किया जाना अपेक्षित है। अब राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) तथा संसदीय कार्य विभाग के परामर्श से कार्रवाई की जा रही है। आशा है, शीघ्र ही इस समिति का पुनर्गठन हो जायेगा।

पेट्रोलियम रसायनों की जमाखोरी और मिलावट के मामलों में वृद्धि

1213. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान पैट्रोलियम रसायनों की जमाखोरी, मिलावट और चोर बाजारी के मामलों में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस अवधि के दौरान, राज्यवार, इनको रोकने और दोषी व्यक्तियों को दंड देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) पैट्रोलियम रसायनों की जमाखोरी, मिलावट और ब्लैक मार्केटिंग का कोई विशेष मामला पिछले 6 मास की अवधि में सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में रेलों के सुधार पर व्यय

1214. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलों में सुधार करने अथवा नई लाइनें चालू करने के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश में कोई राशि खर्च की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) रेल परियोजनाओं पर खर्च का लेखा राज्य-वार नहीं रखा जाता। पांचवीं योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं को या तो शुरू किया गया है या उन पर कार्य हो रहा है :—

1. (1) नडिकुडे—बीबीनगर नयी बड़ी लाइन और गुण्टूर-माचेरला मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन।
2. गुन्तकुल्लु से धर्मावरम् तक समानान्तर बड़ी लाइन और धर्मवरम्-बेंगलूरु सिटी मीटर लाइन खंड का बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन (अंशतः आन्ध्र प्रदेश में)।
3. भद्राचलम से मंगलूर तक नयी बड़ी लाइन निर्माण के लिए इस वर्ष के बजट में शामिल कर लिया गया है।
4. सिकन्दराबाद—मीटर लाइन यार्ड में अतिरिक्त सुविधाएं।
5. हैदराबाद/सिकन्दराबाद में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के लिए भूमि का अधिग्रहण।
6. रायनापाडु—बड़ी लाइन के माल डिब्बों के लिए नयी मरम्मत शाप।
7. रामगुण्डम—यार्ड में अतिरिक्त लाइनों की व्यवस्था।
8. मण्डमारी—यार्ड में अतिरिक्त सुविधाएं।
9. मौला अली और मनत नगर के बीच प्रस्तावित कार्ड लाइन के सम्बन्ध में भूमि का अधिग्रहण।
10. हैदराबाद-सिकन्दराबाद क्षेत्र में टर्मिनल सुविधाओं का विकास।
11. मोलानूर और कुप्पम के बीच लाईन को दोहरी करना।
12. रेनीगुण्टा-बल्लापल्ली, माकरापेटा-कुडप्पा, गोप्ती-गुंतकल्लु के बीच कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना तथा राजमपेटा और नंदलूर के बीच पार स्टेशन।
13. बीबीनगर-भोंगीर के बीच दोहरी लाइन बिछाना।
14. मद्रास-गुडूर और विजयवाड़ा के बीच विद्युतीकरण (अंशतः तमिलनाडु में)

चित्तूर रेलवे स्टेशन को नये रूप देने का प्रस्ताव

1215. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तूर रेलवे स्टेशन को, जो जिला मुख्यालय में है, नए रूप देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) फिलहाल नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता चूंकि अभी कोई काम मंजूर नहीं किया गया है।

गुंटकल, पकाला, नन्दलूर और रेनीगुंटा में स्टीम लोको शेड का बन्द होना

1216. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुंटकल, पकाला, नन्दलूर और रेनीगुंटा में स्टीम लोको शैडों को बन्द करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) गुन्तकुल्लु, पकाला और नन्दालूर की भाप इंजन लोको शैडों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेनिगुन्टा भाप लोको शैड को समवेत योजना अवधि के दौरान बन्द करने का प्रस्ताव है। रेणिगुण्टा भाप लोको शैड फिलहाल बड़ी लाइन के 9 भाप रेल इंजनों को संभालता है और प्रस्तावित डीजलीकरण के परिणामस्वरूप तथा इस स्थान पर पानी की कमी के कारण संभवतः इस शैड को अतिरिक्त डीजल रेल इंजनों के प्राप्त होते ही बन्द कर दिया जायेगा।

कटपड़ी-तिरुपती लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1217. **श्री पी० राजगोपाल नायडू**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेलवे में कटपडी-तिरुपती रेल लाईन को ब्राड गेज लाइन में बदलने का सरकार का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब किया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) और (ख) कटपड़ी-तिरुपति मीटर लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।

Allotment of Indane Gas Agencies

1218. Dr. Murli Manohar Joshi : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers be pleased to state ;

(a) whether any directive principles have been laid down in respect of applications for giving agencies of Indane gas for domestic use in different cities, and if so, the broad outlines thereof ; and

(b) whether Government have received any complaints in respect of the allotment of the said agencies and if so, the action taken thereon ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) :(a) Till October, 1969, IOC was awarding its agencies (including Indane distributorships) on commercial considerations. In November, 1969, the policy was changed, and IOC's dealerships/agencies were awarded to unemployed graduates/engineeers etc. coming from the low income group families. This policy continued till November, 1971. After the war in December, 1971, this policy was superseded and a scheme was evolved by which all IOCs delaerships/agencies were awarded to disabled defence personnel, war-widows, dependents of those killed or missing in war and ex-servicemen, on the recommendations of the Director General of Resettlement, Ministry of Defence. This scheme has been kept in abeyance from 1-2-1975. Effective 1-1-1974, 25 of all agencies (excluding 'B' site outlets) are being reserved for Scheduled Castes/Tribes candidates.

(b) Complaints received by Government in selection of dealers are enquired into for taking suitable action.

रेलवे अधिकारियों द्वारा लक्जरी सैलुनों का प्रयोग

1219. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च रेलवे अधिकारियों द्वारा अपने दौरों के दौरान लक्जरी सैलूनों के उपभोग को बन्द करने के बारे में सोच रही है : और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि निरीक्षण यानों का केवल निरीक्षण कार्यों के लिए ही उपयोग किया जाए न कि रेलों पर उन स्टेशनों की यात्रा के लिए जहां कि पर्याप्त विश्राम स्थल मौजूद हैं।

पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना के बारे में केरल सरकार की दलील

1220. **श्री के० ए० राजन :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने से पैट्रोलियम उत्पादों पर आधारित पैट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने के बारे में केरल सरकार दलील दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में पैट्रो-रसायन के कार्यक्रम को बड़ौदा, गुजरात में नेपथा क्रैकर तथा डाउनस्ट्रीम एककों तथा असम में बोंगईगांव शोधनशाला/पैट्रो-रसायन कंम्पलैक्स से सम्बन्धित निर्माण कार्य को पूरा करने तक सीमित किया जा रहा है । पांचवीं योजना अवधि के दौरान इस समय कोचीन अथवा किसी अन्य स्थान पर पैट्रो-रसायन के किसी नये प्रमुख कार्यक्रम को चालू करने का विचार नहीं है ।

नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना और उर्वरकों के आयात में कमी किया जाना

1221. **श्री के० ए० राजन :**

श्री एस० आर० दामाणी : पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ये संयंत्र कहां पर स्थापित किये जायेंगे और तत्सम्बन्धी अन्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) जब ये नये एकक क्षमता अनुसार काम करने लगेंगे तब देश की उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकताओं के संबंध में आयात में कितनी कमी हो जाएगी और देश कहां तक आत्मनिर्भर हो जायेगा;

(घ) क्या कोचीन 111 उर्वरक कारखाना स्थापित करने सम्बन्धी केरल सरकार का अनुरोध गत पांच वर्षों से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर शीघ्र निर्णय करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) : संशोधित पांचवी योजना में 4 नई उर्वरक प्रायोजनाओं की व्यवस्था की गई है, जिनमें से दो 1977-78 में और दो 1978-79 में स्थापित होंगी। कच्चा माल, उत्पाद-मिश्रण की आवश्यकता, बाजार की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन किये जाने हेतु प्रायोजनाओं का पता लगाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। गैस को उर्वरक-सम्भरण सामग्री के रूप में प्रयोग करने से होने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए, बम्बई हाई क्षेत्र से प्राप्त सम्बद्ध गैस पर आधारित अतिरिक्त उर्वरक क्षमता की स्थापना को वरीयता दी जाएगी। वर्तमान अनुमानों के अनुसार 1983-84 तक खपत और उत्पादन में लगभग 1.2 मिलियन मी० टन नाइट्रोजन का अंतर होने की संभावना है। इस अंतर को पूरा करने और उर्वरकों के संबंध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त उर्वरक क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है।

(घ) और (ङ) संसाधनों की अत्यंत कठिनाई के कारण पांचवीं योजना के प्रारूप को तैयार करते समय लगाये गये अनुमानों के अनुरूप अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिये पांचवीं योजना कार्यक्रम को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सका और परिणामस्वरूप कुछ प्रायोजनाओं को इस कार्यक्रम से निकालना पड़ा। इसी कारण 'फैक्ट' द्वारा प्रस्तावित कोचीन चरण-III प्रायोजना पर भी विचार नहीं किया जा सका, कोचीन स्थित प्रायोजना को केवल ईंधन तेल पर आधारित किया जा सकता है अतः ऊपर (क) (ख) और (ग) में कही गई बात को ध्यान में रखते हुए इसको कम प्राथमिकता दी जाएगी और निकट भविष्य में ही स्वीकृति नहीं मिल पाएगी।

"फैक्ट" उद्योगमण्डल के उत्पादन से कंट्रोल हटाने का प्रस्ताव

1222. **श्री वयालार रवि : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फैक्ट" उद्योगमण्डल ने अपने उत्पादों से नियंत्रण हटाने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) फैक्ट उद्योगमंडल ने सरकार से अनुरोध किया है कि उनको उद्योग मंडल में उत्पादित अमोनिया सल्फेट पर, या तो उस पर से नियंत्रण हटाकर अथवा कारखाने से बाहर की वसूली में वृद्धि करके, राहत दी जाय।

स्ट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, अर्थात् यूरिया, अमोनिया सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिनके मूल्य कानूनी तौर पर नियंत्रित किये जाते हैं और जिनके लिये निर्माताओं को कारखाने से बाहर समान वसूली की अनुमति दी जाती है, के मूल्य निर्धारित करने के लिये सम्पूर्ण प्रस्ताव के एक भाग के रूप में फैक्ट की प्रार्थना पर विचार किया गया है। सरकार ने एक मूल्य निर्धारण नीति की सिफारिश करने के लिये एक समिति की स्थापना की है, ताकि निर्माताओं को उनके द्वारा किये गये निरंतर निवेश पर उचित लाभ को सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने स्ट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से संबंधित रिपोर्ट का माथा प्रस्तुत कर दिया है जिसमें अमोनियम सल्फेट भी शामिल है। समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

भारतीय उर्वरक निगम के बरौनी संयंत्र की समस्यायें

1223. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय उर्वरक निगम के उस बरौनी संयंत्र की समस्याओं की ओर दलाया गया है जो नवम्बर, 1976 में चालू हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री **(श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)**: (क) से (ग) बरौनी उर्वरक प्रायोजना के चालू होने के दौरान तथा बाद में (अर्थात् दोनों समय में) यांत्रिक समस्याएं थीं ? कार्बन-डियोक्साइड कम्प्रेशर में भी बड़ी खराबी हुई थी जिससे यूरिया संयंत्र के दो स्ट्रीम्स में से एक को जनवरी, 1977 से बन्द करना पड़ा। इसके अतिरिक्त बार-बार बिजली और वोल्टेज में उतार चढ़ाव के कारण इस संयंत्र में उत्पादन भी सीमित रहा है । फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया ने कुछ इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। निर्धारित क्षमता को प्राप्त करने और उत्पादन को स्थिर बनाने के लिए अपेक्षित संशोधनों का पता लगा लिया है और उनके कार्यान्वयन का कार्यक्रम तैयार किया गया है । बिजली की सप्लाई पद्धति में अस्थिरता को समाप्त करने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है और बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा कई संशोधन/परिवर्तनों का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

तेल की खोज के कार्य में तेजी लाना

1224. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तेल की खोज के कार्य में तेजी लाने का निर्णय किया है जिससे आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल मिलता है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं जिन पर इस सम्बन्ध में चालू वर्ष के दौरान कार्य किया जायेगा; और

(ग) क्या उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस उद्देश्य के लिए तेल शोधन क्षमता में भी वृद्धि की जानी चाहिए ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1977-78 के दौरान, उन क्षेत्रों में, जहां पर पहले से ही अनेक वर्षों से अन्वेषण कार्य चल रहा है, अन्वेषण कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का भूमि पर 15 क्षेत्रीय भू-गर्भीय दल, 24 भू-कम्पीय दल और एक सागरीय भू-कम्पीय दल और 5 गुरुत्व दल तथा चुम्बकीय दलों के विस्तार करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग आन्ध्र-प्रदेश के नरसापुर नगर के समीप एक स्थान पर गोदावरी बेसिन में पहली बार गहन व्यधन कार्य तत्काल आरम्भ करेगा। विदेशी ठेकेदारों के माध्यम से मन्नोर की खाड़ी में अन्वेषी व्यधन कार्य और अंडमान क्षेत्र में भूकम्पीय अन्वेषण कार्य पहले से आरम्भ कर दिया गया है। प्रख्यात तेल युक्त क्षेत्रों अर्थात् गुजरात, असम, बम्बई अपतटीय प्रदेशों में अन्वेषी व्यधन कार्य चल रहा है । हिमाचल प्रदेश, पश्चिम-बंगाल, त्रिपुरा नागालैंड में भी अन्वेषी व्यधन कार्य में प्रगति हो रही है । उत्तर प्रदेश में तत्काल गहन व्यधन कार्य आरम्भ करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विचार कर रहा है ।

आयल इंडिया लि० भी असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे अपने रियायती क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों में व्यधन कार्य को चला रही है ।

(ग) पांचवीं योजना अवधि के दौरान देश में शोध क्षमता को प्रति वर्ष 24 मी० टन से बढ़ा कर प्रति वर्ष 31 मी० टन से ऊपर करने की योजनाओं को मंजूरी दे दी गयी है ।

औषधियों के मूल्य में वृद्धि को रोकना

1225. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **पैट्रोलियम** तथा रसायन और **उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने औषधियों और आम इस्तेमाल की दवाईयों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के उपायों और साधनों के विषय पर चर्चा करने के लिए अप्रैल, 1977 में औषध निर्माताओं की पांच ऐसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ बात चीत की थी;

(ख) चर्चा का परिणाम क्या निकला था;

(ग) क्या औषधियों के बारे में दीर्घकालीन मूल्य नीति बनानी होगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) 20-4-77 को औषध और भेषज उद्योग संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श में उनको यह बताया गया था कि सरकार उपभोगताओं को नियंत्रित मूल्यों पर औषधियों को बेचने और औषधों की कमी न होने को सुनिश्चित करने का विचार रखती है। संघों ने सरकार के विचारों की सराहना की और इस विषय में सहयोग और समर्थन दिया। उन्होंने इस सम्बन्ध में व्यापारियों को विस्तृत आदेश जारी किए हैं।

(ग) और (घ) औषधों के मूल्य, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत विनियमित है। औषध और भेषज उद्योग पर समिति (हाथी समिति) के अपनी रिपोर्ट में औषधों के मूल्यों के सुव्यवस्थीकरण के बारे में अनेक सिफारिशें की हैं। समिति की सिफारिशों पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है।

रेल कर्मचारियों को बोनस

1226. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल कर्मचारियों को बोनस देने की बहुत समय से की जा रही मांग को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) जैसा कि 5-4-1977 को सदन में अतारांकित प्रश्न सं० 19 के उत्तर में बतलाया जा चुका है, सरकार बोनस से सम्बन्धित पूरे मुद्दे पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है।

गुजरात में बर्खास्त रेल कर्मचारियों की बहाली

1227. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बड़ी संख्या में बर्खास्त रेल कर्मचारियों को अभी तक काम पर वापस नहीं लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ग) उन्हें कब तक काम पर वापस ले लिया जायेगा तथा क्या उनमें से कुछ, यदि वे सेवा में रहे होते, तो सेवा निवृत्त हो जाते; और

(घ) ऐसे कर्मचारियों के लिये क्या कार्यवाही अथवा सहायता की जा रही है?

रेल मंत्री (प्रोफसर मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं। 1 मई, 1974 की रेल हड़ताल के संदर्भ में बरखास्त किये गये सभी रेल कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

के० के० एक्सप्रेस के साथ ए० सी० सी० स्लीपर कोच का जोड़ा जाना

1228. **श्री स्कारिया थामस :**

श्री जी०एस बनतवाला :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के० के० एक्सप्रेस गाड़ी के साथ एक ए० सी० सी० स्लीपर जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और यदि हां तो किस तिथि से?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : नई दिल्ली और बेंगलूरु तथा नई दिल्ली और तिरुवनन्तपुरम के बीच 125/126 कर्नाटक केरल एक्सप्रेस द्वारा सप्ताह में एक बार दोनों ही गाड़ियों में एक वातानुकूलित दो टायर शयन यान पहले से ही चल रहे हैं।

केरल में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण

1229. **श्री स्कारिया थामस :**

श्री वी० एम० सुधीरन :

श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण की योजना पर अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे के उन सैक्शनों के नाम क्या है जिनमें इस योजना के अन्तर्गत 1977-78 और 1978-79 में विद्युतीकरण किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस कार्य के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई हाई से अशोधित तेल का उत्पादन

1230. **श्री स्कारिया थामस : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'बम्बई हाई' से प्रतिदिन अनुमानित कितनी मात्रा में तेल निकाला जाता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार बम्बई हाई में अशोधित तेल के स्वदेशी उत्पादन को देखते हुए पैट्रोलियम की कीमतें कम करने का है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 35,000 बैरल प्रतिदिन

(ख) जी, नहीं।

Supply of Rakes of Coal in March in U.P.

†1231. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Rakes of coal supplied in March to Varanasi, Rai Bareli, Lucknow, Allahabad, Meerut, Agra and Aligarh in U.P. separately;

(b) the arrangements made to ensure regular and timely supply of these rakes of coal to all districts; and

(c) whether any quota has been fixed for each district and if so, the criteria followed in fixing such quota?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) The number of rakes of brick burning coal allotted to these stations during March' 77 are as under:

Name of the Station	Number of rakes allotted
1. Varanasi	1 rake
2. Rae-Bareli	1 rake
3. Lucknow	4 rakes
4. Allahabad	1 rake
5. Meerut	6 rakes
6. Agra	3 rakes
7. Aligarh	3 rakes

(b) During March and April 77 the total allotment for all the districts of U.P. has been 95.5 and 127.5 rakes against a requirement of 98 and 125 rakes respectively, as indicated by the U.P. Government. The requirements have thus been met.

(c) The requirements for the districts are indicated by the State Government which the Railways comply.

Translation of Acts in Hindi

†1232. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Acts which have been translated into Hindi and of those yet to be translated;

(b) the arrangements made for translation of Acts and whether this arrangement is adequate for the purpose; and

(c) the time by which the Hindi translation of the existing Acts is proposed to be completed?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) 801 Central Acts have been translated into Hindi so far. 81 Acts are yet to be translated.

(b) The Official Languages Wing (Raj Bhasha Khand) of the Legislative Department, Ministry of Law, Justice and Company Affairs has been entrusted with the work of translation of the Central Acts into Hindi, after the Official Language (Legislative) Commission was wound up with effect from the 1st October, 1976. This arrangement has been found to be adequate.

(c) Every effort is being made to bring the work up-to-date as early as possible.

Demand and Production of Synthetic Rubber

1233. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) the present annual production of synthetic rubber in the country and what percentage does it constitute to its total demand in the country; and

(b) the places where its raw material is available and in what quantity and whether efforts are being made to boost its production and if so, the way in which it is being done?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) The figures of production and consumption of synthetic rubber in the country, are given in the statement appended, for the years 1976-1977 (actual figures) and 1977-78 (estimated figures).

(b) The only synthetic rubber so far being manufactured in the country was SBR type rubber, and production of nitrile rubber in the country has just started. A plant for the manufacture of PBR type rubber is under construction. The raw materials required for SBR type are alcohol and benzene; those for nitrile rubber are acrylonitrile, alcohol and benzene, and for PBR type rubber are butadiene. Of the country's present requirements for synthetic rubber manufacture only acrylonitrile is not being indigenously produced and is being imported. Benzene for manufacture of synthetic rubber is being obtained from the steel plants of Hindustan Steel Limited, and alcohol is being obtained from various distilleries in U.P.

STATEMENT

Year	Consumption of synthetic rubber (in tonnes)			Production of Synthetic rubber (SBR Type)	% of Prodn. of synthetic rubber to the total consumption
	SBR type	Other types	Total		
1976–77 . . .	26,500	7,600	34,100	22,980	67.7 %
1977–78 . . (estimated)	28,000	8,000	36,000	26,000	72%

Raw Material for Plastic Manufacture

1234. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) the present supply and demand position of raw material for the manufacture of plastic in the country; and

(b) what raw material is used for the manufacture of plastic and whether all the material is available in the country itself or a part thereof is imported and if so, the names of the countries from where it is being imported and the quantity thereof in each case?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) and (b) The main raw materials used for the manufacture of plastics are naphtha, alcohol and calcium carbide. The supply and demand position is satisfactory, and no shortages have been reported. The raw materials are largely available indigenously.

मंत्रालय द्वारा की गई खरीद का मूल्य

1235. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा 25 जून, 1975 से 25 मार्च, 1977 तक ऐसी कम्पनियों से कितनी कीमत का माल खरीदा गया अथवा खरीदने का विचार था जिनमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र/पुत्रों तथा परिवार के अन्य सदस्यों का हित था; तथा उसका विवरण क्या है : और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) इस बारे में कृपया 14-6-77 को विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री की ओर से शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री द्वारा लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 283 का उत्तर देखें। उससे यह पता चलेगा कि 31-3-1976 को निजी क्षेत्र में 43,853 कम्पनियां थीं। कम्पनी कार्य विभाग के किसी भी कार्यालय में ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता जिससे किसी एक स्थान पर यह पता चल सके कि किसी व्यक्ति विशेष ने विभिन्न कम्पनियों में कितने हिस्से खरीदे हुए हैं। इसलिये निश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री के परिवार का किन कम्पनियों में हित था।

जहां तक रेल मंत्रालय की जानकारी है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य जिन कम्पनियों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं, वे इस प्रकार हैं (क) मारुति लिमिटेड, (ख) मारुति टेक्नीकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और (ग) मारुति हैवी व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड। 25-6-75 से 25-3-77 के बीच की अवधि में रेलों द्वारा इन फर्मों से कोई खरीद नहीं की गई।

रेलवे कर्मचारियों और जनता की शिकायतों की जांच के लिये सेल की स्थापना

1236. **श्री निहार लास्कर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त करने तथा उनकी कठिनाइयों की जांच के लिये एक सैल की स्थापना की है;

(ख) क्या सैल रेलवे के विरुद्ध जनता की शिकायतें भी प्राप्त कर रहा है तथा उनकी जांच कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनकी जांच की गई है; और

(घ) इससे रेलवे के कार्यकरण में सुधार करने में कहां तक सहायता मिली है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 26-3-77 से 13-6-77 तक की अवधि में इस कक्ष में प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों तथा अन्य मामलों की कुल संख्या 37,992 है। 31,377 मामलों में प्रारम्भिक जांच पूरी कर ली गई है तथा कई मामलों में अन्तिम कार्यवाई भी पूरी हो चुकी है।

(घ) रेल कर्मचारियों से अभ्यावेदन तथा आम जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिये मनोनीत अधिकारी के रूप में इस कक्ष की स्थापना से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि प्रभावित व्यक्तियों में यह विश्वास पैदा करने में मदद मिली है कि उनके मामलों पर सर्वोच्च स्तर पर विचार किया जायेगा और दूसरे, ऐसे पत्रों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने से उचित स्तर पर शिकायतों का शीघ्र निपटारे में सहायता मिलेगी।

मुगलसराय में हुई दुर्घटना की रिपोर्ट

1237. **श्री निहार लास्कर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुगलसराय जंक्शन पर वाराणसी मुगलसराय इलाहाबाद यात्री गाड़ी की दुर्घटना के लिये रेलवे के अतिरिक्त आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में रेल कर्मचारियों को दोषी ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में दिये गये अन्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उत्तरदायी ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) रेल संरक्षा के ऊपर आयुक्त का निष्कर्ष है कि यह रेल दुर्घटना रेल कर्मचारी की विफलता के कारण हुई ।

(ग) जांच अधिकारी द्वारा उत्तरदायी ठहराये जाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

तटदूर की खोज के लिये विदेशी कम्पनियों के साथ ठेके

1238. **श्री वसन्त साठे** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटदूर तेल की खोज के लिये कितनी विदेशी कम्पनियों को ठेके दिये गये हैं और उसके बारे में मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) कावेरी, कच्छ और बंगाल उड़ीसा बेसिन में इन कम्पनियों द्वारा इस कार्य में अब तक क्या प्रगति की गई हैं; और

(ग) तेल के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; अथवा की जाने वाली है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अपतटीय अन्वेषण के लिये विदेशी कम्पनियों के तीन ग्रुपों को ठेके दिये गये हैं। इन ठेकों की मोटी मोटी बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) कावेरी बेसिन में अपेक्षित सर्वेक्षण करने के पश्चात् कनाडा का आसामेरा दल इस समय पहले कुयें का व्यधन कार्य कर रहा है । कच्छ बेसिन में रीडिंग एंड बेटस नामक अमरीकी दल ने 1974-75 में सर्वेक्षण आयोजित किये थे और उस क्षेत्र में एक कुयें को खोदा जिसमें वाणिज्यिक तौर पर हाईड्रोकार्बन के भंडार के कोई संकेत नहीं मिले। ठेके की शर्तों के अधीन, जून, 1977 के अन्त तक संविदाकार को इस आशय की घोषणा करनी होगी कि क्या उसका इरादा उस क्षेत्र में और आगे अन्वेषण कार्य को जारी रखने का है। बंगाल उड़ीसा बेसिन में, काल्सबर्ग नामक अमरीकी दल ने 1974-75 में सर्वेक्षण आयोजित किया था और वहां पर उसने दो अन्वेषी कुंओं की खुदाई की थी जिनमें वाणिज्यिक तौर पर हाइड्रोकार्बनस की उपलब्धि के कोई संकेत नहीं मिले थे। इस संविदाकार को भी जून 1977 के अन्त तक इस बात की घोषणा करनी होगी कि क्या ठेके वाले क्षेत्र में और अधिक व्यधन कार्य करने का उसका इरादा है।

(ग) दोनों तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में तेल अन्वेषणों के प्रयासों में तीव्रता ला दी गई है।

विवरण

तटीय क्षेत्र में अन्वेषण सम्बन्धी तीन ठेकों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

1. कावेरी बेसिन

आसामेरा नामक कनेडाई दल इस बेसिन का ठेकेदार है। ठेका बद्ध क्षेत्र लगभग 26000 वर्ग किलोमीटर है। इस ठेके की अवधि 24 वर्ष है, जो कि 1 नवम्बर, 1975 से लागू होती है।, भूकम्पीय सर्वेक्षण के पश्चात् संविदाकार को 1-11-1975 से 18 माह की अवधि के अन्दर अन्वेषण कार्य के लिये 5000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को चुनना होगा । और शेष को छोड़ देना होगा। तीन वर्ष के अन्त तक इस क्षेत्र में कमी करके इसे 2500 वर्ग किलोमीटर तक सीमित कर दिया

जाएगा और सातवें वर्ष के अन्त तक ठेकेदार के लिये मात्र उत्पादन योग्य क्षेत्र छोड़ दिया जायेगा । ठेकेदार को अपने आपको एक निर्माणकारी कार्यक्रम और न्यूनतम खर्चे वाले कार्यक्रम के लिये वचनबद्ध करना पड़ेगा। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का इस ठेके में 35 प्रतिशत तक का भाग लेने की रुचि तक सीमित है और तेल की वाणिज्यिक उपलब्धि के कार्य में आयोग को अपने शेयरों में 15 प्रतिशत तक की वृद्धि करने का अधिकार होगा। इस ठेके में अन्य बातों के साथ साथ इसमें भारतीय कार्मिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करने, उनको प्रशिक्षण देने, भारतीय माल के अधिकतम प्रयोग करने तथा सेवाओं आदि की अधिकतम व्यवस्था है।

2. कच्छ बेसिन :

इस बेसिन का ठेकेदार रीडिंग एंड बेटस नामक अमरीकी दल है। ठेकाबद्ध क्षेत्र लगभग 28,000 वर्ग किलोमीटर है। इस ठेके की अवधि 24 वर्ष है जो कि 1 अगस्त 1974 को लागू होती है। भू-कम्पीय सर्वेक्षण करने के पश्चात् संविदाकार को 1-8-1974 से दो वर्ष की अवधि के अन्दर अन्वेषण कार्य के लिये 5000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को चुनना होता है और बाकी का क्षेत्र उसे छोड़ देना होगा। तीसरे वर्ष के अन्त तक इस क्षेत्र में कमी करके इसे 2500 वर्ग किलोमीटर तक सीमित कर दिया जायेगा और सातवें वर्ष के अन्त तक ठेकेदार के लिये उत्पादन योग्य क्षेत्र छोड़ दिया जायेगा। वाणिज्यिक तौर से तेल की उपलब्धि पर, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इस ठेके का 10 प्रतिशत तक का भाग खरीद सकता है यहां भी ठेकेदार को अपने आपको निर्माणकारी कार्यक्रम और न्यूनतम खर्चे वाले कार्यक्रम के लिये वचनबद्ध करना पड़ेगा। इस ठेके में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय कार्मिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करने, उनको प्रशिक्षण प्रदान करने, भारतीय माल के अधिकतम प्रयोग तथा सेवाओं आदि की अधिकतम व्यवस्था है ।

3. बंगाल उड़ीसा बेसिन :

काल्सबर्ग नामक अमरीकी दल इस बेसिन का ठेकेदार है। ठेकाबद्ध क्षेत्र लगभग 28,000 वर्ग किलोमीटर है। ठेके की अवधि 27 वर्ष है तथा 1 अगस्त, 1974 से लागू होती है। भूकम्पीय सर्वेक्षण के पश्चात् संविदाकार को 1-8-1974 से दो वर्ष की अवधि के अन्दर अन्वेषण कार्य के लिये 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को चुनकर बाकी क्षेत्र छोड़ देना होगा। तीसरे वर्ष के अन्त तक इस क्षेत्र को कम करके 2500 वर्ग किलोमीटर तक सीमित कर दिया जायेगा और सातवें वर्ष के अन्त तक ठेकेदार के लिये केवल उत्पादन योग्य क्षेत्र ही छोड़ दिया जायेगा। ठेकेदार को भी अपने आपको एक निर्माणकारी कार्यक्रम और न्यूनतम खर्चे वाले कार्यक्रम तक बचनबद्ध करना होगा। नाटोमास इंडिया, जो कि एक अमरीकी कम्पनी है, इस संविदाकार के कार्य संचालक (आपरेटर) है। इस ठेके में नाटोमास ने 15 प्रतिशत के अपने कार्य की सुपुर्दगी की है और 1-8-1975 से लागू तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के साथ कार्य संचालन करार भी किया है। यह व्यवस्था ठेके के अन्तर्गत उस 10% के अतिरिक्त है जिसके लिये तेल की वाणिज्यिक उपलब्धि पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को उपलब्ध करने का विकल्प होगा। इस ठेके में अन्य बातों के साथ-साथ इसमें भारतीय कार्मिकों की अधिकतम रोजगार प्रदान करने, उन्हें प्रशिक्षण देने, भारतीय माल के अधिकतम प्रयोग करने और सेवाओं आदि की अधिकतम व्यवस्था है ।

पिंक-एक्सप्रेस रेलगाड़ी को अहमदाबाद तक चलाने अथवा दिल्ली से अहमदाबाद के बीच अति तीव्रगामी रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव

1239. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय चलने वाली पिंक एक्सप्रेस को अहमदाबाद तक बढ़ाने अथवा दिल्ली से अहमदाबाद तक एक अति तीव्रगामी रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बड़े औषध निर्माताओं द्वारा बल्क औषधियों का निर्माण

1240. **श्री डी०डी० देसाई** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बड़े औषध निर्माताओं को हाथी समिति द्वारा सिफारिश किये गये कुछ बल्क औषधियां बनाने को कहने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन निर्माताओं ने ऐसी औषधियों का निर्माण करना स्वीकार कर लिया है; और

(ग) क्या उन्होंने एकाधिकार तथा निर्बाधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम को लागू करने के मामले में कुछ रियायतें देने को भी कहा है ?

पैट्रोलिमय तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) हाथी समिति की सिफारिशों के आधार पर अर्थात् :--

(1) जन समूह की खपत के लिए हाथी समिति द्वारा पता लगाये गये 117 अनिवार्य सूत्रयोगों के उत्पादन के लिये अपेक्षित प्रपुंज औषधों के उत्पादन में वृद्धि ; और

(2) सरकारी क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र और विदेशी क्षेत्रों को सौंपे गये सम्बद्ध उत्पादन के प्रकार।

सरकार ने "सरकारी क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र, और सभी क्षेत्रों के लिए" निर्यात किये जाने वाले प्रपुंज औषधों की तीन सूचियां तैयार की हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों पर इन सूचियों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मामले पर गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाता है ।

(ग) पता लगा है कि ओ पी सी आई के अध्यक्ष ने 11वीं वार्षिक सार्वजनिक बैठक में सरकार पर बल दिया कि एम आर टी पी अधिनियम के अन्तर्गत कुछ प्रतिबन्धों को हटाने के विचार को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया जाये ।

बड़ोदा में पैट्रो-रसायन संयंत्रों की स्थापना

1241. **श्री डी० डी० देसाई**

श्री पी०जी० मावलंकर :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़ौदा संयंत्र के अतिरिक्त और पैट्रो-रसायन संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या उक्त निर्णय लेते समय बड़ौदा संयंत्र के विस्तार और नये संयंत्रों की स्थापना के तुलनात्मक आर्थिक पहलू पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) बड़ौदा में आई० पी० सी० एल० के जिस पैट्रो-रसायन कम्प्लैक्स को छोड़कर विनायल क्लोराइड, पोलीविनायल क्लोराइड एक्रीलेट्स, प्रोपौलीन आक्साइड, प्रोपीलीन गलाईकोल के निर्माण हेतु अतिरिक्त संयंत्रों को लगाने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। असम में बोंगईगांव में सार्वजनिक क्षेत्र में एक अन्य पैट्रो-रसायन कम्प्लैक्स की स्थापना की जा रही है जिसमें जाइलीन कम्प्लैक्स, एक डी० एम० टी० एकक और एक पालिस्टर फाइबर एकक होंगे।

(ग) और (घ) इस मामले पर उचित समय पर विचार किया जायेगा।

Appointments made in the Punjab and Haryana High Court

†1242. **Shri Yagya Datt Sharma** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether appointments made in the recent years in the Punjab and Haryana High Court have been commented upon adversely by the Chief Justice of Supreme Court; and

(b) whether those appointments were annulled ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) All appointments in recent years in the Punjab and Haryana High Court were made with the concurrence of the Chief Justice of the Supreme Court. The Government are not aware of any adverse comments having been made by the Chief Justice, after those appointments were made.

(b) Does not arise.

पैट्रोल तथा अन्य उत्पादों की उत्पादन लागत

1243. **डा० विजय कुमार मण्डल** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)- शोधन तथा परिवहन सहित पेट्रोल का प्रति लीटर तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का प्रति टिन अथवा किसी अन्य माप में उत्पादन लागत क्या है; और

(ख) उपभोक्ताओं से इन उत्पादों की उत्पादन लागत से दुगने से अधिक मूल्य वसूल किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) प्रति लिटर पेट्रोल तथा 4 अन्य मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन करने और परिवहन सहित उत्पादन का औसत मूल्य तथा बम्बई और दिल्ली में उनके फुटकर बिक्री मूल्यों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है, जिसे सभा पटल पर रखा जा रहा है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 465/77]

(ख) संलग्न विवरण यह भी प्रदर्शित करेगा कि उत्पादन शुल्क, बिक्री-कर आदि जैसे अन्य घटक भी है जो कि अंतिम बिक्री मूल्यों के अंश (भाग) हैं। यह बात मात्र मोटर स्पिरिट के मामले में लागू होती है कि उसका फुटकर बिक्री मूल्य उत्पादन की लागत के दुगने से भी अधिक है।

जी०टी० एक्सप्रेस और तमिलनाडु एक्सप्रेस के चलन समय को कम करने का प्रस्ताव

1244. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली जी० टी० एक्सप्रैस और तमिलनाडु एक्सप्रैस का चलन-समय कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या रोज चलने वाली जी० टी० एक्सप्रेस में कुर्सी यान के स्थान पर नये वातानुकूलित शयन शयिका युक्त डिब्बे लगाने और दोनों रेलगाड़ियों में टेलीफोन लगाने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

महाराष्ट्र बार काउंसिल (बम्बई) के चेयरमैन से प्राप्त अभ्यावेदन

1245. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों की अवधि में महाराष्ट्र बार काउंसिल (बम्बई) के चेयरमैन की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने और वे कब प्राप्त हुए; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) जी हां ।

(ख) अक्टूबर, 1974 और मई, 1977 के बीच दस अभ्यावेदन ।

(ग) अभ्यावेदनों में उल्लिखित सभी बातों पर सरकार विचार कर रही है ।

निर्धारित समय पर न चलने वाली रेलगाड़ियां

1246. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल गाड़ियों के समय पर न चलने के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1977 के प्रथम दो सप्ताह के दौरान कितनी रेलगाड़ियां निर्धारित समय पर नहीं चली हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) अप्रैल, 1977 के पहले दो सप्ताहों के दौरान 'समय न खोने वाली' डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय-पालन की स्थिति की तुलना पिछले वर्ष की इसी अवधि से करने पर पता चलता है कि गाड़ियों के समय-पालन में थोड़ी कमी आ गयी है। इस अवधि के दौरान सभी रेलों पर समय खोने वाली इन गाड़ियों का औसत प्रतिशत बड़ी लाइन पर 7.4 प्रतिशत और मीटर लाइन पर 6.4 प्रतिशत था ।

भारतीय उर्वरक निगम, हल्दिया डिवीजन के कर्मचारियों को परियोजना भत्ते का भुगतान

1247. **श्री बी० गंगाधर अप्पा बूराडे** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय उर्वरक निगम, हल्दिया डिवीजन के प्रबन्धकों ने संशोधित वेतनमानों की वर्तमान दरों के आधार पर परियोजना स्थलों पर तैनात कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1973 से परियोजना भत्ता देना मंजूर कर लिया था और नवम्बर, 1975 के महीने में निदेशकमण्डल ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधित वेतनमानों के आधार पर परियोजना भत्ते के भुगतान का अनुमान करने पर वर्तमान सरकार विचार कर रही है;

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) एफ सी आई के हल्दिया प्रभाग ने संशोधित वेतनमान पर वर्तमान दर से 1-1-73 से प्रायोजना भत्ते के भुगतान के लिए कर्मचारियों के प्रस्ताव की निगम को सफारिश की है। एफ सी आई मंडल ने नवम्बर 1975 में प्रस्ताव पर विचार किया और प्रस्ताव को सरकार के पास भेजने का निर्णय किया, क्योंकि इसमें सामान्य प्रश्न की नीति शामिल है। प्रस्ताव सरकार द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि इससे संशोधित वेतनमानों के बारे में सरकार के सामान्य आदेशों को छोड़ना पड़ता है। इन आदेशों के अन्तर्गत संशोधित वेतनमानों के संदर्भ में प्रायोजना भत्ता केवल नई दरों पर दिया जाना है जो पहले की दरों से कम है। तथापि, जहां प्रायोजना भत्ता पहले ही दिया जा रहा है वह पुराने दरों पर जारी होना था और केवल पूर्व-संशोधित दरों पर ।

Shivnarayanpur Railway Station

†1248. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the average revenue earned from passenger and goods traffic during a year at Shivnarayanpur railway station (Eastern Railway, Howrah Division);

(b) the average number of accidents which took place while boarding and alighting from trains during a year because of low level of platform at Shivnarayanpur Railway station; and

(c) whether Government propose to arise the level of this platform and if so, the time by which this work is likely to be completed ?

Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) The revenue earned from both passenger and goods traffic during the calendar year 1976 at Shivnarayanpur Railway Station was Rs. 3,66,840.

(b) No such accident took place at Shivnarayanpur railway station during the last three years.

(c) Such facilities are provided on a programmed basis in consultation with railway Users' Amenities Committee. The proposal for raising the platform to high level will be placed before the Amenities Committee for consideration.

हल्दिया में पैट्रो-रसायन कम्पलैक्स की स्थापना

1249. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में एक पैट्रो-रसायन कम्प्लैक्स की स्थापना करने का अनुरोध काफी लम्बे समय से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) हल्दिया में एक पैट्रो-रसायन कम्प्लैक्स की स्थापना और नेफ्था को अधिक मात्रा में उपलब्ध करने हेतु, हल्दिया शोधनशाला की क्षमता में विस्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं ।

(ख) पांचवीं योजना अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में पैट्रो-रसायन के कार्यक्रम को बड़ौदा, गुजरात में नेफेथा क्रैकर और डाउन स्ट्रीम एककों तथा असम में बौंगाई गांव शोधनशाला, पेट्रो-रसायन कम्प्लैक्स को पूरा करने तक सीमित रखा जा रहा है। पांचवीं योजना अवधि के दौरान, हल्दिया अथवा किसी अन्य स्थान पर पेट्रो-रसायन कम्प्लैक्स की स्थापना किसी नए प्रमुख कार्यक्रम पर विचार नहीं किया जा रहा है।

जन न्यायालय

1250. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जन न्यायालय स्थापित करने का है ;

(ख) क्या कुछ राज्यों में परीक्षण के तौर पर जन न्यायालय स्थापित किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा उन्हें कितनी सफलता मिली है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

भारत रिफाइनरीज लिमिटेड के पूर्वी क्षेत्र में कर्मचारियों का कम वेतन

1251. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रिफाइनरीज लिमिटेड के पूर्वी क्षेत्र में क्लर्कों और श्रमिकों की मंज़री और पारिश्रमिक क्षेत्र की अन्य सभी तेल कम्पनियों की तुलना में सब से कम है; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के वेतनमानों और पारिश्रमिकों में क्षमता लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जी, हां। पूर्वी प्रदेश स्थित भारत रिफाइनरीज लि० के लिपिक और श्रमिक वर्ग के कर्मचारियों के वेतन कुल मिलाकर इसी प्रदेश में स्थित अन्य तेल कम्पनियों के समान वर्ग के कर्मचारियों के वेतनों से कम है। भारत रिफाइनरीज लि० की यह एक दीर्घकालीन योजना है कि कुछ समय के अन्दर धीरे-धीरे पूर्वी क्षेत्र में स्थित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों और इसके अपने कर्मचारियों के वेतन के बीच व्यावहारिक रूप से जितनी अधिक सम्भव हो, समानता लाई जाये। भारत रिफाइनरीज लि० ने संघों के साथ अगले दीर्घ कालीन समझौते पर विचार-विमर्श करना शुरू कर दिया है।

निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के बारे में रिपोर्टें

1252. **श्री पी०जी० मावलंकर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के बारे में न्यायाधीश भगवती और न्यायाधीश कृष्ण अय्यर समितियों तथा अन्य संबंधित निकायों की रिपोर्टों का यदि कोई है तो अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त समितियों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा उनको क्रियान्वित करना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी नहीं। सरकार भगवती समिति की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में रेल पुलों की मरम्मत करना, उन्हें मजबूत बनाना तथा उनका पुर्ननिर्माण

1253. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1976, 1977 और 1978 में गुजरात से छोटे अथवा और बड़े रेल पुलों की मरम्मत करने, उन्हें मजबूत बनाने तथा उनके पुनर्निमार्ण करने का कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो लागत तथा परिचालन सुविधाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या रेल अधिकारी इन सभी पुलों की नियमित रूप से जांच कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार तथा उसका क्या परिणाम है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) 1975-76 और 1976-77 में } जी हां।

1977-78 में मरम्मत करने, मजबूत करने आदि का कार्यक्रम बनाया गया है ।

(ख) गुजरात में रेलवे पुल

भारी मरम्मत, पुनर्निर्माण, मज़बूत करना, फिर से गार्डर लगाना आदि।

वर्ष	साधारण मरम्मत/ अनुरक्षण पर खर्च की गयी राशि (रु०)	पुलों की संख्या जिन पर ऐसे कार्य किये गये	इस प्रकार के कार्यों की लागत (रु०)	वर्ष के दौरान पुल संबंधी कामों पर खर्च की गयी राशि (साधारण मरम्मत/अनुरक्षण को छोड़कर) (रु०)
1975-76	27.40 लाख	62	493.17 लाख	203.17 लाख
1976-77	30.15 लाख	35	801.61 लाख	392.61 लाख
1977-78* . .	31.00 लाख	29*	*567.10 लाख	*157.10 लाख

*1977-78 के लिए प्रस्तावित ।

(ग) जी हां ।

(घ) इंजीनियरी कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले पुलों का नियमित रूप से निरीक्षण करें, और यह काम विभिन्न स्तरों पर किया जाना होता है । रेल पथ निरीक्षक को जो अपने खंड का इंचार्ज होता है वर्ष में एक बार मानसून से पहले सभी पुलों का निरीक्षण करने, पुल रजिस्टर में प्रत्येक पुल के संबंध में अपनी टिप्पणी लिखनी होती है । इसी प्रकार, उप मंडल के इंचार्ज सहायक इंजीनियर को वर्ष में एक बार फिर अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले सभी पुलों का निरीक्षण करना होता है । इन पुल रजिस्टरों की उच्चतर अधिकारियों द्वारा संवीक्षा की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, पुलों को मजबूत करने की उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

पुलों के ठीक और सही हालत में होने के बारे में इंजीनियरी कर्मचारियों के संतुष्ट होने पर ही पुलों पर गाड़ियों को अपनी निर्धारित सामान्य रफ्तार पर चलने की अनुमति दी जाती है ।

मध्य रेलवे में कर्मचारियों को स्थायी किया जाना

1254. **श्री के० मालन्ना** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में ऐसे अनेक कर्मचारी अभी तक अस्थाई हैं, जिनकी सेवा पांच वर्षों से अधिक हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इन अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां।

(ख) पात्र कर्मचारियों की पुष्टिकरण की सुविधा के लिए यथा-संभव अधिक से अधिक संख्या में अस्थाई पदों को स्थाई पदों में बदलने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं। पुष्टिकरण की गति में हाल ही में वृद्धि हुई है।

भारत में तेल की खोज के काम में लगे विदेशी विशेषज्ञ

1255. **श्री के० मालन्ना : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है और इस समय भारत में तेल की खोज का कार्य कर रहे हैं; और

(ख) उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या हैं और वे भारत में कितनी अवधि के लिए आये हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) भारत में तेल अन्वेषण के लिए इंगलैण्ड, अमेरिका, नार्वे, फ्रांस, हंगरी आदि की कम्पनियों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) ठेकेदार प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में स्वीकृत शर्तों के अनुसार कुछ विशिष्ट अवधि के लिए की गई सेवाओं के लिए नगद पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। तेल अन्वेषण करने वाले संगठनों के लिए उन शर्तों को प्रकट करना उनके अपने वाणिज्यिक हित में नहीं है, जिनके अन्तर्गत उनकी सेवाएं प्राप्त की गई हैं।

मेरठ में उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने संबंधी फाइल

1256. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक स्थान पर उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव वाली फाइल गुम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फाइल का पता लगाने का है; और

(ग) फाइल किन परिस्थितियों में गुम हुई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) फाइल गुम नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहारणपुर-शाहदरा रेलवे लाईन सेवा को नई दिल्ली तक बढ़ाना

1257. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारणपुर-शाहदरा रेलवे लाईन के दैनिक यात्रियों की असुविधा को दूर करने के लिये इस सेवा को नई दिल्ली तक बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) चूंकि शाहदरा-बागपत रोड लाइन गाजियाबाद दिल्ली/नई दिल्ली मुख्य लाइन से जुड़ी हुई नहीं है, अतः दिल्ली शाहदरा-बागपत रोड सवारी गाड़ियों को बढ़ाकर दिल्ली/नई दिल्ली तक लाना ले जाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। जब और जैसे ही इसका मुख्य लाइन से सम्पर्क स्थापित हो जायेगा, इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

मारुति लिमिटेड के शेयरधारी

1258. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स मारुति लिमिटेड, गुड़गांव के शेयरधारियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक ने कितने शेयर लिये हुए हैं;

(ख) कम्पनी को गत तीन वित्तीय वर्षों में, वर्षवार कितनी हानि अथवा लाभ हुआ है; और

(ग) कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक कौन है, उसका वेतन कितना है तथा उसे अन्य अतिरिक्त लाभ क्या दिये गये ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) 30-9-1976 तक बनाई गई और कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा को प्रस्तुत की गई नवीनतम वार्षिक विवरणी के अनुसार 30-9-1976 तक मैसर्स मारुति लिमिटेड में 988 शेयरधारी थे। इन शेयरधारियों के नाम उनमें से प्रत्येक के द्वारा धारित शेयरों की संख्या के साथ अनुलग्नक विवरण पत्र में दिये जाते हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 466/77]

(ख) कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा के पास प्रस्तुत कम्पनी के लाभ और हानि लेखे के अनुसार कम्पनी द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अवधि में उठाई गई हानियों की राशि निम्न प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष समाप्ति	हानियां	
31-3-1974	26,80,863	रु०
31-3-1975	48,18,614	रु०
31-3-1976	53,11,069	रु०

टिप्पणी :—31-3-1976 को समाप्त हुए वर्ष में 13.18 लाख रु० की राशि के लिए मूल्य ह्रास हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(ग) कम्पनी का इस समय कोई प्रबन्ध निदेशक नहीं है।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन

1259. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि देश में कार्यरत विदेशी बहुराष्ट्रिक औषधि फर्मों द्वारा अगर लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक कोई उत्पादन किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) अनधिकृत उत्पादन के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है।

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1974 के लिए प्रपुंज औषधों से संबंधित अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण-पत्र संलग्न है। वर्ष 1975 और 1976 के लिए वैसी ही सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी। अभी औषध सूत्रयोगों के उत्पादन की देखरेख नहीं की जा रही है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 467/77]

(ख) औषध और भेषज के लिए गठित समिति द्वारा अधिक उत्पादन के प्रश्न पर विचार किया गया था और प्रपुंज औषधों के विषय में अधिक क्षमता के विनियमन पर समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

बरौनी में अमोनिया संयंत्र का खराब होना

1260. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बरौनी स्थित अमोनिया संयंत्र खराब हो गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे उत्पादन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या यह खराबी तकनीकी कारणों से हुई अथवा कर्मचारियों की गलती से; और

(ग) यदि हां, तो क्या जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं। तथापि 8 जनवरी, 1977 की यूरिया संयंत्र के कार्बोडिआक्साइड कम्प्रैसर में अधिक खराबी हो गई थी तथा इन दो यूरिया संयंत्रों में से एक को बन्द करना पड़ा था। इस कारण लगभग 11,000 मी० टन नाइट्रोजन के उत्पादन में हानि हुई।

(ख) और (ग) एफसीआई कम्प्रैसर के खराब होने के कारणों की जांच कर रही है।

अधिकारियों को गहन प्रशिक्षण

1261. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग प्रवराधीन अधिकारियों के प्रारंभिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त गहन प्रशिक्षण नहीं देता है।

(ख) कार्यकुशलता में सुधार करने हेतु सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण की विद्यमान व्यवस्था में की क्या गुंजाइश है; और

(ग) क्या सरकार का अधिकारियों के ज्ञान को अद्यतन बनाने, उनके रुझान को बदलने और उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए कोई उनके लिए उपयुक्त पुनश्चर्या नवीकरण पाठ्यक्रमों को शुरू करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) भारतीय रेलों पर सेवाकालीन प्रशिक्षण की सुस्थापित प्रणाली है। यह प्रशिक्षण अधिकारियों को उनके कौशल में सुधार लाने के उद्देश्य से उनकी सेवा के विभिन्न स्तरों पर दिया जाता है।

(ग) प्रशिक्षण की वर्तमान प्रणाली में पुनश्चर्या तथा पुनरनुकूलन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है जिनसे अधिकारियों को अपने ज्ञान, रुचि और कौशल में सुधार लाने में सहायता मिल सके।

सिन्दरी संयंत्र के आधुनिकीकरण के पूरे होने की लागत और समय

1262. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्दरी उर्वरक संयंत्र को आधुनिक बनाने के कार्यक्रम पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा वह कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) क्या इसमें कुछ विदेशी मुद्रा अथवा तकनीकी सहायता लगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है और

(ग) आधुनिकीकरण के पश्चात् संयंत्र के कार्यकरण में अपेक्षित परिवर्तनों और सुधारों का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सिन्दरी आधुनिकीकरण परियोजना पर 152.04 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है तथा संयंत्र का यांत्रिक निर्माण नवम्बर, 1977 तक पूरे हो जाने की आशा है।

(ख) परियोजना लागत का विदेशी मुद्रा अंश 53.71 करोड़ रुपये है जिसमें लाइसेंस और जानकारी फीस डिजाइन इंजीनियरिंग में सहायता प्राप्ति निर्माण और संचालन तथा कुछ उपकरणों की खरीद शामिल है ;

(ग) सिन्दरी में विद्यमान संयंत्र, जो कोक और कोक ओवन गैस के रूप में कच्चे माल तथा प्रोद्योगिकी, जो अब प्रयोग में नहीं लाई जाती है, पर आधारित है, अपनी उपयोगिता समाप्त कर चुका है। आधुनिकीकरण संयंत्र, जो, ईंधन तेल के रूप में कच्चे माल पर आधारित है, की अमोनिया उपलब्धता में सुधार होने तथा इसके परिणामस्वरूप विद्यमान संयंत्र की उत्पादन की मुख्य सीमाओं के समाप्त हो जाने की आशा है।

1976-77 में पंजीकृत कम्पनियां

1263. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग, व्यापार और वाणिज्य तथा सार्वजनिक उपयोगिता एककों के अन्तर्गत वर्ष 1976-77 में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में पंजीकृत की गई नई कम्पनियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : 1976-77 के वर्ष के मध्य सरकारी क्षेत्र में चउवन तथा निजी क्षेत्र में 2645 नवीन कम्पनियों का पंजीकरण हुआ था।

उनके पंझीकरण के समय, उनके प्रयोजन वाक्य में यथा प्रदर्शित उनके मुख्य औद्योगिक कार्यकलाप के अनुसार इन कंपनियों का, सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का अलग-अलग वितरण नीचे दिया गया है :—

मुख्य औद्योगिक कार्यकलाप	सरकारी क्षेत्र की कंपनियां	निजी क्षेत्र में की कंपनियां
1. कृषि तथा संबंधित कार्यकलाप	5	70
2. खनिज तथा पत्थर निकालना	2	29
3. विधायन तथा निर्माण	31	1427
4. निर्माण तथा उपभोगितायें	6	69
5. वाणिज्य (व्यापार तथा वित्त)	4	672
6. सभी प्रकार की सेवाएं	6	378
योग	54	2645

Adulteration in Lubricants

1264. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether large scale adulteration has been found on several occasions in lubricants and whether Government have also received complaints recently to this effect, and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken by Government to check this adulteration?

The Minister for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Lubricating oils are primarily sold through recognised distributors/dealers of the major oil Companies and Government have not come across any serious complaint about the quality of lubricating oils sold through the marketing network including the retail outlets of the major oil companies. Government have, however, received certain reports regarding sale of spurious/off specification lubricating oils by private processors/marketers/petty jobbers and unauthorised dealers.

(b) Apart from initiating follow up action on the measures suggested by an expert panel se up by the Government to look into the problem of adulteration/mis-use of lubricants, Government have prescribed a scheme of discipline in regard to distribution of lubricants which is required to be implemented by all the major oil companies. Oil Companies have been conducting surprise checks on their retail outlets/agents with a view to ensure that there are no malpractices in distribution of lubricants through their outlets. The oil companies have also been asked to increasingly take up direct sales to all the major consumers. A series of further measures have been contemplated with the objective of minimising the circulation of spurious lubricants in the market. Some of the major steps in this direction are set out below :—

(i) Government propose to make the use of the ISI mark mandatory for all manufacturers of automotive oils, industrial oils and greases. The details in this regard are being worked out in consultation with the ISI and other concerned organisations.

(ii) Stricter control would be exercised over allocation of feedstocks for the purpose of lube manufacture. The idea is to ensure proper accountal of feedstock releases as related to the output of the end-product.

(iii) The oil companies have been asked to eliminate intermediaries and prevent multiplication of agencies engaged in lube distribution, so as not to weaken effective control by the oil companies over their operations.

(iv) Oil companies have been asked to launch a major publicity drive to bring about greater consumer awareness and involvement.

(v) The Oil Companies have also been asked to set up a small working group to evaluate in depth the problems as well as possible solutions and come up to the Ministry with further definite and concrete suggestions which could be implemented under a time bound and phased programme.

आपात स्थिति के दौरान अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किये गये रेलवे कर्मचारी

1265. **श्री के० कुन्हम्ब :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान कितने रेल कर्मचारी ज़ोनवार अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किये गये ;

(ख) उनमें से श्रेणीवार अर्थात् श्रेणी एक, दो, तीन और चार के कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं ;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर लेने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री प्रोफेसर मधु दण्डवते) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लम्बी दूरी की गाड़ियों में पेय जल की सुविधायें

1266. **डा० सरदीश राय** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लम्बी दूरी की गाड़ियों के प्रत्येक डिब्बे में पेय जल का टेंक लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यात्रियों के लिये पेय जल उपलब्ध कराने हेतु क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) सीमित ठहराव वाली लम्बी दूरी की कुछ चुनी हुई गलियारेदार गाड़ियों में यह व्यवस्था उपलब्ध है ।

(ख) सभी रेलवे स्टेशनों पर पानी की सप्लाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। महत्वपूर्ण स्टेशनों पर नलों/हथ-पम्पों और जल शीतकों के अलावा, गाड़ियों में तथा प्लेटफार्मों पर भी यात्रियों को पानी की सप्लाई करने के लिए पानी वालों को नियुक्त किया जाता है । सवारी डिब्बों में यात्रियों को पीने का पानी वितरण करने के लिए ठंडे पानी के मटकों को ट्रालियों में रखकर भी गाड़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक घुमाया जाता है । गर्मियों के मौसम में अतिरिक्त पानी वालों को लगाकर पानी की सप्लाई बढ़ाने के विशेष प्रबन्ध किये जाते हैं ।

इसके अतिरिक्त, कर्नाटक--केरल एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस, मंगलूरू कोच्चिन--निजामुद्दीन जयन्ती जनता एक्सप्रेस, मंगलूरू/एरणाकुलम बम्बई जनता एक्सप्रेस जैसी सीमित ठहरावों वाली लम्बी दूरी की कुछ चुनी हुई पूर्ण गलियारेदार गाड़ियों में दूसरे दर्जे के शयन-यानों सहित सभी सवारी डिब्बों

में ही पेय जल से भरी हुई टंकियां/थर्मल कलशों की व्यवस्था की गयी है। इन टंकियों को मार्गवर्ती स्टेशनों पर भर दिया जाता है । इस प्रबन्ध से चलती गाड़ियों में पीने के पानी की सुविधा की व्यवस्था की जाती है ।

पीने के पानी की व्यवस्था की सुविधा की निरन्तर समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार उसे बढ़ाया जाता है ।

Allotment of Petrol Pumps to Scheduled Castes

1267. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed certain quota for Scheduled Castes for allotment of petrol pumps; and

(b) if so, the criteria therefor and the number of persons belonging to Scheduled Castes among the applicants who have been allotted or who are proposed to be allotted petrol pumps this year ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna): (a)&(b) Only one oil company, namely, Indian Oil Corporation has a policy of reserving a proportion of its petrol pumps for persons belonging to Scheduled Castes/Tribes. This policy has been in force since 1-1-1974, and provides for 25% of company-owned pumps to be allotted to persons belonging to Scheduled Castes/Tribes.

2. Applications are invited through advertisement in press, and selection is made from amongst the applicants who are Scheduled Castes/Tribes, unemployed, below 35 years of age, and have passed High School or equivalent examination.

3. During the period from 1-1-1974 to 31-3-1977, 19 company-owned retail outlets were allotted to persons belonging to Scheduled Castes/Tribes.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिम जर्मनी से क्रेनें खरीदने के बारे में जांच

1268. **श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिम जर्मनी से क्रेनों की खरीद के प्रश्न की जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है ।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की सलाह के विरुद्ध बहुराष्ट्रीय औषध फर्म को लाइसेंस जारी करना

1269. **श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की सलाह के विरुद्ध किसी बहु-राष्ट्रीय औषध फर्म को कोई लाइसेंस दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं। एम० आर० टी० पी० आयोग की सलाह के विरुद्ध आपातकालीन अवधि के दौरान औषधों के निर्माण के लिए किसी भी बहु-राष्ट्रीय औषध फर्म को कोई लाइसेंस मंजूर नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बरौनी तेल शोधक कारखाने में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह

1270. **श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने के साथ एक पेट्रो-रसायन संयंत्र सम्बद्ध करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) असम कच्चे तेलों पर आधारित नये एरोमेटिक के उत्पादन से संबन्धित सुविधाओं के गठन की संभावना की जांच करने हेतु एक अध्ययन दल का गठन किया गया है। इस प्रकार के एकक की स्थापना हेतु बरौनी एक ऐसा स्थान होगा जिस पर उक्त अध्ययन दल द्वारा विचार किया जायेगा। अध्ययन दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

किसी प्रकार के नये पेट्रो-रसायन एकक का गठन अन्ततः संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

इतालवी फर्म द्वारा ट्राम्बे फर्टिलाईजर्स का विस्तार

1271. **श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे-5 नाम से ज्ञात ट्राम्बे फर्टिलाइजर्स के विस्तार का काम इतालवी फर्म 'सनम-प्रोजेनी' को दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इतालवी फर्म ने सब से कम मूल्य का टेंडर भरा था; और

(ग) यदि नहीं, तो इस फर्म को ठेका देने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अमोनिया प्लान्ट के लिये एफ० सी० आई० द्वारा प्राप्त टेंडरों में से स्नाय प्रोगेटि का टेंडर सबसे कम नहीं था। इस संबन्ध में उनसे बातचीत हुई और वे अपने मूल्यों को सबसे कम कोटेशन के अनुरूप रखने के लिये सहमत हो गए, और उन्होंने 10 मिलियन डालर के मूल्य के भारतीय उपकरणों और सेवाओं का निर्यात करने का प्रस्ताव भी भेजा तथा इसके लिए 10 मिलियन डालर के बराबर रुपये की अदायगी लेने को भी सहमत हो गए। यूरिया प्लान्ट के लिये टेंडर नहीं मंगवाये गये थे और बातचीत से ही स्नाय को ठेका दे दिया गया था। यूरिया के ठेके के संबन्ध में भी स्नाय प्रोगेटि 6 मिलियन डालर के निर्यात के दायित्व के लिये सहमत हो गये।

उपनगरीय क्षेत्र को बर्दवान से आसनसोल तक बढ़ाना

1272. **श्री रोबिन सेन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपनगरीय क्षेत्र को बर्दवान से आसनसोल तक बढ़ाने के लिये ठोस कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे में पड़े कबाड़ और बेकार माल की नीलामी

1273. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी रेलवे के पास कुल कितना कबाड़ और बेकार माल पड़ा है ;

(ख) क्या रेलों के पास उक्त माल वर्षों से बेकार पड़ा है ;

(ग) रेलवे द्वारा उसका शीघ्र नीलाम न करने के क्या कारण है ; और

(घ) उक्त माल की नीलामी के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) 31-3-1976 को सभी रेलों के पास पड़े रद्दी सामान का मूल्य 11.33 करोड़ रुपये था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि नीलाम नियमित रूप से किये जाते हैं ।

(घ) रेलों के उपयोग के लिए अनावश्यक रद्दी सामान का सर्वेक्षण वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा इस बात का इत्मीनान करने के लिए किया जाता है कि रद्दी के रूप में ऐसे किसी सामान की बिक्री न होने दी जाये जिसे रेलें स्वयं किसी न किसी रूप में अपने उपयोग में ला सकती हों। सर्वेक्षण समिति की सिफारिशें उच्च स्तर पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित की जाती हैं और केवल उन्हीं सामानों को सार्वजनिक रूप से नीलाम किया जाता है जिनके निपटान के लिए सिफारिश और अनुमोदन किया जाता है । ऐसे सार्वजनिक नीलाम या तो विभागीय तौर पर या हर एक रेलवे द्वारा समय-समय पर चुने गये मान्यता प्राप्त नीलामकर्ताओं द्वारा दो वर्ष से अनधिक की निश्चित अवधियों पर इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये विज्ञापित टेंडरों के जाबाब में प्राप्त सबसे लाभप्रद प्रस्तावों के आधार पर किये जाते हैं। सभी प्रमुख समाचार पत्रों आदि में विज्ञापन देकर सार्वजनिक नीलाम का व्यापक प्रचार किया जाता है । इन नीलामों में प्राप्त प्रस्ताव प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के आधार पर स्वीकार किये जाते हैं ।

दिल्ली में शक्ति नगर रेलवे फाटक पर ऊपरि पुल

1274. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में शक्ति नगर रेलवे फाटक पर एक ऊपरि पुल बनाने का है ;

(ख) क्या इस फाटक पर अधिकांश समय यातायात रुका रहता है ; और

(ग) सरकार का इस पुल का निर्माण कब शुरू करने का विचार है और निर्माण पर कितनी लागत आयेगी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्ताव राज्य सरकार (सड़क प्राधिकरण) द्वारा प्रायोजित किये जाने होते हैं, जिन्हें वर्तमान नियमों के अनुसार, लागत का एक भाग भी वहन करना होता है। दिल्ली प्रशासन ने 1963 में शक्ति नगर

में एक ऊतरी सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव भेजा था, किन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसे स्वीकर नहीं किया था। तब से लेकर आज तक कोई ऐसा प्रस्ताव न तो दिल्ली प्रशासन से और न ही दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त हुआ है। तब से दिल्ली प्रशासन की ओर से शक्तिनगर समपार पर एक ऊपरी सड़क पुल बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) इस समपार पर यातायात रुका रहता है।

(ग) दिल्ली प्रशासन की ओर से कोई निश्चित प्रस्ताव प्राप्त होने तथा ड्राइंग, अभिकल्प, आक्कलन इत्यादि जैसी प्रारम्भिक तैयारियों के पूरा होने और सड़क प्राधिकरण एवं रेलवे द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकृत कर लिये जाने के बाद ही इस ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। चूंकि दिल्ली प्रशासन (सड़क प्राधिकरण) द्वारा इस योजना की आवश्यक विशेषताओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, इसलिए प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल की लागत के बारे में इस समय कुछ बताया जाना संभव नहीं है।

हल्दिया में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह

1275. **श्री चित्त बसु :**

श्री पी० के० कोडियन :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया स्थित पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उक्त परियोजना की मुख्य बातें क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) इस समय हल्दिया में कोई भी पेट्रो-रसायन यूनिट अर्थात् पेट्रोलियम संभरण भंडार, पर आधारित, संचालित अथवा निर्माणाधीन रसायन एकक नहीं है।

एक नया नारा "लाखों व्यक्तियों के लिये औषधि" (मैडीसन फार मिलियन्स) को क्रियान्वित करना

1276. **श्री चित्त बसु** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक नया नारा 'लाखों व्यक्तियों के लिए औषधि' (मेडिसिन फॉर मिलियन्स) दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) सरकार का विचार है कि शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में अधिक मात्रा में तथा उचित मूल्यों पर औषधियों की उपलब्धि को सुनिश्चित किया जाए। हाथी समिति ने 117 अनिवार्य औषधियों को सम्पूर्ण देश में उचित कम मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए भी विचार व्यक्त किया है। सरकार ने वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों आदि के निर्माण के लिए 169 लाइसेंस/आशय पत्र जारी किये हैं। आशा है कि जब लाइसेंस काम में लाए जाएंगे तो औषधों की उपलब्धता में वृद्धि होगी। हाथी समिति ने भी मूल्य नियंत्रण को युक्तिसंगत बनाने के सम्बन्ध में कई सिफारिशें की हैं और इन सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है और शीघ्र निर्णय लिये जाने की आशा है।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले

1277. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1977 को विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में (i) एक वर्ष से कम समय से, (ii) एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष से कम समय से, (iii) तीन वर्ष से अधिक समय से लम्बित सिविल और आपराधिक मामलों की संख्या कितनी-कितनी है ; और

(ख) सरकार ने उक्त बकाया मामलों को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में तारीख 1-4-77 तक की जानकारी उपलब्ध नहीं है। उच्चतम न्यायालय में तारीख 1-4-77 को और विभिन्न उच्च न्यायालयों में तारीख 31-12-76 को लम्बित सिविल और आपराधिक मामलों की संख्या दर्शित करने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 468/77]

(ख) सरकार उन उपायों पर विचार कर रही है जो मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए किए जाने चाहिएं ।

पैराफीन वैक्स का संयंत्र लगाने का प्रस्ताव

1278. **डा० बापू कालदते :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पैराफीन वैक्स बनाने के लिए एक नया संयंत्र लगाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके लिये कोई स्थान चुन लिया है; और

(ग) क्या इस उत्पाद का निर्यात किया जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) मद्रास और बरौनी में पैराफीन मोम संयंत्रों की स्थापना के लिए क्रमश: मद्रास शोधनशाला लिमि० और इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा व्यावहारिक रूप से अध्ययन किया जा रहा है। पैराफीन मोम संयंत्रों की स्थापना से सम्बन्धित निर्णय सरकार द्वारा संभावी अध्ययनों के प्राप्त हो जाने और उनकी जांच करने के पश्चात् किया जायेगा ।

(ग) घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात् यदि उत्पाद अधिक मात्रा में बच जाते हैं, तो इनके निर्यात की संभावना पर विचार किया जायेगा।

कोयला, सीमेंट, गेहू, नमक आदि उद्योगों के लिये वैगनों का आवंटन

1279. **डा० बापू कालदते :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण/प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों जैसे कोयला, सीमेंट, गेहूं और नमक आदि के लिए वैगनों का आबंटन करने हेतु मार्गनिर्देशक सिद्धान्त निर्धारित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या कभी इन मार्गनिर्देशक सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया हैं ;

(घ) यदि हां, तो कब और किन परिस्थितियों में ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) विभिन्न जिन्सों के लिए माल डिब्बों का आबंटन अधिमान्य यातायात अनुसूची, जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न जिन्सों के महत्व के आधार पर उनकी प्राथमिकता का विशेष रूप से उल्लेख रहता है, द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्येक जिन्स के लिए आबंटित प्राथमिकता के अन्तर्गत माल डिब्बों का आबंटन 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धान्त के अनुसार किया जाता है।

(ग) सामान्यतया ऐसा नहीं होता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रायपुर-विजयनगरम सेक्शन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के हिस्से में दोहरी लाइन बिछाना

1280. **श्री पी० के० देव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के रायपुर-विजयनगरम के हिस्सों में दोहरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किस हिस्से में और इस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) यह कार्य कब तक शुरू किया जायेगा और कब पूरा होगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे की आय

1282. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च से मई, 1977 तक के महीनों में रेलवे की आय कम हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में रेल टिकटों की कुल कितनी बिक्री हुई और गत वर्ष की इसी अवधि की रेल टिकटों की बिक्री की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में रेलवे कर्मचारियों की बहाली

1283. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में रेलवे के निलम्बित सभी कर्मचारियों को बहाल कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उनमें से कितने कर्मचारियों को बहाल किया जाना है ;

(ग) बाकी कर्मचारियों को कब तक बहाल किया जायेगा; और

(घ) उन्हें बहाल करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां। मई, 1974 की रेल हड़ताल के संदर्भ में बरखास्त किये गये सभी रेल कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

14-अप बम्बई जनता एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

1284. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास से आने वाली 14-अप बम्बई जनता एक्सप्रेस के चार डिब्बे 4 मई, 1977 को दक्षिण-मध्य रेलवे के केम स्टेशन पर पटरी से उतर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप अनेक रेल कर्मचारियों की मृत्यु हुई ; और

(ग) क्या जांच से पता चला है कि यह दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की असावधानी से हुई; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां। यह दुर्घटना 3-5-1977 को हुई थी।

(ख) इसमें केवल एक रेल कर्मचारी की मृत्यु हुई और कोई अन्य व्यक्ति हताहत नहीं हुआ।

(ग) और (घ) जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना मानवीय तत्व की विफलता के कारण हुई। जांच समिति की रिपोर्ट की संवीक्षा की जा रही है। उत्तरदायी पाए जाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

बम्बई हाई के कच्चे तेल के शोधन के लिये कालटैक्स तेल शोधक कारखाने में परिवर्तन

1285. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालटैक्स तेल शोधक कारखाने ने 1979 तक बम्बई हाई के कच्चे तेल के शोधन के लिए 130 लाख रु० की लागत से संयंत्र में परिवर्तन का कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या बम्बई हाई के कच्चे तेल से 'कोरोजन' की समस्या तो हल हो जायेगी परन्तु 'नेपथा' के उत्पादन की समस्या होगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) संशोधित कार्यक्रम में 127 लाख रुपयों की अनुमानित लागत पर निम्नलिखित और अधिक सुविधाओं की परिकल्पना की गई है ताकि शोधनशाला बम्बई हाई क्रूड के 1.25 मि० मी० टन कच्चे तेल को साफ कर सकें :—

(1) क्रूड ट्रैकों के लिए स्ट्रीम हीटिंग सुविधाएं, कुछ पाइपों में संशोधन करना, भाप का पता लगाना और कुछ पाइप लाइनों को अलग करना ;

(2) नेफथा के लिए नए भंडार ट्रैक ;

(3) भाप की बढ़ी हुई आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त बायलर ;

(4) इलैक्ट्रिक क्रूड डिसाल्टर की प्रतिस्थापना ;

(5) मोम पृथक करने की सुविधाओं की व्यवस्था करना ;

(6) एल० एस० एच० एस० को प्रयोग में लाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना

(ग) मध्य-पूर्वी देशों से आयातित कच्चे तेलों की अपेक्षा बम्बई हाईक्रूड में क्योंकि गंधक का अंश कम है अतः जंग लगने की समस्याओं में कमी आने की संभावना है। बम्बई हाई क्रूड से निकले नेपथा में एरोमेटिक का अंश अधिक मात्रा में होगा, जिसकी उर्वरक उद्योग के लिए प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के परामर्श से अध्ययन किया जा रहा है ।

Impact of Chemical Gases of Mathura Refinery on Taj Mahal

1286. **Shri K. Lakkappa :**

Shri Sheo Sampat :

Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether the chemical gases of the oil refinery to be set up in Mathura have adversely affected the Taj Mahal and whether its colour is becoming yellowish; and

(b) if so, the efforts being made by Government to maintain the beauty of the Taj Mahal ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) and (b) Mathura Refinery is under construction and is expected to be mechanically completed by December, 1979 and commissioned by April, 1980.

2. Apprehensions have been expressed from time to time about the possible adverse effects of the gaseous effluents from the Mathura Refinery on the monuments at Agra. To advise the project authorities on the measures to be taken for keeping the pollution effect to the absolute minimum, an Expert Committee was constituted in July 1974 with Dr. S. Varadarajan as Chairman, and representatives of the Ministry of Petroleum, India Meteorological Deptt., National Committee on Environmental Planning and Coordination, National Environmental Engineering Research Institute, Indian Institute of Petroleum, Indian Oil Corporation and Government of Uttar Pradesh as members. A representative of Archeological Survey of India was also made a member in December, 1975.

3. Since much work has been carried out in Italy on the effect of sulphur-dioxide on monuments, IOC entered into an agreement in 1974 with M/s. Tecneco, an Italian firm which is a subsidiary of Government owned ENI Group to undertake the following studies :

(i) On the basis of meteorological data for the last ten years in the Mathura-Agra region, to calculate the ground level concentration of effluents (particularly sulphur dioxide) in the Mathura-Agra region on account of emission from the Mathura Refinery;

(ii) Determination of the existing level of pollution in the Agra region by measurement over a period of six months;

(iii) Determination of the present status of preservation of monuments and also the permissible concentration of effluents from the point of view of their preservation.

Report have since been submitted by M/s Tecneco to Indian Oil Corporation. These will be considered by the Expert Committee, and necessary action will be taken by Government after receiving the recommedations of the Expert Committee.

4. On the basis of data made available so far as a result of investigations and studies, it appears that the contribution by the Refinery to the atmospheric pollution even under the most adverse meteorological conditions would be minimum at Agra which is about 40 K.M. away from the Refinery, and at such a low level as would not cause any concern about it. effect on the white marble of Taj Mahal.

New Railway Station in Karnataka

†1287. **Shri K. Lakkappa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating a scheme for opening new railway stations in Karnataka in 1977-78; and

(b) if so, the salient features thereof ?

Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) & (b) The question of opening new stations will be considered on traffic justification and public needs.

Overcrowding in Trains in Karnataka

1288. **Shri K. Lakkappa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to overcrowding in trains in Karnataka;

(b) if so, the steps being taken by Government to reduce overcrowding in trains there; and

(c) the particulars of new trains proposed to be introduced in Karnataka in 1977-78 ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) & (b) The occupation of the passenger trains in Karnataka area has shown that only a few services are overcrowded in IInd class particularly during summer months. In order to relieve this overcrowding the existing trains are augmented by additional coaches subject to the hauling capacity of the locomotives.

(c) There is no proposal at present to introduce new trains in Karnataka area. However, proposals for extension of certain trains are being examined.

कच्चे तेल के लिये राज्यों के लिये बढ़ी हुई दर पर स्वामित्व

1289. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे तेल पर राज्य सरकारों को मिलने वाले स्वामित्व की दर हाल ही में बढ़ा दी है ;

(ख) क्या तेल का उत्पादन करने वाले राज्यों से इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 8 सितम्बर 1976 से कच्चे तेल और केसिंग हेड कंडेंसेट पर रायल्टी की दर में 15 रुपये प्रति मी० टन से बढ़ा कर 42 रु० प्रति मी० टन कर दी गई थी।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार ने इस बात का उल्लेख करते हुए एक प्रत्यावेदन दिया है कि रायल्टी में की गई वृद्धि अपर्याप्त है और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में शोधन करके, कच्चे तेल पर लगने योग्य 4% के बिक्री-कर को कम करके, रायल्टी में आंशिक रूप से सीमित वृद्धि का लाभ भी छीन लिया गया है । राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि समरुपी मध्यपूर्वीय कच्चे तेलों के पूर्ण रूप से अंकित मूल्यों के कम से कम 10% तक रायल्टी निर्धारित की जानी चाहिये ।

बिहार में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक

1290. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में कितने बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक हैं; और

(ख) वर्ष 1975-76 और 1976-77 में उन पर कितनी दुर्घटनायें हुईं और उनमें कितने लोग मारे गये ।

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) बिहार राज्य में बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या 1507 है ।

(ख) दुर्घटनाओं की संख्या		मारे गये व्यक्तियों की संख्या	
1975-76	1976-77	1975-76	1976-77
8	6	5	2

रेलवे में आपात् स्थिति से पूर्व की स्थिति

1291. **श्री रामानन्द तिवारी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्थानीय दैनिक में 'रेलवेज ऑर बैक टू प्री-एमरजेंसी डेज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले की जांच की गयी थी। 1-5-77 को 20-अप देहरादून एक्सप्रेस में चलाया जाने वाला आंशिक 3-टीयर शयनयान सं० 5902 जिसमें 32 सोने के और 40 बैठने के स्थान थे, को उपयोग के अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसे उपलब्ध आंशिक शयनयान सं० 1445 से बदल दिया गया जिसमें 11 सोने के और 81 बैठने के स्थान थे। चार्ट में इस बदलाव का उल्लेख करने में कर्मचारियों की विफलता से यात्रियों को उलझन और असुविधा हुई इसलिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाई की गयी है । रेलों को अनुदेश हैं कि जहां तक संभव हो अनुपयुक्त डिब्बों का उसी किस्म के डिब्बों से बदलाव करें।

समाज विरोधी तत्वों द्वारा यार्डों में खड़ी गाड़ियों की शायिकाओं/सीटों के अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने के संबन्ध में सतर्कता विभाग, धोखा-धड़ी विरोधी दस्तों, रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता से जांच-पड़ताल का काम तेज कर दिया गया है ताकि कदाचार का उन्मूलन किया जा सके ।

गोहाटी तेल शोधक कारखाने के श्रमिकों की संख्या घटाने की योजना

1292. **श्री रामानन्द तिवारी:** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गोहाटी तेल शोधक कारखाने में श्रमिकों की संख्या को घटाने और अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की गुप्त योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन आयल कारपोरेशन मजदूर यूनियन नें इस बारे में उनके मंत्रालय को ज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) गोहाटी शोधनशाला में 31-3-1977 को 155 श्रमिक अधिशेष थे । तथापि अधिशेष श्रमिकों की अनिवार्य रूप मे छटनी नहीं की गई थी । इस संख्या में सुरक्षा बल के उन 60 श्रमिकों को भी शामिल कर लिया गया है जिन्हें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के आम्भ करने के परिणामस्वरूप, जनवरी, 1977 में अधिशेष कर दिया गया था । शोधनशाला प्रबन्धकों ने एक मान्यता प्राप्त संघ अर्थात् गोहाटी शोधशाला श्रमिक संघ से उदार छटनी मुआवजा देकर अधिशेष सुरक्षा कार्मिकों को छटनी करने के सम्बन्ध में एक समझौता किया । इण्डियन आयल कारपोरेशन मजदूर संघ, गोहाटी, जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है, से इस समझौते के विरूद्ध प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे ।

तथापि श्रम मंत्रालय ने इस समझौते पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है और इंडियन आयल कार-पोरेशन को परामर्श दिया है कि वह औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1976 की शर्तों के अन्तर्गत सम्बन्धित श्रमिकों से व्यक्तिगत रूप से समझौता करें। इसी बीच में सम्बन्धित प्राधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त, 3 सुरक्षा कार्मिकों को, जिन्होंने उपयुक्त मुआवजा दिये जाने पर छटनी के लिए अपनी सहमति दी, 15 जून, 1977 को उनकी छटनी कर दी गई थी।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

संघ लोक सेवा आयोग का वर्ष 1975-76 के लिये 26वां प्रतिवेदन तथा ज्ञापन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : श्री चरण सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. (एक) संघ लोक सेवा आयोग का 1 अप्रैल, 1975 से 31 मार्च, 1976 की अवधि का 26वां प्रतिवेदन

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में सरकार द्वारा आयोग की सलाह न माने जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन ।

(2) उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल०टी० 412/77]

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है । इसमें एक वर्ष का विलंब हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप भाग (दो) क्यों नहीं पढ़ते ?

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : मेरा कहना यह है कि अभी तक समिति ही गठित नहीं हुई है । मैं दोष को आपके ध्यान में ला रहा हूं । चूंकि समिति के गठन में देरी हुई है इसलिए इसको प्रतिवेदन का अध्ययन करने और विलम्ब के कारणों का पता लगाने का अवसर ही नहीं मिला । विलम्ब के कारण उचित हैं अथवा अनुचित इसकी जांच कौन करेगा ? मैं जानना चाहता हूं कि समिति का गठन कब होगा और क्या समिति इस प्रश्न पर विचार करेगी । इसे सभा पटल पर रखने के बाद वह समिति कैसे इस मामले पर विचार कर सकती है । इसे अब सभा पटल पर रखने में मुझे आपत्ति है ।

अध्यक्ष महोदय : उसे पहले ही सभा पटल पर रखा जा चुका है ।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप समिति को इस की जांच की अनुमति देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समिति का गठन करूंगा । हम आपस में इस विषय पर चर्चा करेंगे और यदि कोई अनियमितता है तो हम निश्चय ही उसे समिति को उस पर विचार करने को कहेंगे और मंत्री जी से कहेंगे ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो ।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, उसका वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे नियंत्रण महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां, मद्रास फर्टीलाइजर्स लि० मनाली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, लेखा परीक्षित लेखे, उन पर महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां आदि ।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री : (श्री रवीन्द्र वर्मा) : श्री एन० बहुगुणा की ओर मे मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक-एक प्रति :- -

(1) (क) फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल०टी० 413/77]

(2) (क) मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, मनाली, मद्रास के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, मनाली, मद्रास का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल० टी० 414/77]

(3) (क) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी (महाराष्ट्र) के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी (महाराष्ट्र) का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 415/77]

(4) (क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल०टी० 416/77]

(5) (क) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(ख) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल०टी० 417/77]

(6) (क) हिन्दुस्तान इन्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पूना के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(ख) हिन्दुस्तान इन्टीबायाटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पूना का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल०टी० 418/77]

लागत लेखा अभिलेख (पोलिस्टर) नियम, 1977, लागत लेखा अभिलेख (नायलोन) नियम, 1977 कम्पनी विधि बोर्ड (बैंच) संशोधन नियम, 1977 आदि

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) लागत लेखा अभिलेख (पोलिस्टर) नियम, 1977 जो दिनांक 24 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 126(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) लागत लेखा अभिलेख (नायलोन) नियम, 1977 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 157(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) कम्पनी विधि बोर्ड (बैंच) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 7 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 601 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) लोक कम्पनी डिबेंचर, जारी करने तथा ऐसे डिबेंचरों या ऋणों को शेयरों में परिवर्तित करने के विकल्प वाले ऋण लेने की शर्तें नियम, 1977 जो दिनांक 7 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 602 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) कम्पनी केन्द्रीय सरकार की सामान्य नियम, तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 14 मई, 1977 में भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 627 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) कम्पनी (सचिव, की अर्हताएं) (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 14 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 628 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 419/77]

(सात) मैसर्स माइनिग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमटेड द्वारा ऋण को साध्य पूंजी में बदलने के बारे में प्रारूप आदेश संख्या 33/39/763-सी०एल० के शुद्धि पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 420/77]

(आठ) बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 1977 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2)(क) के अन्तर्गत बिहार, हिन्दू धार्मिक न्यास (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो बिहार के राज्यपाल द्वारा 9 अप्रैल, 1977 को प्रख्यापित किया गया था । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 421/77]

रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थानों के भरने के बारे में रिपोर्ट

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्त पदों पर 30 सितम्बर, 1976 को समाप्त हुई छमाही में इन जातियों की भर्ती तथा पदोन्नति में हुई प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 422/77]

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 30 अप्रेल, 1977 को पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध जारी की गई उद्घोषणा का निरसन करना

श्री रवीन्द्र वर्मा: श्री चरण सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड 2 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 21 जून, 1977 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अधीन, पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में उनके द्वारा 30 अप्रैल, 1977 को जारी की गई उद्घोषणा का निरसन किया गया है जो दिनांक 21 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां ०नि० 388(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :--

"राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे एतद्द्वारा विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक 1977 को, जो लोक सभा द्वारा 17 जून, 1977 को हुई अपनी बैठक में पास किया गया था और जिसे राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, लौटाने और यह बताने का निदेश मिला है कि इस सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

सामान्य बजट--1977-78 सामान्य चर्चा--जारी

GENERAL BUDGET, 1977-78—GENERAL DISCUSSION—Contd.

अध्यक्ष महोदय: सभा अब सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा पुनः आरम्भ करेगी । प्रत्येक दल के लिए उपलब्ध समय का हिसाब लगाया गया है । कांग्रेस दल को 1 घंटा 1 मिनट समय मिलेगा और जनता पार्टी के लिए 5 घंटे का समय है । अतः दो सदस्य उनके और 1 सदस्य इनके बुलाने होंगे ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : कई निर्दलीय सदस्य भी हैं । उनके लिए भी समय नियत किया जाये ताकि हमें भी बोलने का मौका मिले ।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं और यही करता भी हूं । दुर्भाग्य से समय बहुत कम है और आप 20 व्यक्तियों को प्रत्येक विषय पर बोलने के लिए समय नहीं दिया जा सकता ।

श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : महोदय, कल मैंने कृषि विकास पर व्यय के पारम्परिक अनुमान और उद्योगों पर भारी परिव्यय पर हैरानी प्रकट की थी । मैंने यह भी कहा था कि बड़े पैमाने के उद्योगों को अधिक पैसा मिल रहा है और विदेशी सहायता में वृद्धि, व्यय में मितव्यतता, विदेशी मुद्रा कोष से 800 करोड़ रुपये निकालने, बीड़ी पर सीमा शुल्क बढ़ाने तथा सरकारी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त उपबंध न किये जाने के बावजूद कृषि के लिए अतिरिक्त राशि का आबंटन नहीं किया गया है । मैं सरकार से समाजवादी बजट की आशा नहीं रखता लेकिन सत्ताधारी दल के अपने वायदों के अनुरूप बजट तो होना ही चाहिये ।

आज के 'इकोनामिक टाइम्स' ने लिखा है कि यदि कुल निवेश के आबंटन का अनुमान लगाया जाये तो पता चलेगा कि केन्द्रीय बजट से बड़े उद्योगों को 230 करोड़ रुपये का लाभ होगा ।

जहां तक बहुराष्ट्रीय निगमों का सम्बन्ध है, यह सर्वविदित है कि कांग्रेस सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के माध्यम से बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास किया था जो अब भी लागू है । अब ये निगम हमार देश में चीजें बेचेंगे । इस तरह से पिछली नीति को एकदम बदल दिया गया है । कांग्रेस शासन में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की इन निगमों को अनुमति नहीं दी जाती थी । अब एच० एम० टी० को 800 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दी जा रही है ताकि वह घड़ियों का आयात कर सके । घड़ियां तो देश में ही बनाई जा सकती हैं । इसलिए यह तो विदेशी मुद्रा का अपव्यय है ।

महोदय छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देने की बात सीधे ही बड़े-बड़े भारतीय उद्योगों के विरुद्ध जाती है । फिर आप इन बहु-राष्ट्रीय निगमों को बीच में क्यों ला रहे हैं । महोदय यह भी सर्वविदित है कि भारत के बड़े उद्योग भी बहुराष्ट्रीय निगमों का सामना नहीं कर सकते ।

इसी प्रकार कृषि के विकास का लाभ भी गरीबों को नहीं मिल रहा । पिछले बजट में भी 50 से 100 करोड़ रुपया रियायती दरों पर पानी की सप्लाई के लिए रखा गया था । लेकिन इसमें से अधिकांश रियायत का लाभ उठाया बड़े-बड़े जमींदारों ने । कृषि में इस बड़े क्षेत्र को परस्पर संतुलित किया जाना चाहिए । हमें जापानी ढंग से कृषि के विकास में छोटे क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिये ।

श्रमोन्मुख और पूंजी उन्मुख दोनों प्रकार के उद्योगों को रोजगार सम्बन्धी प्रोत्साहन दिया जाता है । हमें इसमें एक अन्तर यह करना चाहिये कि प्रोत्साहन उसी प्रकार की प्रोद्योगिकी को दिया जाये जिसके द्वारा अप्रयुक्त मानव शक्ति का उपयोग हो सके और रोजगार में कमी किये बगैर कुशलता को बढ़ाया जा सके । हमें ऐसी चीजें आयात नहीं करनी चाहियें जो देश में ही बनाई जा सकती हों ।

अंत में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह समामेलन की अनुमति के प्रस्ताव पर फिर से विचार करे । यह एक खतरनाक प्रस्ताव है जिसके अनुसार एक एकक द्वारा हुई हानि को दूसरे एकक द्वारा कमाए गये लाभ में से पूरा किया जा सकेगा । समामेलन की अनुमति कम्पनी नियम के कड़ेपन को कम करने के लिए दी जा सकती है । समामेलन ऋणों की पुनः सूची बनाने, करों का भुगतान करने आदि के लिए किया जा सकता है । लेकिन बंद पड़े एककों को हाथ में लेने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री मोहन धारिया ने एक भाषण में कहा है कि देश भर में 1000 दुकाने खोली जायेंगी और उनमें से प्रत्येक को 2,000 रुपये दिये जायेंगे। इस तरह से कुल 20 लाख रुपये व्यय होंगे । क्या आप इस थोड़ी सी राशि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चला सकेंगे ? अकेले हिन्दुस्तान लीवर 200 करोड़ रु० की चीजें बेचता है । इसलिए हमारा इरादा चाहे नेक हो लेकिन उस से हमें पर्याप्त सफलता नहीं मिल सकती ।

अब तक जो नीतियां चलाई जा रहीं थीं उन्हें एकदम उलट देने से दुष्परिणाम सामने आयेंगे । कांग्रेस सरकार चाहे सत्ता में न हो पर ये नीतियां हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं । उन्हीं के आधार पर देश ने इतनी प्रगति की है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं एक ऐसी बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसे किसी भी सदस्य ने नहीं कहा है । गत कुछ वर्षों से सामान्य बजट पर चर्चा के लिए नियत किये गये समय में कटौती की जा रही है । जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं तो यह समय कम होना शुरू हो गया था । मेरा सुझाव है और एक गम्भीर प्रस्ताव है कि इस समय में वृद्धि की जानी चाहिये।

अब जनता की सरकार है तो जनता पार्टी की सफलता उसके कार्यों के परिणाम में आंकी जायेगी । जनता पार्टी का एक सुगठित रूप सामने आये तभी उसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकेगी । सरकार ने जो आयोग नियुक्त किये हैं, उन्हें अपना काम तीव्र गति से निपटाना चाहिये ताकि उनमें विश्वास बना रहे अन्यथा लोग समझेंगे कि वे तो धीमे-धीमे अपना समय काट रहे हैं जैसा कि कांग्रेस शासन में होता था ।

जनता सरकार केवल भूतकाल में ही न उलझी रहे । उसे वर्तमान तथा भविष्य के लिए योजनाएं बनानी हैं । जनता सरकार का पहला काम एकता पैदा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि बनावटी भिन्न कठिनाई न पैदा कर सकें । खेद से कहना पड़ता है कि जनता सरकार इस बारे में सचेत नहीं है । कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनावों को देखते हुए ऐसे तत्व घुस आये हैं ।

भविष्य के लिए जनता पार्टी का सर्वप्रमुख कार्य एक स्वच्छ, अच्छा, कुशल तथा सच्चा प्रशासन देना है । यदि हम पिछली सरकार द्वारा पिछले 30 वर्षों में की गई गलतियों और अपराधों का 30 महीनों में उन्मूलन कर देते हैं तो हम उस पर गर्व कर सकते हैं । उसके लिए हमें प्रशासन में तेजी लानी होगी । प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो प्रतिवेदन दिये थे उनका क्या हुआ ? प्रधान मंत्री का ही विचार था कि यह आयोग बनाया जाये । वह लोकपाल योजना को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे । खेद है कि लोकपाल विधेयक पास नहीं किया गया है ।

मुझे इस बात की खुशी है कि अब रेल मंत्री श्री मधु दण्डवते प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें रेल मंत्रालय में कार्यान्वित कर रहे हैं ।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम: लेकिन अतिरिक्त सदस्य (कर्मचारी) नियुक्त करके सिफारिश का उल्लंघन भी किया गया है ।

श्री हरि विष्णु कामत: यदि ऐसा है तो वह उस त्रुटि को दूर कर देंगे । वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ठीक ही कहा है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था की सर्वाधिक मूलभूत समस्या आर्थिक प्रगति की अपर्याप्त दर और प्रगति का देश के विभिन्न भागों में असमान होना है । विकास दर 2% से बढ़ कर 5% की जानी चाहिए । जनता सरकार अहिंसक सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति लाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है । चाहे आप इसे सर्वोदय कहें या गांधीवादी समाजवाद । इसके लिए उत्पादन और वितरण दोनों का सुव्यवस्थित होना आवश्यक है ।

यह दुर्भाग्य ही है कि कांग्रेस के 30 वर्षों के कुशासन में कृषि उत्पादन इजराइल और जापान के उत्पादन की तुलना में आधा भी नहीं है ।

यह भी दुर्भाग्य ही है कि इज़राइल के प्रति कांग्रेस सरकार की मूर्खतापूर्ण और क्षीणबुद्धि नीति के कारण कृषि तथा रेगिस्तान के विकास के लिए उस देश के विशेषज्ञ भारत नहीं आ सके । मुझे आशा है कि अब इस नीति में परिवर्तन किया जायेगा ।

जहां तक अन्य वस्तुओं के उत्पादन का प्रश्न है, मेरा विचार है कि पिछले वर्षों में कांग्रेस सरकार ने समाजवाद को बहुत विकृत कर दिया है । राष्ट्रीयकरण के नाम पर सरकारी करण या नौकर-शाही करण होता रहा है । हम तो युगोस्लाविया की तरह का समाजवाद या इजराइल की तरह का राज पूंजीवाद चाहेंगे । हमें रूस का समाजवाद नहीं चाहिये । **(व्यवधान)** *(Interruptions)*

इस बात को हमें समझना चाहिये कि हमारे देश की वास्तविक समस्या कम खाद्यान्न उत्पादन की है । हमारे देश में जनसंख्या का आधिक्य नहीं है। वर्ष 1974 में भारत में घनत्व 179 था जबकि बैल्जियम में 321, नीदरलैंड में 302 तथा इंगलैंड और वैल्ज़ में 326 था । **(व्यवधान)**

मैं समझता हूं कि आबादी की अधिकता का दावा तथा गत वर्ष एवं आपातकालीन स्थिति से एक वर्ष पूर्व हुये अपराध वास्तव में अक्षम्य अपराध थे तथा दोषियों को माफ नहीं किया जाना चाहिये।

कीमती बीड़ी सिगरेटों पर कर लगाना चाहिये। बीड़ी तथा सस्ती सिगरेट पर कर नहीं लगाना चाहिये।

मध्य वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग में आने वाले दो तथा तीन पहियों के स्कूटरों पर कर नहीं लगाना चाहिये।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री सुब्रहमण्यम ने कल बजट पर बोलते हुये कहा था कि अर्थव्यवस्था समस्याविहीन है। लेकिन भाषण के अंत में कुछ रचनात्मक सुझाव देने के बजाय उन्होंने वित्त मंत्री पर यह आरोप लगाया कि उनका यह बजट स्वतंत्र पार्टी का बजट लगता है। श्री सुब्रहमण्यम को ऐसा कहना शोभा नहीं देता।

इन्होंने एकाधिकार गृहों की बात भी की है। इन्होंने यह भी कहा है यह सरकार पूंजीपतियों का समर्थन करती है। ये हमेशा एकाधिकार अथवा एकाधिकारियों की बातें करते आ रहे हैं। वास्तव में पहली सरकार स्वयं एकाधिकारियों के प्रभुत्व में रही है।

चुनाव के समय जब हम जेल से बाहर आये, सारे पूंजीपति श्रीमति इंदिरा गांधी के पास माथा टेकने गये। लेकिन कोई भी जनता पार्टी के पास नहीं आया। पहली सरकार के लोग इन पूंजीपतियों की लूट की कमायी से मोटे होते रहे हैं और अब कहते हैं कि यह स्वतंत्र बजट है।

मुद्रास्फीति के कारण क्या रहे हैं और इसमें अचानक तेजी कैसे आयी ? उन्होंने सदन को कभी विश्वास में नहीं लिया है फिर भी वे ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने एक सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था दी है जिसके आधार पर हमने 10,000 करोड़ रुपये का बजट बनाया है। हम पर आरोप लगाने से पूर्व उन्हें थोड़ा सोच लेना चाहिए।

पहली सरकार ने खाद्यान्न निगम को चलाने के लिये बैंकों से 2100 करोड़ रुपये दिलाये तथा बैंकों को प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये ब्याज के दिये जिसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ा। क्या सभा को इस बारे में सरकार ने विश्वास में लिया था ? इन सब बातों के फलस्वरूप मंहगायी बढ़ रही है।

श्री सुब्रह्मण्यम से कृषि के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 1 करोड़ 80 लाख टन का सुरक्षित भंडार क्यों बनाया ? मंदी के समय में भी हमारे देश में 1 करोड़ 10 लाख टन से अधिक खपत नहीं हुई। 70 लाख टन खाद्यान्न वस्तुतः अमरीका द्वारा दिया गया जिसके लिये हमने बन्दरगाह शुल्क, परिवहन शुल्क, गोदाम शुल्क तथा भंडारण शुल्क दिया। इस प्रकार धन की बर्बादी हुई। दो वर्षों तक स्टाक को बेचा नहीं जा सका और तीसरे वर्ष में वह खराब हो गया और फैंकना पड़ा। ऐसी अर्थ व्यवस्था हमें मिली थी। क्या यह समृद्ध अर्थव्यवस्था थी अथवा असफल अर्थव्यवस्था थी ?

भूतपूर्व सरकार के लोगों ने सारे देश को अपनी जागीर समझ रखा था। यदि हम सभा के सामने सारे तथ्य रखें तो आप कांप उठेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

श्री सुब्रह्मण्यम ने बड़े गर्व से कहा है कि प्रौद्योगिकी मंत्री ने इस देश में प्राप्त की गयी विविध उपलब्धियों का उल्लेख किया है । इसमें कोई संदेह नहीं कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आधुनिक विकास के आधार हैं । इसके बारे में दो राय नहीं हो सकतीं पर क्या उन्होंने यह जानने का प्रयास किया है कि छोटे किसानों को इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कितना लाभ हुआ ?

इसका उत्तर न है । क्या किसान को छोटे औजार, छोटे ट्रेक्टर दिये गये हैं ? क्या इससे कोई राष्ट्रीय हित हुआ है ?

सम्भवतः श्री सुब्रह्मण्यम की यह इच्छा रही हो, परन्तु 40 करोड़ निर्धन व्यक्तियों के राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास नहीं किया गया ।

भूतपूर्व सरकार ने कुछ मिलों को रूग्ण करार करके अपने हाथ में लिया था और उसके लिये पैसा भारत की संचित निधि में से दिया गया । एक समझदार वित्तीय व्यक्ति होने के नाते क्या श्री सुब्रहमण्यम 100 करोड़ रुपये की राशि जो कि ग्रामीण विकास के लिये आवश्यक है, संचित निधि से निकालने का सुझाव देंगे या वह निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों को अपनी वर्तमान धनराशि का उपयोग करने के लिए कहेंगे ताकि वह इस बात का पता लगा सकें कि क्या इन रूग्ण मिलों को चलाया जा सकता है ।

बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस सरकार ने जो भी श्रम कानून बनाए वे केवल प्रचार के लिए ही बनाए । क्या वे दिल से चाहते थे कि श्रमिक प्रबन्ध में, भागीदार बनें ? ऐसा वह नहीं चाहते थे । सरकार बड़े व्यापार गृहों के साथ सीधे-भागीदारी रखना चाहती थी लेकिन यह सरकार बोर्ड स्तर से लेकर नीचे वर्कशाप स्तर तक श्रमिकों को प्रबन्ध में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनाना चाहती है ।

भारतीय रुपये का जब अवमूल्यन किया गया था तब श्री सुब्रहमण्यम वित्त मंत्री थे । इसके परिणामस्वरूप देश को भारी हानि हुई । रुपये का अवमूल्यन करने का मुख्य कारण यह था कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री जानसन ने कहा था कि इस आधार पर वे भारत को दस खरब डालर का उधार ऋण देंगे । उस समय हमारा उत्पादन इतना अधिक नहीं था कि हम निर्यात कर पाते । हमारे पास पारंपरिक वस्तुओं के निर्यात के अतिरिक्त निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कोई इंजीनियरिंग आधार नहीं था । काफी अरसे के बाद मशीनरी इत्यादि का विकास हुआ और भारत इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात करने की स्थिति में हो गया । इन्हीं उत्पादों ने हमारे निर्यात संतुलन को बढ़ावा दिया ।

हमारा बजट 10,000 करोड़ रुपये का है । इतना बड़ा बजट भारत में कभी नहीं बना । फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि बजट के हिसाब से प्रति व्यक्ति के हिस्से में 160 रुपये भी नहीं आते । सदन का कार्य है कि वह बजाय इस बजट के दोष निकालने के इस पर विचार करे और इसके क्रियान्वयन के बारे में सोचें ताकि इसे 20,000 करोड़ रुपये या 40,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट बनाया जा सके । इसके बिना 40 करोड़ लोगों को जो कि गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं को भविष्य से कोई आशा नहीं हो सकती । इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि जिस ढंग से श्री सुब्रहमण्यम ने अपने विचार प्रकट किये हैं : उस पर मुझे खेद है बल्कि मैं चाहता हूं कि प्रतिपक्ष भी हमारा साथ दे ।

श्री हितेन्द्र देसाई (गोधरा) : बजट में कुछ अच्छी बातें हैं लेकिन बजट की सब से मुख्य त्रुटि यह है कि इसमें मार्गदर्शन नहीं किया गया है । यह कहना गलत है कि देश में गत 25 अथवा 30 वर्षों के दौरान जो कार्य किये गये हैं, उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था बुरी हालत में है । मुख्य प्रश्न यह है कि यह बजट देश को किस दिशा में ले जाना चाहता है ।

कृषि के महत्व से हम अनभिज्ञ नहीं हैं। काफी अरसा पहले कांग्रेस ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था दिखाने की बात कही गई थी। मंत्री महोदय जहां एक ओर कृषि के महत्व पर जोरशोर से बात कर रहे हैं, वहां दूसरी ओर अपने भाषण में भूमि सुधारों के प्रश्न पर बिल्कुल चुप हैं। पहली सरकार ने हमेशा भूमि सुधारों के क्रियान्वयन को महत्व दिया और उसकी सदा यही कोशिश रही कि भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों को और कड़ा बनाया जाये। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। हम वित्त मंत्री से अपेक्षा करते थे कि वह सदन को बताते कि भूमि सुधारों के क्रियान्वयन के मामले में उनकी सरकार की भी उतनी ही रूचि है, लेकिन अपने बजट भाषण में उन्होंने इसका तनिक भी संकेत नहीं दिया।

आज खेतिहर मजदूरों छोटे तथा सीमांत किसानों की बिलकुल उपेक्षा की जा रही है। 1.20 करोड़ परिवार आवास स्थलों को पाने के हकदार हैं और ऐसे 72 लाख परिवारों को आवास स्थल दिए जा चुके हैं लेकिन बजट में उन बाकी बचे परिवारों जिनको कि आवास स्थल अभी मिले नहीं हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। हम मंत्री महोदय से अपेक्षा करते थे कि वे खेतिहर मजदूरों आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लिये एक आवास संबंधी योजना पेश करेंगे। यह राज्य का विषय नही है। 1971 में यह योजना केन्द्र के अधीन थी। कृषि मजदूरों को आबंटित की गई भूमि पर आवास बनाने के लिये बजट में व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो 'हुडको' के भान्ति ग्रामीण आवास और विकास निगम की स्थापना की जानी चाहिए, जो खेतिहर मजदूरों, के आवास के लिए संसाधन जुटा सके।

खेद है कि बजट में खेतिहर मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया गया। जब तक हम इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि सामाजिक और आर्थिक ढांचा बदल चुका है और आगे आने वाले वर्षों में और बदलेगा तब तक कृषि उत्पादन और समेकित ग्रामीण विकास की बात करना निरर्थक है। हमें धनवान कृषकों की चिन्ता नहीं है। हमें तो लाखों सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों के बारे में चिन्ता है। इसी बात को ध्यान में रख कर ही मैंने कहा है कि यह बजट सही मार्ग-दर्शन नहीं करता।

इस बजट पर बड़ी बड़ी आशाएं लगाई गई थी। जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कई बातें कही थी जैसे "सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल देना तथा पूर्ण रोजगार की नीति बनाना। काम करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। वित्त मंत्री से हमें अपेक्षा थी कि वह शिक्षित बेरोजगारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को हल करने के बारे में समेकित नीति अपनायेंगे।"

गुजरात सरकार ने ऐसी योजनाएं 1969 में बनायी थीं। उन्होंने बातें तो बहुत अधिक की हैं परन्तु ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर दिलाने के संबंध में किसी महत्वपूर्ण योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

जनता सरकार ने देश के लाखों लोगों के आर्थिक विकास का अवसर खो दिया है। जनता पार्टी वास्तव में विभिन्न दलों का एक गठजोड़ है।

श्री के० एस० हेगड़े (बंगलौर दक्षिण) : मैं बजट का आंशिक समर्थन करता हूं। जनता को भारी आशाएं है कि इस बजट से हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था में काफी सुधार होगा।

बजट तैयार करने में मंत्री महोदय को कई बाधाएं थी। पिछली सरकार के बहुत से वायदे थे जिन्हें पूरा करना था। अतः एक प्रकार यह अन्तरिम बजट है और उचित समय पर वास्तविक जनता बजट लाया जा सकेगा।

जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है बजट को देश की सामाजिक आर्थिक नीतियों को बनाने तथा विकास दर में सुधार का मुख्य साधन बनाया जाए। वर्ष 1967—77 में वार्षिक विकास दर 2 प्रतिशत

थी और पिछले 5 वर्षों में विकास दर 3.5 प्रतिशत थी। वित्त मंत्री 5 प्रतिशत विकास दर की आशा कर रहे हैं। मुख्य मंत्री मुख्यतः ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का सुधार करना चाहते हैं। भूतपूर्व सरकार ने भी वायदा किया था कि वह आर्थिक दशा को सुधारेंगी तथा इस दिशा में कुछ प्रस्ताव भी तैयार थे जिन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सका। पिछले वर्ष के बजट में भी 3000 करोड़ रुपए ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सुधार के लिए आवंटित किये गये थे। वास्तव में ईमानदार सरकार के अभाव में विकास कार्य सम्भव नहीं है। जब तक हम देश को ईमानदार प्रशासन नहीं दे पाते अर्थ-व्यवस्था में कुछ भी सुधार नहीं लाये जा सकते। जनता सरकार शीघ्र ही लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पारित करना चाहती है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। स्वीडन में यह व्यवस्था 1899 से सफलता पूर्वक चल रही है। डेनमार्क, नार्वे, न्यूज़ीलैंड और इंगलैंड में भी यह व्यवस्था लागू है। संसद में इसे पहले दो बार लाया गया है परन्तु दोनों बार यह व्ययगत हो गया। जनता सरकार का उद्देश्य इसे अतिशीघ्र लागू करना है। इसे सम्भवतः इसी सत्र में अथवा यदि ऐसा न हो सके तो अगले सत्र में लाया जाये।

भूमि सुधारों की क्रियान्विति पर आग्रह किया गया है। प्रश्न यह है कि क्या भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। कर्नाटक में भूमि सुधार कार्य के बारे में मेरे अनुभव इस प्रकार हैं। राज्य में भूमि सुधार अधिनियम 1974 में पारित हुआ। मेरे कनारा जिले में 1,60,000 खेतीहर मजदूरों ने पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र दिये। उनमें केवल 2,000 को पंजीकृत किया गया। शेष 1,58,000 को भूमि प्रयोगता के रूप में पंजीकृत किया जाना है। मैंने अधिकरण के एक सदस्य से पूछा कि उन्हें भूमि सुधार क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा। उनका उत्तर था "दस वर्ष से कम नहीं।" ऐसे न्यायाधिकरणों की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर की जाती रही। ये कांग्रेस के वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिन्हें प्रतिदिन 40-50 रुपए भत्ता मिलता है। मामलों के निपटारे में इनकी रुचि नहीं है।

फरवरी, 1975 में मैंने अपनी पत्नी की ओर से न्यायाधिकरण को पत्र लिखा था कि हमें कार्य करने वाले किसानों के पंजीकरण में कोई आपत्ति नहीं है। एक अनुस्मारक भेजने के बाद भी कार्यवाही नहीं की जा सकी।

कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने न्यायाधिकरणों के अधिकांश सदस्यों को भ्रष्ट बताया था। किसानों को राज्य में कोई भी अधिकार नहीं है कर्नाटक अधिनियम में उन्हें भूमि का स्वामी बनने में 20 वर्ष लगेंगे।

जमींदारों को क्षतिपूर्ति के रूप में कोई धन नहीं मिला। सभी जमींदार धनी व्यक्ति नहीं हैं। आज भूमि में न किसानों की रुचि है न जमींदारों की क्योंकि कोई नहीं जानता कि भूमि का स्वामित्व किसे मिलेगा। यदि भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जाता तो ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार की कोई सम्भावना नहीं है। केन्द्रीय सरकार को शीघ्र ही इस कार्य को हाथ में लेना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट में 8,000 रिट अपीलें बकाया पड़ी हैं।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया है कि प्रति वर्ष 20 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचाई के अधीन लाई जा रही है। अभी पिछले दिन ही श्री कल्याण सुन्दरम ने बताया था कि कर्नाटक में बहुत सी भूमि को सिंचित नहीं किया जा सका क्योंकि कर्नाटक सरकार ने कावेरी नदी से पानी लेने की अनुमति नहीं दी। राज्य सरकार यह समझती है कि उनके पास पर्याप्त जल नहीं है। यह विवाद वर्षों से चला आ रहा है। कृष्णा, नर्मदा और गोदावरी जल विवाद कई आयोगों की नियुक्ति के बाद भी अनिर्णीत पड़े हैं। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास के हित में उन बड़ी नदियों को केन्द्र के अधीन लिया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता ग्रामीण विकास की कोई सम्भावना नहीं है।

जहां तक लघु सिंचाई योजनाओं का सम्बन्ध है, ये योजनाएं पूरी तरह विफल रही हैं। जब तक उनके दोषों को दूर नहीं किया जाता ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था विकसित नहीं हो सकती।

वित्त मंत्री ने देश में बहुत अधिक छोटे उद्योगों की स्थापना पर बल दिया है । कर्नाटक में छोटे उद्योगों को सस्ती दर पर जमीन, बिजली, पानी तथा अनुदान देने का वचन दिया गया था । परन्तु जब कोई व्यक्ति भूमि के लिए आवेदन करता है तब उसे भूमि प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं। इस लिए इन योजनाओं को लागू करने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

मूल्य वृद्धि के लिए ईमानदार प्रशासन आवश्यक है।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गणपूर्ति होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम की घंटी बजाई गई है। सभा में अब गणपूर्ति है।

श्री के० एस० हैगड़े : मूल्य वृद्धि रोकने के लिए सरकारी कार्य को ईमानदारी से किया जाना आवश्यक है। इससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी। देश में उत्पादक को पर्याप्त दर नहीं मिल पाता फिर भी उपभोक्ता को भारी मूल्य देना पड़ता है । यह अत्यन्त निन्दनीय है।

पिछले वर्ष रुई की कीमत बहुत गिर गई थी । इसलिए इस वर्ष कई कपास उत्पादकों ने अनाज बोना शुरू कर दिया। जब तक हम किसान को कई वर्षों के लिए न्यूनतम मूल्य का आश्वासन नहीं देते, अर्थ-व्यवस्था सुधर नहीं सकती। देश में किसान की बहुत अधिक उपेक्षा की जाती है। यह नीति बदली जानी चाहिए। व्यापारियों के आश्वासनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता । उन पर कुछ कानूनी अंकुश रखना आवश्यक है।

जनता पार्टी ने दस वर्षों में सभी को रोजगार देने का वचन दिया है । इसे अवश्य क्रियान्वित किया जाना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को सदा सामने रखना चाहिए। हमारे घोषणा पत्र में गरीब अमीर के अन्तर को कम करने का भी आश्वासन दिया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्य-वाही की जानी चाहिए। पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है कि धनी और भी धनी हो गये और गरीब और भी गरीब। बंगाल के बारे में बताया गया था कि 1966 में श्रीमती इंदिरा गान्धी के पद सम्भालने के समय 15 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे जबकि इस समय उनकी संख्या 45 लाख है । इस प्रकार पिछली सरकार इस समस्या से निपटने में विफल रही । निदेशक सिद्धान्तों को हमने पूरी तरह भुला दिया है। मुझे खुशी है कि जनता पार्टी उन्हें अब क्रियान्वित कर रही है।

बिजली की कमी के कारण उद्योग और कृषि में बहुत कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। केरल के अलावा सभी राज्यों में बिजली की कमी है। कई राज्यों में बिजली की सप्लाई में 50 प्रतिशत की कटौती की गई थी। कृषि और उद्योग के विकास के लिए सभी प्रकार के ऊर्जा केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करनी है। मुझे उम्मीद है कि जनता पार्टी इस ओर भी ध्यान देगी।

मेरा सुझाव है कि स्कूटरों मोटर साइकलों पर कर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। अधिभार में 5 प्रतिशत की वृद्धि 25,000 से ऊपर की आय पर की जानी चाहिए। धन लाभ के मामलों में मूल्यांकन 1-1-1964 पर लेने का वित्त मंत्री का प्रस्ताव प्रशंसनीय है।

Shri Yadavneder Dutt (Jaunpur) : I support the budget presented by the hon. Finance Minister. The former Chief Minister of Gujarat referred the matter of distribution of land., I may point out that son of a former Minister of Uttar Pradesh formed a co-operative society at Mirzapur consisting of 800 acres of land. That land has not as yet been distributed although in records it has been shown as distributed.

Harijans have been allotted land which cannot be made fit for cultivation for 300 years.

A lot has been said by hon. Members about land revenue also. In U.P. land revenud was increased 10 times by Congress Government. So the way our congress friends behavee during their regime was all together different what they are advocating today. The tall

claim made by our former Finance Minister Shri Subramaniam that Congress has given scientific and technological infrastructure to the country is also a shallow one. It appears he has completely forgotten his own speech in which he said that there is brain drainage in India. Some of my other friends have said that no direction has been given in the budget. But it is again a wrong notion. Perhaps they lack proper wisdom to understand the budget.

Sir, I, while supporting the budget, would like to give some suggestion for the consideration of Finance Minister. In the name of economy, a cut to the tune of Rs. 50 crores has been made in our Defence budget. I feel that in view of the expansionist policy of China and developments in the Indian Ocean region there appears to be no reason for slackening our defence efforts. This should be reconsidered by Finance Minister.

It is a matter of satisfaction that the allocation for the agricultural sector has been slightly increased in this years' budget. My submission in this regard is that due attention should also be given to the prices of agricultural inputs. There is greater need for reducing their prices as 90 per cent of our farmers are poor and marginal farmers whose holdings are less than 5 acres. They form the core of our village population. Till now hardly anything has been done for improving their lot. I feel that it should be ensured by the Minister that prices of fertilizers would be reduced atleast by Rs. 50 to Rs. 55 per quintal. This will help a lot to the poor agriculturists. I know the acceptance of this suggestion may cost Government about Rs. 100 crores but this defecit can be made up by increasing the wealth tax in the higher income brackets.

I am surprised to see that the budget has shown a deficit of Rs. 72 crores. To me it appears to be a jugglary of figures by Finance Department. It is, however, a matter of satisfaction that our budget has given a positive direction to our economy. It is our endeavour to encourage labour intensive industries so as to provide more employment to the people. With this end in view, my submission is that the agricultural labour which remains idle for almost six months in a year, should be entrusted the job of clearing and digging water channels, wells and canals etc. This work can be executed through village Panchayats. Similarly, small constructions schemes can be taken up by Municipal Boards and other local bodies. This will provide good employment apportunities toun-skilled and semi-skilled people. For solving the problem of educated unemployed, I suggest that more new schools should be opened.

My other suggestion is that Government should evolve a scheme for old age pension or deserving and needy persons. Sir, after 30 years misrule of Congress, people have returned Janata Party to power and they have got high hopes upon us. We must do our best to come upto their expectations and for that I want that all of us should join hands together for forming different polices for relieving common man of his hardships. We have already seen the rule of a tin-pot dictator, so we must do our best to avoid everything which is undemocratic. I hope opposition will intend its full support to us in solving the problems of common man.

With these words, I support the budget and hope that my suggestions will be considered with seriousness and tax on hand tools will be withdrawn by the Government.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : During election Janata Party made certain promises to the people. We promised that un-employment and poverty will be eliminated. the prices will be brought down. As a matter of fact 1st Janata Party budget should have been an important mile-stone in this direction. We therefore expected that it will be a performance oriented budget instead of a conventional one. However, we hope, that our this aspiration will be taken note in future.

I cannot call it a dynamic budget. It is correct that it was not possible to inject dynam ism in such a short time. However, it is a matter of great satisfaction that our budget provides a clear direction. It can be hoped that through this budget a positive step has been taken towards eradicating poverty, providing employment and holding the price line. It is a matter of satisfaction that top priority has been given to agricultural sector. India lives in villages and in the prosperity of villages lies the prosperity of India.

The per capita income of rural areas during 1950-51 was 197.80 Paise and during 1960-61 it was 219.20 Paise but during 1976-77 it has declined to Rs. 196.50 Paise. During 1961-62 Rs. 254 crores were spent on Agriculture. Whereas the expenditure during 1976-77 was Rs. 510 crores. The per acre yield in our country is the lowest throughout the world. Unless the purchasing capacity of the small farmer is increased the recession in industry cannot be helped.

The per capita income of urban areas which was Rs. 399 during 1950-51 rose to Rs. 811 during 1976-77. As a result the number of cultivators has fallen by 15 per cent.

Last year concessions were given for refrigerators, motor-cars and other electrical equipments. Persons with income of Rs. 20 thousand were given tax relief worth Rs. 204, whereas those with income upto 2 lacks rupees were granted tax relief of Rs. 21,439. The wealth tax was virtually stopped.

[कुमारी आभा मैती पीठासीन हुईं
Miss Abha Maite in the Chair.]

I request the hon. Finance Minister to prepare a plan for Agricultural sector, so that their income and purchasing power is enhanced and the recession in industry may end.

I congratulate the hon. Minister for bringing a budget with a meagre deficit of Rs. 72 crores. During 1973-74 deficit was Rs. 87 crores which ultimately rose to Rs. 328 crores. During 1974-75 the deficit was Rs. 126 crores which ultimately rose to Rs. 321 crores. In 1975-76 it rose from Rs. 247 to Rs. 490 crores and during 1976-77 from Rs. 368 to Rs. 425 crores. Hundreds of crores of rupees which were made available under the Disclosure Scheme has also been consumed by that.

The policy declared by the Finance Minister is very good but in case it is not implemented properly it would not yield the desired results.

The reduction in Administrative Expenditure by 130 crores of rupees is commendable. Sri Subramaniam claimed that he enhanced budget outlay by 31—34 per cent. It has been enhanced further by 28 per cent this year. The previous Government undervalued the Taxes and Revenues. There was no increase in the rate of growth.

We have promised employment for all in ten years' time. We should also give incentives to labour intensive industries. Then only we can fulfil our aims.

The Finance Minister has partially fulfilled our promise regarding raising exemption limit to Rs. 10,000/- in regard to personal taxes. If the income of a person is more than 10,000 rupees he would be loser than a gainer. I feel that the persons with income upto Rs. 25,000 should be exempt from payment of surcharge of Rs. 25,000 and they should be given total exemption of Rs. 10,000.

The proposal of tax relief for big mills who take over sick mills is good. But this can be misused. There should be proper vigilance to safeguard against misuse.

I welcome the proposal for appointment of a committee to simplify the Income Tax Act. There is need for simplification of various provisions of the Income Tax Act. The Government exempts persons with income upto Rs. 10,000 from payment of Income Tax but there is no such exemption in firm Tax. This anomaly should be removed.

For the last few months black market and smuggling activities are gradually rising. We promised freedom and bread for everyone. In three months' time we have assured freedom. The second thing is a big challenge to the Finance Minister. We can survive only if we fulfil our promises.

The wheat price has been fixed @ Rs. 110. It ought to be more. All restrictions on its movement should be removed.

The reduction in rate of interest would benefit the industries. The prices of raw material have fallen. The prices of finished goods should also fall proportionately. We have undertaken survey of 36 industries which have enhanced their rates after 20th March with out any reason. The Government need not be too soft. It ought to be vigilant over the industries. The Government should work out the cost price of various items. We are committed to supply of commodities at cheap rates. The profiteering by public undertakings should be checked.

The Finance Minister has given a new direction to Indian Economy aiming at the welfare of the Indian people. I do hope that he would present a dynamic budget next year.

Shri P.V. Narasimha Rao (Hanamkonda): A number of allegations and counter-allegations have been made and I do not want to indulge in them. Why have the Indian people given support to Janta Party? We ought to sincerely mend ourselves.

Whenever any problem comes before us we ought to examine it from all aspects. We are not happy on the speech of the Finance Minister. He has given a list of a number of items. It would have been more appropriate for him if he had chosen only 3-4 items. He should give details before the end of the session.

In the matter of Agriculture he has promised more resources for the Agricultural development. Secondly it has been stated that intensive agriculture would provide new avenues for employment.

So far as enhancement of resources is concerned I feel that there has been only marginal increase and it would not make any significant change. There is nothing for which one may feel proud of.

He has promised employment to a lot of people in agricultural field. The problems with our country is that there is great pressure of manpower on our agricultural lands. It is necessary to shift certain persons from Agricultural sector to other sectors. There are many areas where unlimited irrigation resources can be provided. In a number of States all the available water resources have been utilised and in a number of districts there is no scope to enhance irrigation facilities. There are certain upland areas where thousand of water pumps are at work but the results are not satisfactory, as the water level has fallen down. You have promised more resources for irrigation but you do not have funds. If more people are engaged on Agriculture the cost of production would rise. It is necessary to reduce pressure of people on land.

The hon. Minister has emphasised the need for large scale increase in Agricultural production but he has not touched either of these aspect of land relations, land reforms land ceiling and land records. It looks that he has not cared to look into the problem of land. The small farmer can get land by implementation of land ceiling laws.

The land holders surrender only that land which is useless. Efforts should be made to implement land ceiling laws and the lands so obtained should be distributed urgently. There are Zamindars who held land in two or three states. It is therefore necessary to implement vigorously the land ceiling laws within 2-3 years.

The Government has adopted a policy for enhanced agricultural production. This can be done if the units hold by small farmers are made viable. This is not merely the question of production, it simultaneously involves employment aspect, especially, self employment schemes. I feel that 25 lakhs families can be provided with lands in this country. These families can also be provided with gainful self employment facilities. The sooner you implement this programme the better yield you would get from it.

It seems that the problems of Agriculture have not been looked into. I see that attitude of the Central Secretariat is anti-farmer. They point the picture of a farmer who is very rich and is one with exploiting element. Please try to change the attitude of the officers in the Secretariat. The Hon. Finance Minister had been previously an officer in the secretariat and can tackle the matter. But so long as the attitude does not change he would have to labour hard.

Small farmers are compelled to sell their land and become landless. The Government should help them.

Nothing has been stated regarding agricultural credit and opening of Rural Banks about which policy decision had already been taken.

The maritanium actions and the problems created as a result thereof need to be studied. So long as these problems are not solved the sitiuation cannot improve. The depression in the rural areas cannot be checked.

As for the higher Agricultural prices it should be considered sympathetically by the officials. There should be some relationships between the prices of Agricultural commodities and prices of those things which farmers have to purchase. There is need for maintaining a proper relationship between the prices of the two commodities.

The farmers need is not imputs above. In view of the high cost on intensive Agriculture it is necessary that there should be provisions for crop insurance. The Government should build a revolving fund for this purpose. There should be an insurance scheme which could cover verifiable risks like damage to crops through hail storms, floods and cyclones.

It is good that the hon. Finance Minister has given due attention towards small scale industries. But the politics should be eliminated from this sphere. It is not enough to provide funds for these industries. There is need for policy support in this matter. Production of certain items needs to be reserved for this sector.

Doubts have been expressed on the statement of the Finance Minister on Public Sector. I do not want to say anything about this.

Now, without going into allegations and counter allegations, which has already been levelled quite a lot, I would request you to assure the House that your new dispensation would not harm the Public Sector in any way and that its expansion would go on in an appropriate way.

I welcome what you have said about appropriate technology but much thought will have to be given as regards its protection. Coconut produced in Andhra Pradesh, Kerala Karnataka and other coastal States, is brought to Bombay or Calcutta for extracting oil from it. Let us have small extraction units on the basis of this appropriate technology in the coconut producing states itself. This would not only bring about a major improvement in the economy of these States but would also creat new avenues of employment for the people in those States.

Research work of the C.S.I.R. is going on for the last four-five years in my district but the results thereof are not reaching the people. You should associate the public representatives with it as only those people know the requirements of the people there as also the ways to meet them.

You have advocated for Gandhian approach. In every party you will find people although in minority, having faith in Gandhian approach. But I would like to point out that despite having brought in political democracy and economic democracy, exploitation in this country is increasing day by day. There is always a section of people in the Village which any how manages to hold the key positions in Panchayats, cooperative etc. and then it exploits the weaker sections of the Society that element has to be disarmed with the help of Gandhism or any 'ism' you choose. Strict implementation of Land Ceiling laws and decentralisation of production implements are the only way to solve this problem. We speak of Socialism and you speak of Gandhism. There is no conflict between the two. Let us any how put an end to exploitation of the poor.

श्री ए० के० राय (धनबाद) : बजट से सरकार के राजनैतिक चरित्र का पता लगता है । माननीय सदस्यों में इसके प्रति उत्साहहीनता और रुचि की कमी इस बात का प्रतीक है कि यह बजट किस प्रकार का है। हमने इस बजट में 'भोजन और स्वतंत्रता' ढूंढने का प्रयास किया मगर दोनों ही नदारथ मिले।

यह बजट वस्तुतः उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिस वर्ग से माननीय वित्त मंत्री संबंधित हैं। इस समय स्वच्छन्द उद्योगों एकाधिकारपूर्ण पूंजीवाद और जमींदारी की प्रतिछाया नजर आती है। आश्चर्य मुझे इस बात पर भी है कि कांग्रेसी सदस्य भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग देश के सामाजिक तथा आर्थिक एवम् राजनैतिक ढांचे में बिना कोई परिवर्तन किये ही देश की सभी समस्याओं को हल करने का असंभव कार्य करने की फ़िक्र में लगे हैं।

कांग्रेसी जन अब तो अपने अनुभवों के आधार पर अपने सुझाव दे रहे हैं मगर उन्होंने स्वयं उस समय कुछ नहीं किया। इसीलिए आज वे विपक्ष में बैठे हैं। मगर अब जनता पार्टी के लोग भी वहां से प्रारम्भ कर रहे हैं जहां श्रीमती गांधी ने छोड़ा था। अब तो श्रीमती गांधी का बजट ही श्री पटेल का बजट बनकर आ गया है।

हमें सदा आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया जाता रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने राष्ट्र के रचनात्मक उत्साह का गला घोंटा था। मैं जानता हूं कि भारतीय तकनीशियन और इंजीनियर भी एक उर्वरक कारखाना निर्मित कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं और इसे स्थापित भी कर सकते हैं। आठ वर्ष पूर्व सिन्दरी के योजना और विकास डिविजन के प्रायः 500 इंजीनियरों ने यह कहा भी था कि या तो उन्हें भारतीय तकनीकी जानकारी के आधार पर ही एक स्वदेशी उर्वरक कारखाना लगाने दिया जाये अन्यथा उनका त्यागपत्र स्वीकार किया जाये। कांग्रेस सरकार ने उन्हें एक मौका देने का आश्वासन भी दिया था। अतः मेरा विश्वास है कि प्रमुख उद्योगों के 95 प्रतिशत अंश कम निर्माण तो हमारे ही देश के प्रौद्योगिकी और तकनीशियन स्वयं कर सकते हैं।

कांग्रेसी सरकार हमेशा यह दावा करती रही कि भारतीय तकनीकी जानकारी के विकास के लिए बहुत कुछ किया गया है। परन्तु तथ्य ये हैं कि पिछले तीस वर्षों में उर्वरक इस्पात बिजली तथा तेल के क्षेत्र में विदेशी मुद्रा का योगदान 30 प्रतिशत है और वह सरकार उसे घटा नहीं सकी जबकि हमारे यहां 10 000 वैज्ञानिक विशेषज्ञ और एक लाख तकनीशियन है।

निराशा की इस धूमिल पृष्ठ भूमि पर हमने इस नई सरकार से कुछ आशायें बांधी थी। परन्तु इस बजट के पश्चात् हुए विधान सभा चुनावों ने हमें पूरी तरह निराश कर दिया और वैसे हम पर 'समाजवाद' का नाम तक भी नहीं आया।

पिछले बजट में कृषि उत्पादन में कुछ हानि थी उद्योगों में कुछ लाभ का तत्व था परन्तु बेरोजगारी अधिकतम थी। अब वित्त मंत्री ने स्वयं यह कहा है कि हमारी क्रय शक्ति इतनी घट गई है कि हम खाद्यान्न भी नहीं खरीद सकते हैं कोयला नहीं खरीद सकते कपड़ा तक नहीं खरीद सकते। अब प्रश्न यह है कि अपनी क्रय शक्ति हम कैसे बढ़ायें? और जनता सरकार ने इस बजट द्वारा उत्तर दिया है कि पूंजीपतियों पर निर्भर रहो वही उद्योगों का विकास करेंगे। जमींदारों पर निर्भर रहो वही कृषि का विकास करेंगे; व्यापारियों पर निर्भर रहो वही वस्तुओं का वितरण करेंगे, और निर्भर रहो विदेशी शक्तियों पर वही सहायता देंगी। और हमें छोड़कर अन्य पर किसी पर भरोसा करो आप की सभी समस्यायें हल हो जायेंगी। समूचे बजट में कहीं भी श्रम सामाजवाद अथवा सामाजिक दृष्टिकोण अथवा भूमि सुधार का जिक्र तक नहीं है।

आज का बजट आज की सरकार के राजनैतिक चरित्र का प्रतिबिम्ब होता है कल आने वाली सरकार का नहीं। मगर हमें आने वाला कल तो आज ही दिखाई दे रहा है। इस बजट के अनुसार आने वाला कल जमींदारों, पूंजीपतियों और व्यापारियों का होगा। इसमें देश की जनता कहां है? आज के श्रमिक कहां हैं? उन्हें राष्ट्रीय धारा में रखने का तो यहां कोई जिक्र तक नहीं है। नहीं इसमें काश्तकारों का ही कोई उल्लेख है। यह सभा तो स्वामियों अर्थात भू-स्वामियों, उद्योग स्वामियों, व्यापार-स्वामियों

की है जोकि यहां हलधर की टोपी पहने बैठे हैं। क्या इस प्रकार देश का भविष्य निश्चित होगा ? माननीया सभापति महोदया, केवल सत्ता में परिवर्तन से कोई अर्थ पूरा नहीं होता। आवश्यकता तो प्रणाली में आमूल भूत परिवर्तन करने की होती है। जब तक यह नहीं होता भारत की समस्याएं कोई हल नहीं कर सकता। भारत में बेरोजगारी की भारी समस्या है, गरीबी की समस्या है; अन्याय और धनी-निर्धन के बीच भेदभाव की समस्या है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट को ग्रामीण आधार वाला अर्थात् कृषि प्रधान बताया है। परन्तु केवल ऐसा कर देने से तो बात नहीं बन जाती। उसके लिये धन की व्यवस्था करने से तो सब काम नहीं हो जाते। कुछ रचनात्मक करने के लिये ढांचा-गत परिवर्तन करने होंगे, धन का सही उपयोग करना होगा परन्तु बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। जनता तथा कांग्रेस दलों के किसी भी सदस्य ने देश के कृषि ढांचे में किसी भी परिवर्तन के लिये आवाज नहीं उठाई है। कोई सुझाव नहीं दिया है। वित्त मंत्री ने स्वयं जापान का उदाहरण देकर कहा है कि भारत में श्रमिकों के आधिकाधिक योगदान की जरूरत है। आज 7 करोड़ परिवार कृषि पर आश्रित हैं अर्थात् 14 करोड़ लोग खेती के काम में लगे हैं। कांग्रेसी भाई तो यह चाहते हैं कि इनमें से 7 करोड़ लोग कृषि से हटाकर उद्योगों में लगा दिये जाएं।

वस्तुतः आज जरूरत इस बात की है कि देश के लोगों के सामने गांव-स्तर तक पहुंचकर सामाजिक उद्देश्य रखे जाएं और उस जन शक्ति का सही उपयोग किया जाये। कांग्रेस सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा रूपी हल तो निकाला था परन्तु उससे सामन्तवाद का अन्त तो नहीं होता जो कि आज कृषि पर छाया हुआ है। एक विचार गोष्ठी में बिहार के एक कृषि विशेषज्ञ श्री टी०एम० अप्पू ने तो साझी-खेती को भी एक प्रकार का सामन्तवादी उत्पादन बताया था। आज देश में 20करोड़ एकड़ भूमि पर साझी खेती होती है अगर इस प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया जाता तो कृषि के क्षेत्र में कोई क्रांति नहीं हो सकती। किसी अन्य की ओर से खेती करने की प्रथा समाप्त की जानी चाहिये और एक-आदमी एक काम का सिद्धान्त लागू किया जाना चाहिये। इससे उत्पादन बढ़ेगा और असंख्य लोगों के लिये रोजगार पैदा होगा। देश में संगठित क्षेत्र में वेतन भोगी लोगों की संख्या केवल 2 करोड़ है। अध्यापकों, वकीलों, डाक्टरों आदि को मिलाकर 2½ करोड़ हो जाती है। खेती से उनका कोई संबन्ध नहीं है परन्तु उनमें से लगभग 50 प्रतिशत प्रयक्ष अथवा परोक्ष रूप से न्यूनाधिक भूमि के मालिक हैं। एक आदमी एक काम का सिद्धान्त लागू होते ही या तो वे नौकरी छोड़ेंगे या भूमि। तब आप उनमें से एक पर जन शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। वास्तविक काश्तकार जो जान लगाकर अधिकाधिक उत्पादन करेगा।

मेरा सुझाव यह है कि सरकारी क्षेत्र में उद्योग की तरह ही कृषि उद्योग का भी राष्ट्रीय क्षेत्र बनाया जाना चाहिये क्योंकि कृषि से 46 प्रतिशत राष्ट्रीय आय होती है। जिस प्रकार सोवियतों को भूमि दी जाती है उसी प्रकार यहां पंचायतों को भूमि दी जाये। कुछ भी हो भूमि को राष्ट्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाये और अतिरिक्त जनशक्ति का उपयोग किया जाये। हम जमींदारों की दया पर निर्भर नहीं रह सकते देश में सरकारी अथवा गैर सरकारी सेवाओं में लगे कर्मचारियों से कहा जाये कि या तो वे नौकरी करें या अपनी भूमि पर काम करें। दोनों के स्वामी न रहें। इन लोगों से प्राप्त उस अतिरिक्त भूमि को राष्ट्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाये। जब तक हम अपनी समूची जन शक्ति को संगठित तथा आयोजित नहीं करेंगे देश की कोई भी समस्या हल नहीं हो सकेगी।

हमारे देश में जो कृषि कार्य होता है वह चीन, रूस तथा अन्य देशों से भिन्न तरीके से होता है। वहां प्रकृति इतनी दयालू नहीं है जितनी हमारे देश में है। वहां वर्षा बहुत कम होती है जबकि हमारे यहां पानी को संचित रखने की समस्या है। यह कहना भी गलत है कि भारत में प्रति व्यक्ति भू-क्षेत्र कम है। उन देशों की तुलना में कहीं अधिक है और अधिक उपजाऊ भी है हम तो दोहरी फसल भी ले सकते हैं। परन्तु हमारे यहां सारे ढांचे को बदलने की जरूरत है। भू-स्वामित्व को बदलने की आवश्यकता है।

अब हम स्थिति को और अधिक नहीं बिगड़ने दे सकते। लोगों ने जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। जनता बहुत सक्रिय है। ऐसा नहीं कि जनता पार्टी भी कांग्रेस के पथ पर ही चलने लगे। इतिहास न तो किसी को भूलता है और न ही क्षमा करता है।

Shri Dharmasinbhai Patel (Porbandar): I rise to welcome and support the Budget. In Gujarat in all only 13 percent of the Land is under irrigation. We, therefore demand, the implementation of the Narmada project as soon as possible. Similarly Saurashtra is also short of power and we request for an atomic power station there. As many as 5 lakh wells also in Gujarat, need to be electrified.

It is a matter of regret that the cost of agricultural products are not calculated and fixed on the basis of various expenses on production as is done in the case of industrials products. I request that Agriculture should also be recognised as an industry and besides value of land all its expenses on inputs, insecticides etc. should be taken into account while fixing the prices of agricultural products. Then, in other industries the industrialists themselves fix the prices of their products whereas in the case of agricultural products only the buyers fix their prices.

It has been said that Congressmen were the enemies of the farmers. But drought, famines and rats also are their enemies. We have 20 crore rodents in Gujarat a year ago and now they are 25 crores. They ate away 15 per cent of foodgrains and cotton. Another enemy of the farmers is Locust. Efforts should be made to kill them. Insecticides are also needed to kill insects. And Crop thefts should also be checked.

We are one nation and therefore there should be no Zonal ban or restrictions on the movement of foodgrains etc. from one part of the Country to the other.

Indirect taxes on agricultural equipments should be reviewed and withdrawn.

Finally, I would request that a 30 per cent provision should be made for rural-development; and as we earn 50 per cent from our agriculture, provision for it in the budget should also be 50 per cent.

Most of our farmers in Gujarat are small farmers. Therefore, more attention should be paid to the small farmers and agricultural labour.

With these words I congratulate the hon. Minister and hope that he would consider the points put forth by me here.

Shri Shanker Singhji Vaghela (Kapadvanj): The Finance Minister has presented first Janta Party Budget which is a balanced and peasantry-oriented budget. He deserves to be congratulated for presenting this type of budget. It is not proper to criticise the budget by those who had made a mess of our economy. It is true that tendency of rise in prices after the formation of Janta Government has been witnessed and should be taken into consideration by the Janta Government. The rise in prices is mainly due to shortage in the production of certain commodities as is reflected by the increase in the money supply to the extent of 17 per cent. An imbalance between the total demand and supply has grown and it has also contributed to the rise in prices. There has been an increase of 9.1 per cent in the wholesale price index between March, 1976 and March, 1977. But this rise has been a continuing process for which Janta Party is not responsible. Government should certainly take serious action against those traders who do not control the prices and allows them to rise.

The provision of Rs. 25 lakhs made in the budget for creating employment opportunities is too inadequate. The raising of income tax exemption limit to Rs. 10,000 is a welcome feature of the budget but this exemption limit should have been allowed to other income tax payers also.

There is a provision of deficit financing to the tune of Rs. 72 crores in this budget. If it is restricted to that limit, it might not lead to inflation. The Finance Minister should see that it does not cross that limit.

This budget, however, does not satisfy the aspirations of the people. The C.D., Scheme has not been withdrawn. On the other hand the tax on Bidis has been imposed which should also be withdrawn. The price of petrol should be brought down. Then, the tax on two-wheelers and three-wheelers should also be withdrawn.

Loans from Reserve Bank should be directly disbursed to farmers, eliminating the intermediaries who raised the rate of interest. The farmers should also be supplied pure seeds at cheaper rates. Power at subsidise rate should be made available to them, for irrigation purposes.

Nadiad-Shamla line via Kapadaganj and Gorasa station in Gujarat shoud be immediately sanctioned with a view to remove regional imbalance.

In so far as textile industry is concerned, taking over of the sick mills is no solution to the problem because the mill-owners exploited the situation to the full. Therefore, this practice of taking over of sick mills should be stopped.

श्री धीरेंद्र नाथ बसु (कटवा) : वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट बहुत ही निरुत्साहजनक है। बजट में समाजवाद के बारे में एक भी शब्द नहीं है ।

इस बजट से जनसाधारण की आकांक्षायें पूरी नहीं होती। हजारों कारखाने, पटसन तथा कपड़े के कारखाने बंद पड़े हैं। कई कम्पनियों ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी है जिसके फलस्वरूप लाखों लोग बेरोजगार हो गये हैं। खेद की बात यह है कि सरकार ने इस संबन्ध में कोई भी उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की है । बंद कारखानों को चलाने के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है ।

कृषि विकास के लिये रखी गयी राशि पर्याप्त नहीं है। कुछ और राशि की व्यवस्था करना जरूरी है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि घड़ियों के आयात के लिये कोई लाइसेंस जारी न किये जायें। इससे हमारे अपने उपक्रमों को घाटा पहुंचेगा।

यह हर्ष का विषय है कि आयकर से मुक्ति की राशि 8000 रुपये से 10,000 रुपये बढ़ायी गयी है। लेकिन सरचार्ज में 10 से 15 प्रतिशत वृद्धि क्यों हो ? इससे मध्य वर्ग के लोगों को कठिनाई होगी।

गरीब लोगों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली बीड़ी पर भी 15 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया गया है। मेरा सुझाव है कि 15 प्रतिशत सरचार्ज तथा बीड़ी के उत्पाद कर को हटा दिया जाये ताकि सर्वसाधारण को कठिनाई न हो। न्यूजप्रिंट पर लगे शुल्क को भी हटाया जाना चाहिये।

यह एक पूंजीवादी बजट है। इसका पुनरीक्षण किया जाना चाहिये तथा लगाये गये कुछ करों को हटाया जाना चाहिये। वित्त मंत्री को इस सभा की सलाह पर बजट में कुछ परिवर्तन करने चाहिएं। इस सभा के अधिकांश माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि धनी लोगों–टाटा और बिरला जैसे उद्योगपतियों को रियायतें नहीं दी जानी चाहिएं। इस तरह की रियायतें जन साधारण तथा निर्धन वर्गों को दी जानी चाहिएं। अतः मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह धनी लोगों को दी गई रियायतों को वापस ले लें और बीड़ी पर जो उत्पाद शुल्क लगाया है, उसे भी वापस ले लें क्योंकि बीड़ी का उपयोग अधिकांशतः गरीब लोग ही करते हैं।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : वित्त मंत्री एक बहुत ही अच्छा बजट पेश करने के लिए बधाई के पात्र हैं। यह बजट देश की गरीब जनता, जनसाधारण और गरीब तबके का बजट है ।

कांग्रेस सरकार ने हमें विरासत में क्या दिया है । इस देश की 68 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी के स्तर से नीचे के स्तर पर रह रही है। विकास दर घटकर 3 प्रतिशत हो गई है। आपात स्थिति के 19 महीनों की अवधि के दौरान मूल्यों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जनता पार्टी को विरासत में यह सब कुछ देकर अब विपक्ष के लोग हमें समाजवादी या स्वतंत्र बजट का पाठ पढ़ा रहे है।

भूतपूर्व वित्त मंत्री ने एक ऐसा बजट पेश किया था। जिसमें उन्होंने 320 करोड़ रुपये को पूरा न किया जा सकने वाला घाटा दिखाया था। इस देश की अर्थ-व्यवस्था में 400 करोड़ रुपया लगाया गया है। गैर सरकारी क्षेत्र को कई रियायतें दी गई हैं ताकि गैर सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ सके। क्या यह स्वतंत्र बजट नहीं है ।

देश में 1,60,000 ग्राम ऐसे हैं जहां पर पेय जल की व्यवस्था नहीं है। जनता पार्टी ने पहली बार 1,60,000 गांवों के निर्धन लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है ।

कांग्रेसी सदस्य अर्थ-व्यवस्था की उन्नति के उच्चतम शिखर पर ले जाने की बातें कर रहे हैं जबकि यह शिखर इतना ऊंचा है कि गरीब इंसान उसको देख भी नहीं पाता। उनके शासन काल में केवल धनवान व्यक्तियों के ही पौ बारह थे तथा गरीबों को उनकी झोपड़ियों से हटाया गया था।

भारत ग्राम प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। किन्तु इन तमाम वर्षों में कृषि की उपेक्षा की गई है। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने भी यह स्वीकार किया है कि यह उनकी बड़ी भारी भूल थी कि कृषि की उपेक्षा की गई। अब जनता पार्टी ने कृषि विकास की ओर ध्यान दिया है। यह कहना सर्वथा गलत है कि हम सरकारी क्षेत्र को समाप्त कर रहे है। देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच कोई संघर्ष नहीं है। हमारे देश में एक राष्ट्रीय क्षेत्र है और सभी क्षेत्रों को राष्ट्रीय हित में कार्य करना है ।

जहां तक जनता पार्टी का संबन्ध है, हम चाहते हैं कि विज्ञान और तकनीकी प्रगति का लाभ गांवों में गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। यदि ऐसा हो जाता है तो निर्धनता और अभाव का अभिशाप विगत की बात हो जायेगी ।

यद्यपि इस बजट में 72 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है तथा यदि बजट में कोई घाटा न दिखाया गया होता तो और बेहतर होता। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम विकास की दर 5 प्रतिशत रखें ।

प्रो० पी०जी० मावलंकर (गांधी नगर) : जनता बजट के कुछ भाग तो निश्चय ही अच्छे हैं लेकिन फिर भी यह जनता की भावना के अनुरूप नहीं है। फिर भी मैं इसे निराशाजनक बजट नहीं कह सकता। प्राथमिकताओं को एक दम बदलना और नई आवश्यकताओं की व्यवस्था करना आसान नहीं है। पहले से चालू या अपूर्ण कार्य के ऊपर नए एवं क्रान्तिकारी विचार और दृष्टिकोण थोपना आसान नहीं है। वित्त मंत्री ने बड़ी मेहनत से इसे तैयार किया है ।

कर कानूनों एवं कर प्रक्रियाओं के संगतीकरण एवं सरलीकरण के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन के वायदे का मैं स्वागत करता हूं। आशा है कि शीघ्र ही इसका गठन किया जाएगा और यह समिति संतोषजनक रूप से काम करेगी।

वांचू समिति ने भी कराधान प्रस्तावों के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के बारे में अपना प्रतिवेदन दिया था। कुछ सिफारिशें तो क्रियान्वित कर दी गई हैं फिर भी कई सिफारिशें अभी क्रियान्वित नहीं की गई । वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह नई समिति के गठन करते समय पुरानी सिफारिशों को भी देखें।

बजट में भारी उद्योग की अपेक्षा कृषि और ग्रामीण विकास पर अधिक बल दिया गया है । इसका स्वागत है। ग्रामोन्मुख बजट का और भी अधिक स्वागत है। लेकिन अपने निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ग्रामों में हालत संतोषजनक नहीं है। आशा है कि रोजगार के अच्छे अवसर पैदा किए जाएंगे।

गांवों में निर्धनता तथा गांव शहर के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा है । खुशी की बात है कि हम इस बजट में गांवों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है ।

खुशी की बात है कि बजट में पेय जल की कमी की ओर ध्यान दिया गया है। पहुंच सड़कें बनाने की भी व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद से गांधीनगर नगर तक अच्छी सड़क है लेकिन इस बीच गांवों में मुख्य सड़कों से गांवों की सड़कों के बीच पहुंच सड़कें नहीं हैं। इस पर हमें बड़ा दुख है। अच्छा होगा यदि सड़क व्यवस्था में सुधार किया जाए। बजट में भूमिहीन श्रमिकों एवं किसानों के लिये जो व्यवस्था की गई है, वह संतोषजनक नहीं है। उनके लिये बहुत कुछ किया जाना शेष है।

हम यह जानना चाहते हैं कि जनता सरकार ने काले धन को समाप्त करने के लिये क्या किया है ? इस बजट के द्वारा वित्त मंत्री किस प्रकार व्यय को कम करने का प्रयत्न करेंगे। धनकर का बढ़ाया जाना अच्छा है। परन्तु मैं आशा करता हूं कि जनता का बजट यदि अभी नहीं तो आने वाले वर्षों में ऐसा होगा जिसमें ऊपर के ही कुछ लोगों पर कर लगेगा।

अब तक सरकार ईमानदार करदाता को भला और बेईमान को दण्ड देने की दिशा में कुछ नहीं कर सकी है। बेईमान करदाता बच जाते हैं और ईमानदार करदाता पर और कर लगाया जाता है ? क्योंकि उनकी आय निश्चित है। आशा है कि आने वाले वर्षों में सरकारी नीति से ईमानदार करदाताओं में वृद्धि होगी।

मैं योजना आयोग के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि यह हाल में बनाया गया है । लेकिन मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही प्राथमिकताएं निश्चित की जाएंगी और इस दिशा में काम शुरु हो जाएगा।

जहां तक उत्पादन शुल्क का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री ने अहमदाबाद की मिलों को उत्पादन शुल्क में कमी कर रियायतें दी हैं। ये मिलें बढ़िया किस्म का कपड़ा बनाती हैं। साधारण किस्म का कपड़ा बनाने वाले मिलों पर अधिक उत्पादन शुल्क लगाकर उन्हें कर भार से दबाया है। इससे इन मिलों में और अधिक घाटा होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो ये मिलें अन्ततोगत्वा अपना भार उपभोक्ताओं पर डाल देंगी। कपड़ा मिलों पर लगाया गया उत्पादन शुल्क अनुचित प्रतीत होता है।

जनता सरकार को बजट के मामले में इतनी गोपनीयता नहीं बरतनी चाहिये और इस प्रथा को अब खत्म कर देना चाहिए। उत्पादन शुल्क में गोपनीयता बरतने के अलावा सरकार को अपनी इच्छा के अनुसार निदेश देना चाहिए। इन सभी मुद्दों को सार्वजनिक वाद-विवाद का अंग बनाया जान चाहिए।

स्वतन्त्रता के नये वातावरण में श्रम मंत्री को आन्दोलनों, हड़तालों और विरोध की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनका कुछ अंश तो आवश्यक और वैध है क्योंकि अन्याय बहुत हुआ है। लेकिन जब तक जनता सरकार अनुशासन का वातावरण पैदा होने को सुनिश्चित नहीं करती तब तक आर्थिक उत्पादन में सुधार नहीं हो सकता। सरकार की कार्यवाही गरीबों के हित के लिये होनी चहिए। मैं आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में ऐसा होगा।

Shri Nirmal Chandra Jain (Seoni): Sir, the Finance Minister deserves our thanks for making some very good provisions in this budget. But at the same time I want to point out that the rays of hope generated by this budget have not reached the cottage of the poor. Since Janta Party had declared in its manifesto that more attention will be paid to the 80 per cent people living in the rural areas, this should have been reflected in the budget by giving priority to irrigation schemes, roads, power and small village industries. It is apparent from the budget that no special priority has been given to these sectors.

[श्री सोनूसिंह पाटिल पीठासीन हुए]

[Shri Sonusing Patil in the Chair]

With regard to the fertilisers, my submission is that such fertilisers should be used which are not harmful in the long run, because recently an opinion has been expressed by fertilizer experts that chemical fertilizers are proving harmful. This aspect should be properly looked into. I think the best manure is that of Cowdung. So my submission is that provision should be made in the budget for encouraging cow breeding. Necessary steps should also be taken for stopping cow slaughter. I will request the Finance Minister to give due attention to this aspect.

In the budget an allocation of Rs. 360 crores has been made for irrigation purposes. This provision appears to be like a drop in the ocean. In view of the enormous requirements of irrigation, this should be increased considerably.

My other submission is that there are still a number of villages which are without road facility. Instead of undertaking constructions of roads, our former Government remained busy in launching beautification drives. Several high ways were beautified. Now I think it is high time for stopping beautification work and starting construction of approach roads in the Villages.

With regard to industries, I am of the opinion that due encouragement should be given to cottage industries. Cottage and small scale industries should be made the back bone of Country's economy. Provision should also be made for workers participation in management. At the same time I want to submit that tax on bidi should also go. I also feel that a solution to Narmada water dispute should be arrived at the earliest.

It is strange that there is no mention in the budget about the statutory reservations of some spheres of production for small scale and Cottage industries. I am of the opinion that the manufacture of towels and bed-sheets should be reserved for Cottage industries sector.

Shri M. Satyanarayan Rao (Karimnagar): I want to congratulate hon. Finance Minister for certain reasons. We know shri Patel right from the beginning. We fully know the party to which he belongs. It is a strange irony that people like Sarvashri Madhu Limaye, Madhu Dandavate, George Fernandes or Prime Minister himself used to say many things about socialism when they were on this side of the House. But now I do not know why they have forgotten all about Socialism.

सभापति महोदय : आप कल अपना वक्तव्य जारी रखियेगा।

कार्य मंत्रणा समिति
Business Advisory Committee

दूसरा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : आपकी अनुमति से मैं कार्य मंत्रणा समिति का दूसरा प्रतिवेदन सभापटल पर रखता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार 22 जून, 1977/1 आषाढ़, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गई

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, June 22, 1977/ Asadha 1, 1899 (Saka)

MGIPRRND—4 LSS/77 – Sec. III (N)—7-9-77—200.